खण्ड-344, अंक-7
बुधवार, 25 आषाढ़, शक संवत् 1902
(16 जुलाई, 1980 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 344 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1980

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	483–487
प्रश्नोत्तर	487–503
भूतपूर्व सदस्य, श्री कैलाश कुमार सिंह के निधन पर शोकोद्गार ..	504–506
अलीगढ़ जनपद के थाना हरदुआगंज निवासी श्री राजवीर सिंह व श्री शिव कुमार सिंह की थाना नागल के दो इन्सपेक्टरों द्वारा लूट व हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	506–507
लखनऊ जिले के कतिपय ग्रामों में बाढ़ की स्थिति तथा राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	507
सीतापुर नगरपालिका की दुर्व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	507
घाघरा व राप्ती नदी के कटाव से देवरिया व गोरखपुर जिलों के कतिपय ग्रामों को उत्पन्न खतरे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	508
देवरिया जिले के पटलेखा थाने के पुलिस सब-इन्सपेक्टर, श्री छोटे लाल यादव की असमाजिक तत्वों द्वारा कथित हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	508–509
कतिपय सदस्यों की नियम 301 की सूचनाएं स्वीकार न किये जाने पर आपत्ति	509–510
नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना का उत्तर मन्त्री द्वारा न दिये जाने पर आपत्ति	511–512
आल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश ब्रांच के संयोजक श्री श्याम नरायन तिवारी को सुविधायें दिये जाने की मांग	512–513
उत्तर प्रदेश सहकारी उपभोक्ता भण्डार केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गयी)	513
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (पच्चीसवां) आदेश, 1980 (सदन के पटल पर रखा गया)	513
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (चौदहवां संशोधन), नियमावली, 1980 एवं तत्सम्बन्धी शुद्धि-पत्र (सदन के पटल पर रखा गया)	513
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के वर्ष 1976–77 तथा वर्ष 1977–78 के लेखा पर महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	513–514
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गयी)	514
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (लोक सेवा आयोग क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गयी)	514
उत्तर प्रदेश जिला (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गयी)	514

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा (सप्तम संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गयी)	514
स्थानीय विकास योजना के अधीन जिला परिषद् द्वारा ऋण देना (दूसरा संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	514
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा (आठवां संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गयी)	515
दी उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवेलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे, 1977–78 (सदन के पटल पर रखे गये)	515
स्वायत्त शासन अनुभाग–2 की अधिसूचना (सदन के पटल पर रखी गयी)	515
वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयीं)	515
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1980 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	515
श्री राम स्वरूप तथा हुकम सिंह, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना	516
शिक्षा राज्य मन्त्री, श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	516–517
मुख्य मन्त्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	517
श्री रविशंकर त्रिपाठी, सी0 ओ0 खैरागढ़, आगरा के विरुद्ध विशेषाधिकार के अवहेलना के प्रश्न की सूचना	517–523
विधान सभा की समितियों तथा मन्त्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा	523
राज्य निराश्रित सहायता समिति के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	523–524
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	524-526
बागपत काण्ड के सम्बन्ध में और चर्चा की मांग	526-528
उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर-संग्रहण विधेयक, 1980 को विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति	529–536
उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर-संग्रहण विधेयक, 1980 (पारित)	536–541
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं तथा आज के कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना	541–542
गाजीपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र के परीक्षार्थियों पर हुए लाठी-चार्ज के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	542–544
प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	544–557
बजट साहित्य के वितरण के सम्बन्ध में सूचना	558
1980–81 का आय-व्ययक (प्रस्तुत किया गया)	558–591
वित्तीय वर्ष 1980–81 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्ताव (स्वीकृत)	591–592
उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1980 (पारित)	592–598

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 16 जुलाई, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य–389

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोण्डा)
अजहर ईमाम, श्री (बिजनौर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद, श्री (बरेली)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्दजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहाँपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुल्तन भैय्या) (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोण्डा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित–आँग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला दवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डा० (आगरा)
केदार, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टंडन, श्री (वाराणसी)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदीं, (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी श्री, (देवरिया)
खुर्शीद अहमद, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुडिया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)

गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवरधन, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर मैथ्या श्री (बलिया)
चंचल सिंह, श्री (रामपुर)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोण्डा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहाँपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल 'साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोण्डा)
दीपू, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनीराम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरम पाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
धूप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहाँपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)

प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फजाबाद)
प्रमवती, श्रीमती (बदायूं)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
वंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
वदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्धपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर, श्री (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रज बल्लभ बाबू, श्री (बदायूं)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झाँसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूप सिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मंडलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोन्डा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोण्डा)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुंशी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी अलगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद कासिम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोण्डा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रतीराम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राम, श्री (आजमगढ़)
राजपती देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)

राजेन्द्र कुमार गुप्ता, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधे श्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण, श्री (जौनपुर)
राम कृष्ण, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम, श्री (वाराणसी)
राम जी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
रामयश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह रावत, श्री (एटा)
राम सिंह, श्री (एटा)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष, श्री (गाजीपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रुल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
ललई सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल, श्री (गाजियाबाद)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यासागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार, श्री (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विलायती राम कल्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह डाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नरायन, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीवतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिवदर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथसिंह कशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिवप्रताप सिंह, श्री (बांदा)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शोभनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)

श्री कृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहाँपुर)
सन्त बख्श रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्रकुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरज भान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्य नाथ, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकी उद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमाँश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वामी नेमपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हर बंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)

नोट--मुख्य मन्त्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 16 जुलाई, 1980

तारांकित प्रश्न

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मेरी समझ में सदन में कोरम नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

कोरम है। कोरम होने पर ही घंटी बजना बन्द हुई थी।

टिहरी डैम पर व्यय की गयी धनराशि और साइंस एवं टेक्नालोजी विभाग द्वारा जांच

*1--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रस्तावित टिहरी डैम पर 21-3-80 तक कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है और भारत के प्रधान मन्त्री द्वारा इस डैम के सम्बन्ध में जो जांच कराई गयी है, उसका क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

टिहरी बांध परियोजना पर 31-3-80 तक 47.41 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं। बांध के निर्माण से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा इसका अनुमान लगाने हेतु भारत सरकार के साइन्स एवं टेक्नालोजी विभाग ने एक वर्किंग ग्रुप गठित किया है जिसकी अन्तिम आख्या

अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य, मशीनों तथा निर्माण सामग्री के क्रय के अनुबन्ध हो चुके हैं जिनके बारे में भी सरकार को अनिवार्य रूप से व्यय वहन करने का दायित्व है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में स्वयं स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने जब इन अंचलों की ऐसी स्थिति को देखा कि सारे पहाड़ नीचे खिसकते जा रहे हैं, तो स्टडी करन के लिए एक वर्किंग ग्रुप को बनाया ताकि वह अपनी रिपोर्ट दे। अपने उत्तर में उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उसकी रिपोर्ट अभी अपेक्षित है, तो क्या कारण है कि मशीनें आदि खरीदी जा रही हैं, काम रोका नहीं जा रहा है और लोगों को लगातार भय बना हुआ है, तो इसके लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है ? क्या माननीय मन्त्री जी यह भी बतान की कृपा करेंगे कि जब तक उस रिपोर्ट के बारे में कोई ठोस निणय मालूम नहीं हो पाता, तब तक टिहरी डैम पर जो कार्य हो रहा है, उस कार्य को बंद करा देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, ऐंसी तो बात नहीं है। इसमें कहा गया है कि पर्यावरण के लिए वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। वह ग्रुप यह भी देखेगा कि एन्वायरमेन्ट पर इसका क्या असर पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कार्यकारी ग्रुप गठित किया गया है, यह कब गठित हुआ और क्या इसकी कोई अन्तरिम रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जो उत्तर दिया गया है, उसी में बताया गया है कि रिपोर्ट अभी अपेक्षित है ।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

माननीय मन्त्री जी ने बताया कि एनवायरमेन्ट के बारे में यह वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। एनवायरमेन्ट की परिभाषा का जहां तक सम्बन्ध है, मैं भी अंग्रेजी पढ़ा हूं। इसका अर्थ होता है कि सारी परिस्थितियां जिनसे उस इलाके में व्यापक असर पड़ सकता है, वैली पर भी असर पड़ने वाला है, तो जब तक इस वर्किंग ग्रुप की समुचित रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक काम को बन्द कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जब यह प्रोजेक्ट बनाया गया, तो सब बातों की जानकारी कराकर ही बनाया गया, सर्वे भी कराया गया और हर तरह की जानकारी भी प्राप्त की गयी। एनवायरमेन्ट के बारे में भी जल्दी ही रिपोर्ट आ जायगी, तब उससे पता चल जायगा कि उन्होंने क्या-क्या कहा है, लेकिन जहां तक काम बन्द करने का प्रश्न है, वहां पर बहुत लम्बा काम चल रहा है। अब उसको रोकना सम्भव नहीं है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मैं मानता हूं कि सब कुछ बातों को देखकर ही यह योजना बनाई गयी। पिछले 2-3 सालों से बाढ़ के कारण अलेरी झाली में काफी नुकसान हो गया है, तो टिहरी डैम जो बन रहा है, उसमें जो गल्ती हो गयी है, जबरदस्ती वाली परम्परा को छोड़कर मानवीय आधार पर उस योजना का पुनः निरीक्षण कराने का मन्त्री जी आश्वासन देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जैसा कि पहले बता चुका हूं, इसकी जियोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया और अन्य सम्बन्धित संगठनों से जानकारी करने के बाद प्रोजेक्ट बनाया गया और यह जान कर बनाया गया कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जो वर्किंग ग्रुप बनाया गया उसकी

रिपोर्ट आने वाली है। उसको देख कर आगे क्या अमेंडमेंट किया जा सकता है, उस पर विचार किया जायगा।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल---

मान्यवर, जो रिपोर्ट पहले की गयी थी, जिसको जानकर माननीय मन्त्री जी कह रहे हैं कि भारत सरकार के जो साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलोजी के जो साइंटिस्ट हैं और जितने भी साइंटिस्ट हैं, वर्किंग इंस्टीट्यूट के जो चेयरमैन हैं, उन सभी ने विपरीत रिपोर्ट दे दी थी। फिर भी माननीय मन्त्री जी वही बात को ले रहे हैं। मान्यवर, 47 करोड़ खर्च हुआ है, ठीक है, लेकिन 6 अरब और खर्च होगा और तब इसका प्रदेश पर क्या असर होगा, तो इन बातों को देखते हुए, क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि फिलहाल इस कार्य को बन्द किया जाय ताकि वहां के लोगों में जो भय का वातावरण व्याप्त है, वह शान्त हो सके और रिपोर्ट आ जाने के बाद पूरी जांच के बाद इस कार्य को किया जाय ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, जब वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आ जायेगी, तो उसको देखा जायेगा कि क्या-क्या बातें उन्होंने कही हैं, उनके अनुसार प्रोजेक्ट में क्या-क्या अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, इन सब पर विचार किया जावेगा। मान्यवर, जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, सारे पहलुओं को देखकर, सोच-विचार कर बनाया गया है। उसमें सारी बातें देखी गयी हैं। अभी तक कोई दिक्कत आने की सम्भावना नहीं है इसलिए अभी तक जो सूचना उपलब्ध है, उसके आधार पर कोई वैसी बात नहीं, इसलिए इसमें अभी कुछ कहना ठीक नहीं है।

श्री शंकर सिंह---

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह भी सम्भव है कि हो सकता है कि यह डैम कम्प्लीट हो जाय और उसके बाद वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आये। यह रिपोर्ट विपरीत भी हो सकती है। अगर रिपोर्ट विपरीत हुई, तो क्या डैम को ध्वस्त कर देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, सारी बातों की जानकारी के बाद इसको किया गया। रिपोर्ट तो केवल इनवायरमेण्ट के बारे में है। एनवायरमेण्ट पर क्या असर पड़ने वाला है, इसके लिए कमेटी है। प्रोजेक्ट की जांच करने के लिए कमेटी नहीं बनाई गयी।

श्री राम स्वरूप वर्मा---

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। मान्यवर, माननीय मन्त्री जी का कहना है कि पर्यावरण के पोषण के लिए रिपोर्ट आनी है और एक तरफ कहा कि सारी बातों को देखकर प्रोजेक्ट बनाया गया था। इसमें कौन सच है ? अगर पर्यावरण के लिए विचार नहीं किया गया था तो क्या पर्यावरण के सम्बन्ध में जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक इसको स्थगित रखेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, यह कहा गया है कि इस पर सारे विचार हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों ने शिकायत किया कि इसका वहां के पर्यावरण पर असर पड़ रहा है। इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप देख भाल कर रही है। उसकी रिपोर्ट आ जाने पर देखा जायेगा और उनके सुझावों पर विचार किया जायगा।

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, जो वर्किंग ग्रुप है, क्या माननीय मन्त्री जी उसके वरिष्ठ सदस्यों और उसके चेयरमैन से इस बात पर परामर्श करने की कृपा करेंगे जो आपके सामने अपने विचार रख सकें कि इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के पहले इसको किया जाय या न किया जाय क्या इस बात पर विचार करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, विचार विमर्श करने में दिक्कत नहीं, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है कि इसको रोकने से कोई फायदा होने वाला हो। रिपोर्ट आयेगी और एनवायरमेण्ट पर क्या असर पड़ेगा, इस सम्बन्ध में जो सुझाव होंगे, उसको प्रोजेक्ट में शामिल करने का प्रयत्न किया जायगा ।

कानपुर जिले की अमरहट पम्प कैनाल योजना की प्रगति

*2—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में अमरहट पम्प कैनाल योजना को 9 जून, 1980 तक क्या प्रगति हुई और यह योजना कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत परियोजना का कार्य प्रगति पर है और जून, 1980 तक नहरों पर 1.4 लाख घन मीटर मिट्टी का कार्य व 3.700 कि0मी0 पहुंच मार्ग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है ।

परियोजना के शेष कार्य 1982–83 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी को यह ज्ञात है कि इस योजना के बनने के पहले 1947 में सत्याग्रह चला था और तब सिंचाई विभाग के मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि यह योजना दो चरणों में पूरी की जायेगी। अब जो उत्तर आया है, इसमें है कि नहर पर काम हो रहा है, तो क्या मन्त्री जी स्पष्ट करेंगे कि कितनी नहरें बन रही हैं और कितनी नहरों पर काम चल रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, उत्तर में बताया गया है कि इतना काम हो चुका है। बाकी काम चल रहा है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, लिखा है कि नहरों पर मिट्टी डाली गयी, तो कितनी नहरों पर मिट्टी डाली गयी, यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

काम चल रहा है और जगह-जगह मिट्टी डाली गयी है। यह बताना सम्भव नहीं है कि कितनी जगह डाली गयी है। माननीय सदस्य यदि जानना चाहेंगे, तो रिपोर्ट मंगा ली जायेगी ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यह योजना कितने क्युसेक की प्रस्तावित है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह 50 क्यूसेक की योजना है। इससे 9840 एकड़ की सिंचाई की जायगी ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी अपने पिछले आश्वासन को ध्यान में रखते हुए कि यह योजना 660 क्यूसेक की मन्जूर की गयी थी और दो चरणों में बनाने का आश्वासन दिया गया था, तो क्या इस पर विचार करेंगे और यह योजना कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अभी यह योजना केवल 50 क्यूसेक की है। बाद में पानी की उपलब्धता और अन्य चीजों को देखकर, माननीय सदस्य कहते हैं, तो दिखवा लिया जायगा ।

शारदा सहायक परियोजना को उन्नाव जिले में लागू किए जाने की मांग

*3—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में शारदा सहायक परियोजना कब से और किन-किन जिलों में चल रही है ? इस योजना की रूप-रेखा क्या है और उन्नाव जिले में इस योजना के कार्यान्वित न होने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

निर्माण कार्य 1968–69 में आरम्भ हुआ। यह परियोजना मध्यवर्ती एव पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनपद लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, गाजीपुर तथा बलिया में चल रही है ।

इस योजना के अन्तर्गत बहराइच जिले में कतरनिया घाट के निकट घाघरा नदी पर एक बैराज बनाकर लगभग 300 किलोमीटर लम्बी 23,000 घनफुट सेकेण्ड क्षमता की पोषक नहर निकाली गयी है जो शारदा, उल, गोमती एवं सई नदियों को पार करती हुई प्रतापगढ़ तथा इलाहाबाद जिलों की सीमा तक जाती है। इस योजना से कुल लाभान्वित क्षेत्रफल 20.00 लाख हेक्टेयर है तथा योजना की अनुमानित लागत 314.85 करोड़ रुपया है ।

शारदा सहायक परियोजना घाघरा गंगा दोआब के निचले भाग को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। उन्नाव जनपद दोआब के ऊपरी भाग में है। अतः इस जनपद को शारदा सहायक परियोजना से जल उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस परियोजना का सर्वेक्षण और इसका निर्माण कार्य चल रहा था, उस समय उन्नाव जनपद और हरदोई जनपद को इस परियोजना में शामिल किया गया था, तो क्या कारण है कि उन्नाव जनपद को इस योजना से पृथक कर दिया गया है ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार यह इस योजना में सम्मिलित नहीं है ।

श्री हरगोविन्द वर्मा—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह योजना हमारे जिले से सम्बन्ध रखती है, इस सम्बन्ध में मेरे दो प्रश्न हैं— एक तो यह कि जहां पर यह नहर निकाली गई है, वहां पर सीपेज का बहुत प्रभाव हमारे जिले में है, तो इस सीपेज को समाप्त करने के लिए और किसानों को राहत देने के लिए कोई योजना बन रही है। दूसरी चीज यह है कि जहां पर नहर नीचे निकाली गई है जैसे सीतापुर जिले में वहां पानी देने की कोई योजना है ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

अभी मैंने जिक्र किया है कि यह नहर किन-किन जिलों से आती है। वहां कुछ एरिया ऐसा है, जो ऊंचाई पर है, वहां पर नहर का पानी ले जाना सम्भव नहीं है। उन्नाव का अभी माननीय सदस्य जिक्र कर रहें थे, यह शारदा नहर प्रणाली में आता है। और शारदा नहर प्रणाली से यहां सिंचाई होती है। उसकी क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्नाव जिले में जो 33 प्रतिशत सिंचाई करते हैं, उसको बढ़ाकर 45 प्रतिशत सिंचाई की क्षमता हम करने जा रहें हैं ।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

माननीय, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैं जानना चाहता हूं कि सीतापुर में सीपेज का जो प्रभाव है, उसको समाप्त करने के लिए मन्त्री जी क्या कोई योजना बना रहे हैं ?

श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक नहर या उससे सम्बन्धित माइनरों की पटरियों पर वहां के सम्बन्धित गांवों के लोगों को आने-जाने का जो एक मात्र साधन है, जिन पर किसान यदि बैलगाड़ी या ट्रैक्टर चलाता है, तो उनका चालान होता है। इसलिए मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या किसानों की आवागमन की सुविधा को देखते हुए नहरों और माइनरों के सर्विस रोड को पक्का कराने की बात सोच रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय, जैसा कि श्री जेतली नें बताया कि कोई नहर बनती है, तो उसमें आने-जाने, बैलगाड़ी और ट्रैक्टर निकलने में किसानों को परेशानी होती है। इसलिए मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस योजना के अन्तर्गत नहर पटरियों को पक्का करने का भी मन्त्री जी का विचार है।

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय, परियोजना में इसका कोई स्थान नहीं है। वैसे जब साधन उपलब्ध होते हैं, तो पक्का कराते हैं। इसलिए जब तक साधन उपलब्ध नहीं होते हैं तब तक इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि इस योजना को 11 साल प्रारम्भ होने के बाद भी उन्नाव जिले की सिंचाई क्षमता 35 प्रतिशत है, जिसको कम कर दिया गया है और जैसा आश्वासन दिया गया है कि 45 प्रतिशत करने जा रहे हैं, तो उसको कब लागू करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय, कम करने की बात नहीं है। पहले 33 प्रतिशत है. जिसको 45 प्रतिशत करने जा रहे हैं और कोशिश की जायेगी कि जितना प्रोजेक्ट में कहा गया है, उतना किया जाय।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

माननीय, मैंने जो प्रश्न सीपेज के बारे में किया था उसका उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष--

वर्मा जी, आपका वह दूसरा अलग प्रश्न है।

श्री पंचानन--

माननीय, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि पिछली सरकारों ने आश्वासन दिया था कि जितने गांवों से नहर जायेगी वहां दुबारा चकबन्दी कराई जायगी तो क्या सरकार दुबारा चकबन्दी कराने पर विचार कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय, ऐसा कोई विचार अभी नहीं है।

*4—श्री कुबेर—

[16 शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राज्य सड़क एवं परिवहन निगम की बसों में आरक्षण शुल्क

*5—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रपति शासन काल (1980) में उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा यात्री बसों में प्रति यात्री किराया के अतिरिक्त आरक्षण शुल्क लेना भी अनिवार्य कर दिया गया था ? यदि हाँ, तो आरक्षण शुल्क वसूलने की दर क्या है तथा इसे आरोपित करने के बदले में यात्री को क्या सुविधा दी जाती है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बस यात्रियों की असुविधा को दूर करने के लिए परिवहन निगम द्वारा ऐच्छिक एवं प्रायोगिक आधार पर मार्च, 1980 से तत्काल सीट आरक्षण व्यवस्था लागू की गयी है।

आरक्षण शुल्क की प्रचलित दरें निम्नांकित हैं :—

(1) 110 किलोमीटर तक की दूरी की यात्रा करने पर कोई आरक्षण शुल्क नहीं देय है ।

(2) पैसेंजर, फास्ट एक्सप्रेस, रात्रि, डीलक्स तथा ए0सी0सी0 सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाओं में 111 किलोमीटर तथा इससे अधिक दूरी की यात्रा करने पर आरक्षण शुल्क एक रुपया प्रति यात्री निर्धारित किया गया है ।

(3) रात्रि सेवाओं में 110 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाले यात्रियों से रु0 2 प्रति यात्री निर्धारित किया गया है ।

(4) डीलक्स एवं वातानुकूलित सेवाओं में 110 किलोमीटर से अधिक दूरी यात्रा करने वाले यात्रियों से रु0 3 प्रति यात्री निर्धारित किया गया है ।

इस आरक्षण शुल्क के बदले में यात्रियों को सीट सुलभ करने की व्यवस्था की गयी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर में लिखा है कि ऐच्छिक एवं प्रायोगिक आधार पर मार्च, 1980 से तत्काल सीट आरक्षण व्यवस्था लागू की गयी है। तत्काल का जो व्यवहारिक रूप हो गया है, वह यह है कि जब कोई यात्री बस से यात्रा करना चाहता है, तो उससे अनिवार्य रूप से निर्धारित दर पर आरक्षण शुल्क ले लिया जाता है। आरक्षण का मतलब यह होता है एक दिन पहले, दो दिन पहले से सूचित कर दिया जाता है कि हमें आरक्षण चाहिए, तो मेरी जानकारी को सही मानते हुए कि जो यात्री खड़े-खड़े बस में यात्रा करते हैं, उनसे भी आरक्षण शुल्क ले लिया जाता है, क्या माननीय मन्त्री जी इस आशय के आदेश तत्काल निर्गत कराने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक बस में 5—7 सीटें कर दी जायं, जो पहले से सूचना मिलने पर आरक्षित की जायं और तत्काल आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाय ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह किया जा सकता है यदि माननीय सदस्य की ऐसी सूचना है तो। जितनी सीटें होंगी उतनी सीटों के लिए आरक्षण होगा। जो खड़े रहते हैं उनसे आरक्षण शुल्क नहीं लेना चाहिए.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं स्पष्ट कर दूं मुझे अनुमति देने की कृपा करें। आरक्षण का तात्पर्य जो मैं समझ पा रहा हूं और सदस्य समझ रहे हैं, अभी हंस रहे थे, वह यह है कि दो दिन पहले, चार दिन पहले, आरक्षण किया जाता है। जैसा रेलवे में होता है, लेकिन तत्काल हम स्टेशन पर पहुंचे और कन्डक्टर से कहें कि हम खड़े-खड़े जायेंगे टिकट दे दो, तो भी उससे आरक्षण शुल्क लिया जाय। इसलिए क्या माननीय मन्त्री जी स्पष्ट आश्वासन देने की कृपा करेंगे और

इस आशय के आदेश जारी करने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक बस में दो–चार सीटें निर्धारित कर ली जायं जिनके लिए निर्धारित समय के पहले आरक्षण कर लेना चाहिए और तत्काल आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है ? यदि हाँ, तो कब तक और यदि आदेश निर्गत नहीं करेंगे, तो इसका क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, कुछ बसें ऐसी चल रही हैं जो दूर के लिए जा रही हैं। माननीय सदस्य का यह कहना सही नहीं है कि रेलवे में ऐसा नहीं होता । रेलवे में भी एक पूरी बोगी रिजर्व होती है, आप तुरन्त चाहें तो टिकट मिल सकता है और आप के आरक्षण शुल्क देना पड़ता है। बात यह है कि हमारी कुछ बसें ऐसी हैं जो दूर की हैं और उन में हम कुछ माडर्न सुविधाएं देने जा रहे हैं। उन बसों में आरक्षण किया जाता है। जो स्टैंडिंग है उन से आरक्षण शुल्क नहीं लेना चाहिए ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब बस में सीटों का आरक्षण आप करते हैं, तत्काल करते हैं, तो टिकट लेकर बैठने वाला अगर तत्काल बैठता है तो आरक्षण लेने का अर्थ क्या है ? मैं स्पष्ट कर दूं मैं यह जानना चाहता हूं कि रेल में थ्री टायर अथवा टू-टायर बोगीज होती हैं, जिनमें सोने की सुविधा होती है, लेकिन बसों में ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है, तो यह आरक्षण किस लिए किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैंने साफ कहा है कि प्रयोगात्मक है और आप्शनल है लेकिन अगर इसमें कमी है और इसमें गलती है, तो उसे ठीक करा दिया जायगा, धांधली नहीं हो पायेंगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह योजना प्रयोगात्मक है तो इसके प्रयोग करने से क्या शासन को ऐसी जानकारी मिली है कि यात्रियों को इससे विशेष सुविधा नहीं मिली है, तो क्या वह इस योजना पर पुनः विचार करने को तैयार हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यात्रियों की सुविधा के लिए कोई भी कार्य अगर सरकार को करना होगा, तो वह उसे करेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं यह जानना चाहूंगा, क्या किसी ने इस प्रयोगात्मक योजना के सम्बन्ध में सरकार को कोई एप्रिशियेशन देने वाला लेटर लिखा था ? यदि हाँ, तो क्या सुविधा यात्रियों को है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैंने कहा था कि आपकी जानकारी के आधार पर कोई गड़बड़ी हो रही है, तो उसे ठीक किया जायेगा।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

जब से आरक्षण किया गया है तो कुछ बसों की आमदनी बढ़ी है उसे क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मन्त्री जी ने सदन को बतलाया कि यह एक्सपेरीमेंट भी है और इससे आमदनी भी है सुविधा भी है। सरकार कभी-कभी विवेकहीन होकर काम करती है या कोई एक्स-

पेरीमेंट करती है, तो न आमदनी होती है और न सुविधा होती है ? फिर जो छोटी दूरी वाले यात्री होते हैं, उनको ज्यादा असुविधा होती है जबकि शासन का कर्तव्य होता है उनको सुविधा देना, तो क्या सरकार ध्यान देने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष---

मन्त्री जी इसको समझेंगे ?

श्री बलवीर सिंह---

आरक्षण का मतलब होता है तत्काल उसे सीट उपलब्ध हो जाय। मेरा सुझाव है कि आरक्षण को बदल कर टैक्स रख दिया जाय, तो ज्यादा बेहतर होगा ताकि यात्री को पता हो सके कि उस पर यात्री-कर लग गया है और अर्डिनेन्स जारी होने के पूर्व ही उस पर मन्त्री जी ने यात्री-कर लगा दिया है।

(मन्त्री को उत्तर के लिए नहीं पुकारा गया।)

*6---श्री राम आसरे---

[3रे बुधवार के लिए स्थगित]

फैजाबाद मण्डल में परिचालकों का चुनाव एवं हरिजन एवं पिछड़े वर्ग का आरक्षण

*7---श्री मित्र सेन---

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि फैजाबाद रीजन में वर्ष 1979-80 में परिचालक पद हेतु कोई चुनाव हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पद की रिक्तियाँ कितनी थीं ? चयन का माध्यम क्या था और चयन समिति में कौन-कौन थे ? कुल चयनित परिचालकों की संख्या क्या है ? क्या उसमें हरिजन तथा पिछड़े वर्ग का आरक्षण का कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री मित्र सेन---

कब तक सूचना एकत्रित हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष---

15 दिन के बाद आपका प्रश्न फिर आयेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस तरह की शिकायत उनके रीजन गोरखपुर में भी है। वहाँ पर इस तरह की 400 पोस्ट क्रीएट कर दी गयीं और एक-एक एप्वाइंटमेंट के लिए चार-चार हजार रुपया लिया गया ? इस तरह की सूचना गोरखपुर के सिलसिले में एकत्र करने की कृपा मन्त्री जी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यह फैजाबाद मण्डल के बारे में प्रश्न है। इसके लिए आप नोटिस दीजिए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, यह बड़ा विस्तृत सवाल है और पूरे प्रदेश से सम्बन्धित है। क्या मन्त्री जी मेरी जानकारी को सही मान कर पूरे प्रदेश में जो कुकर्म हो रहा है, रीजनल मैनेजर चार-चार हजार रुपए लेकर बिना किसी पोस्ट के नियुक्ति कर रहे हैं, उसकी सूचना एकत्र कराकर सदन को सूचित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

इसके लिए आप अलग से प्रश्न कर लीजिये।

पिथौरागढ़ जिले की दौला वलिया पेयजल योजना

*8—श्री गोपालराम दास (अनुपस्थित)—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1979 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न सख्या 29 के सम्बन्ध में क्या पर्वतीय विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग ब्लाक, ग्राम दौला वलिया में पेयजल की योजना के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक ने कुमाऊं जल संस्थान को कार्य पूरा करने के लिए आदेश दिया गया था ? यदि हाँ, तो क्या वह कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ? इस ग्राम को पेयजल कब तक उपलब्ध हो जायेगा ?

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)—

जी हाँ। कार्य अभी पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि कुमायू जल संस्थान की आय के सीमित साधन होने के कारण प्रश्नगत क्षतिग्रस्त पेयजल योजना की मरम्मत कराए जाने में संस्थान ने अपनी असमर्थता व्यक्त की और यह प्रस्ताव पारित किया कि योजना जल-निगम द्वारा बनाई जाय। फलस्वरूप ग्राम दौला वलिया की पेयजल योजना का प्राक्कलन निगम द्वारा बना लिया गया है और निर्माण कार्य वर्ष 1980–81 में प्रारम्भ किए जाने की आशा है।

*9—श्री मुन्शी लाल, श्री शिव मंगल सिंह, श्री जगदीश सिंह, श्री रघुनाथ सिंह तथा श्री बंशीधर—

[3रे बुधवार के लिए स्थगित]

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

काम के बदले अनाज योजना

**1—श्री मित्र सेन—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विगत जनता सरकार द्वारा ग्रामीण जनता की राहत हेतु काम के बदले अनाज योजना चलाई थी क्या उसे वर्तमान सरकार ने बन्द कर दिया है ? यदि हाँ, तो क्यों ? यदि नहीं, तो इस योजना का कार्यान्वियन कब से आरम्भ होगा ?

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

जी नहीं। श्रम हेतु खाद्यान्न योजना प्रदेश में वर्ष 1977–78 से निरन्तर चल रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

श्रीमन्, आज आप जो व्यवस्था दे रहे हैं वह तो शिरोधार्य है ही लेकिन अब आज के बाद से आप कृपया ऐसी व्यवस्था दें कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पहले लिए जायेंगे और तारांकित प्रश्न बाद म लिए जायेंगे. . . . .

श्री अध्यक्ष—

अब नियम इसी तरह का बन गया है और हम नियमानुकूल ही प्रश्नों को ले रहे हैं।

श्री मित्रसेन—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के चुनाव के बाद जो पूरे प्रदेश में काम के बदले अनाज की योजना डेढ़ महीने तक बन्द कर दी गई थी और उसका आधार यह था कि उसके सम्बन्ध में अभी कोई पालिसी डिसाइड नहीं हुई थी। इस योजना के बन्द हो जान के बाद मजदूरों की मजदूरी बन्द हो गई थी, काम में घाटा हो गया था। म जानना चाहता हूं कि इस योजना के बन्द होने से कितने की क्षति हुई और क्या-क्या नुकसान हुआ ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, इससे पहले कि मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दूं मैं सम्मानित सदस्य से यह निवेदन कर दूं जैसा कि उन्होंने प्रश्न में कहा है कि विगत जनता सरकार द्वारा ग्रामीण जनता को राहत हेतु जो योजना चलाई गई, तो यह योजना जनता सरकार द्वारा नहीं चलाई गयी बल्कि कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई है। सबसे पहले इसके सम्बन्ध में दो जी0ओज0 है—एक 23 फरवरी का है और दूसरा मार्च, 77 का ह, जिसके द्वारा इस योजना के सम्बन्ध में पूरी रूपरेखा दी गयी है।

जहाँ तक माननीय सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध है कि राष्ट्रपति शासन में इस योजना को किस तरह से खत्म किया गया, या इस योजना को रोका गया। ऐसी बात नहीं है। जो प्रायोरिटीज थीं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया। सड़कें काफी बन चुकी थीं और उत्तर प्रदेश में 28,400 किलोमीटर तक की मिट्टी पड़ चुकी थी, उस पर 156 करोड़ रुपया लग चुका है। लेकिन यह काफी नहीं ह। सूखा पड़ने के कारण प्रायोरिटीज में तब्दीली कर दी गयी।

जहाँ तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, जहां-जहाँ खाद्यान्न नहीं दिया गया है, उसके सम्बन्ध में सरकार ने कार्यवाही की है और कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई है। ब्रह्म प्रकाश श्रीवास्तव, बी0डी0ओ0, जगदीशपुर, श्री रामपाल सिंह, बी0डी0ओ0, बस्ती, श्री राम प्रसाद सिंह, बी0डी0ओ0, बस्ती, श्री बली राम, बी0डी0ओ0 मिर्जापुर, श्री भूपेन्द्र नाथ, बी0डी0ओ0, लखीमपुर, श्री जगदीश प्रसाद, बी0डी0ओ0,, प्रतापगढ़, इनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है, इसके अलावा जहाँ पर भी आप गलती इंगित करेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम सागर—

इससे पहले सरकार ने गल्ले के दाम लागत आधार पर दिए थे जिससे किसानों ने काफी गल्ला स्टोर में जमा करने के लिए दिया उसका परिणाम हुआ कि योजना पिछले सालों में चली, इस समय जिस कीमत पर गल्ला सरकार खरीद रही है उससे किसानों को लाभ नहीं है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि किसान गल्ला बेचे, उसकी सही कीमत मिले, क्या गल्ले के दाम बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री प्रियदर्शी जेतली—

अध्यक्ष जी, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इधर से मुश्किल से एक ही प्रश्न हो पाता है।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें, 'अन्याय हो रहा है', का अर्थ केवल यह है कि अध्यक्ष पीठ से अन्याय हो रहा है। जिस प्रश्न की सूचना यहां आती है, निश्चित रूप से उस आदमी को जिसने प्रश्न पूछा है ज्यादा समय दिया जाता है।

श्री प्रियदर्शी जेटली—

मैंने यह नहीं कहा कि अध्यक्ष पीठ से।

श्री मित्र सेन—

मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, माननीय मन्त्री जी ने कुछ राजनीतिक जवाब दिया। अब मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत जिस काम को जारी रखना चाहते हैं, आन वाले वर्ष में उस काम की रूपरेखा क्या होगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

इस समय जो केन्द्र सरकार से हमें एलोकेशन मिला है गल्ले का, वह 195000 मी0 टन है, जो डिपार्टमेन्ट को दिया गया है। 1319 मी0 टन यूटलाईज किया गया, इस में

जो बहुत से विभाग हैं, उनके पास 0.630 मी0 टन पड़ा हुआ है। जो प्रोजक्ट इस समय कम्पलीट हो गये हैं, 24767 हैं। जिनमें प्रोग्रेस हो रही है वह 25731 हैं जो इस समय लेबरर काम कर रहेहैं वह 6.154 मीलियन, जो मैन-डेज क्रिएटेड ड्यूरिंग फोर्टनाईट वह 38.438 लाख है।

श्री ऊदल—

मैं यह जानना चाहता हूं कि गवर्नर शासन में जो काम बन्द कर दिए गये थे, उसमें से बहुत सी योजनाओं पर काम लगा हुआ था, उनका काम अधूरा पड़ा है, उनको पूरा करने के बारे में सरकार का क्या योजना ह ?

श्री अम्मार रिजवी—

मैंने पहले निवेदन किया कि काम बन्द नहीं हुआ है। कुछ प्राथमिकता चेन्ज हुई, जो काम 1979-80 में इस समय हमारे पास चल रहे हैं, उनका ब्योरा इस प्रकार है—सम्पर्क मार्गों में मिट्टी का कार्य 423 कि0मी0 मार्गों के किनारे ईंटे बिछाना -207 कि0 मी0, नये मार्गों का निर्माण 956 कि0मी0 मार्गों का पुनर्निर्माण, 4383 किलोमीटर, भूमि एवं जल संरक्षण तथा वनीकरण 22,361 हेक्टर भूमि पर, बाढ़ नियन्त्रण बाँध की 30 योजनाएं, तालाबों को गहरा करने के कार्य की 1339 योजनाएं, सिचाई हेतु बन्धी निर्माण की 105 योजनाएं, वनीकरण की 35 योजनाएं पटरियों के निर्माण की 178 योजनाएं, ब्लाक भवनों के मरम्मत की 148 योजनाएं, गुलों का निर्माण 4270 किलोमीटर, गुलों की मरम्मत की दो योजनाएं, गन्ना उत्पादन क्षेत्र में मार्गों की मरम्मत 110.745 किलोमीटर, सम्पर्क मार्ग का निर्माण 24,466 किलोमीटर, मार्गों की मरम्मत 188 कि0 मी0 सामुदायिक भूमि पर चहारदिवारी की 20 योजनाएं, ब्लाक भवनों का निर्माण 30 योजनाएं, सामुदायिक कुआं की सफाई 280 योजनाएं, सामुदायिक कुओं का निर्माण 56 योजनाएं, सामुदायिक भूमि (खेलकूद के मैदान) का सुधार 64 योजनाएं, पुलियों का निर्माण 1053 योजनाएं, लकड़ी के तख्तों का पुल एक योजना, स्टार्म वाटर ड्रेन 244 कि0मी0 सामुदायिक भवनों की मरम्मत की 15 योजनाएं, अन्य 62 योजनाएं, वनीकरण 35877 हेक्टर, और पौधों का लगाना 7,068 किलोमीटर कतार लगान का कार्य सम्पन्न किया गया है।

श्री रियासत हुसैन—

मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि पार्लियामेंट के चुनाव के बाद कोई जी0ओ0 जिलाधिकारियों के नाम इस आशय का भेजा गया था कि जो फूड-फार-वर्क में काम हो रहा है, उसमें जो काम चल रहा ह, उनको तो किया जाय, किन्तु किसी नये काम को उसके अन्तर्गत टेक-अप न किया जाय, जब तक इस बारे में दूसरे आदेश उन्हें न प्राप्त हो ? यदि हां, तो यह आदेश देने का क्या कारण था और उसके कारण मजदूरों का जो गल्ला रुका, उसको न दिए जाने का कारण क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया मार्गों के निर्माण का कार्य रोका नहीं गया। केवल, चूंकि काफी लम्बे मार्ग बनाए जा चुके थे, इसलिए शासन के सामने यह विचारणीय था कि इसी तरह से और अधिक कच्चे मार्ग बनाए जायं बिना उन्हें पक्का कराए, या इसे थोड़ा स्लो करके दूसरे आवश्यक कामों को लिया जाय, तो यह निर्णय हुआ कि अब बजाए और कच्चे मार्ग बनवाने के ग्रामों में तालाब आदि का निर्माण होना चाहिए। इसलिए निश्चय हुआ कि इस काम में थोड़ी ढिलाई की जाय. . . . .

श्री रियासत हुसेन—

आप केवल इतना बता दें कि जो जी0ओ0 जिलाधिकारियों को भेजा गया है, वह क्या है, उसे आप सुना दें ?

श्री अम्मार रिजवी--

वह तो नहीं है। लेकिन उसमें केवल अधिक इम्पार्टेंट काम को किए जाने की बात थी, उस काम की और डायवर्ट होने की बात है। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी प्रकार से काम को रोका गया।

श्री रियासत हुसैन--

मन्त्री जी ने माना है कि जिलाधिकारियों को जी0ओ0 भेजा गया है, तो उसे क्या वह सदन के पटल पर रखेंगे ? उसे रख दें तो अच्छा है ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया।)

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

तो क्या मन्त्री जी बस्ती जनपद के बारे में बताने की कृपा करेंगे, जहां पर खुनियांव, डुमरियागंज व इटवा की 3 सड़कें जिला परिषद् से बनवाई गयीं, जिसमें से खुनियांव वाली सड़क के लिए 50 हजार रुपए का भुगतान हो गया, किन्तु मस्टर रोल गायब है और किसानों-मजदूरों को मजदूरी नहीं दी गयी है ? क्या कोई ऐसी शिकायत उन्हें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या वह इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दंडित करने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

उत्तर प्रदेश एक व्यापक और फैला हुआ प्रदेश है, जिसमें 784 ब्लाक्स हैं। अतः हर ब्लाक के सम्बन्ध में जानकारी रखना सम्भव नहीं है। यदि सम्मानित सदस्य ने कोई इस तरह की शिकायत की है, तो उसकी जांच कराई जा रही होगी, तो उसके बारे में शिकायत भेज दें, उसकी जांच अवश्य करा ली जायगी।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, अभी पाण्डेय जी ने विवेक की बात कही थी, तो आपने तर्क कहा था, तो इसी बारे में मैं जानना चाहता हूं, जैसा मन्त्री जी का कहना है कि कुछ योजनाएं अभी चल रही हैं, तो तालाब जो खुदवाए गये, वह भी अब बरसात में भर गये हैं और जो नहीं खुदवाए गये, वह भी जगह-जगह तालाब भर गए हैं, तो यह काम क्या केवल कागज पर चल रहा है या मौके पर भी चल रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य ने मेरे निवेदन को सुना नहीं। मैंने यह शुरू में कहा था कि यह कार्य पूरे किए जा चुके हैं। जब पूरे हो चुके हैं, तो कार्य का सवाल कहां है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो यह 28 हजार किलोमीटर सड़कें बनी हैं, क्या उनको पक्का कराने का विचार सरकार का है और जनता पार्टी की सरकार के जमाने में जिलाधीशों को पुलियों के निर्माण हेतु भी करीब 14 या 15 लाख रुपया दिया गया था, क्या वह रुपया यूटीलाइज हो चुका है ?

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी--

मैं 11 मार्च, 1977 के भारत सरकार के जी0ओ0 को पढ़ रहा हूं--

"I am directed to refer to the D. O. letter of even number, dated the 23rd February, 1977 addressed to you by the Secretary, Department of Rural Development and the discussions held with representatives of some of the State Governments in this Ministry on the 28th February, 1977 regarding the Scheme for generation of additional employment opportunities in the rural areas on the maintenance of public works by utilising the stocks of foodgrains with the Government of India....."

इसमें माननीय, 23 फरवरी के जी0ओ0 का हवाला दिया गया है और उसमें रोज़-गार देने तथा गल्ले के सदुपयोग करने के लिए कहा गया है। इस योजना की पूर्ण रूप से रूपरेखा कांग्रेस सरकार ने ही बनाई थी। पुलियों के सम्बन्ध में जो पूछा है, तो 1053 पुलियों का निर्माण हो चुका है। सड़कों को पक्की कराने के बारे में जो पूछा है, हमारा तो विचार है कि कोई रास्ता कच्चा न रहे, पर इनको पक्का कराने के लिए 156 करोड़ रुपए चाहिए जबकि बजट ही हमारा कुल 49 करोड़ रुपए का है। अब 156 करोड़ की इतनी बड़ी धनराशि हमारे पास नहीं है, लेकिन जो भी अधिक से अधिक रुपया हमें मिलेगा, हम पक्का करायेंगे।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा---

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो शासनादेश आपके हक में था, उसे तो पूरा दिया गया, लेकिन जिस शासनादेश के तहत तालाब खोदवाने और सड़कों का काम स्थगित करने का निर्देश दिया था, वह शासनादेश सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी---

श्रीमन्, मेरे पास इस समय वह शासनादेश नहीं है। यह काम पुनः विचार के लिए जरूर रहा होगा, लेकिन काम रोकने के लिए कहीं पर विचार नहीं रहा है।

मैडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों में भर्ती में पिछड़ी जातियों का आरक्षण

*** 2---श्री मोहन सिंह---

क्या राष्ट्रीय एकीकरण मन्त्री को पता है कि प्रदेश के विगत बनारसी दास मन्त्रि मण्डल में पिछड़ी जातियों को नौकरियों में प्रोन्नति सम्बन्धी आरक्षण एवं मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों में भर्ती सम्बन्धी आरक्षण की प्रथा को समाप्त करने का निणय लिया था ? क्या मौजूदा शासन इस निर्णय को कार्यान्वित करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी---

यह विषय शासन के विचाराधीन है।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, माननीय रिजवी साहब तो प्रश्नों का उत्तर भाषण के जरिए देते हैं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर कुछ शब्दों में दिया गया। मान्यवर, प्रदेश के विगत बनारसी दास मंत्रि मण्डल ने पिछड़ी जातियों को नौकरियों में प्रोन्नति सम्बन्धी आरक्षण एवं मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों में भर्ती सम्बन्धी आरक्षण की प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया था ? क्या मौजूदा शासन इस निर्णय को कार्यान्वित करने जा रही है ? मान्यवर, महामहिम का भाषण हुआ और दो महामहिम राज्यपाल ने दो विभिन्न वक्तव्य दिए। प्रोन्नति के कार्य इसी जुलाई के महीने में होते हैं। इंजीनियरिंग कालेज में भर्ती का कार्य भी इसी जुलाई के महीने में हो जायगा। इस वर्ष जो पी0एम0टी0 टेस्ट हो रहा है या जो इंजीनियरिंग कालेज में भर्ती हो रही है या जो इस वर्ष रिटायर हो रहे हैं, उनके स्थान पर जो प्रोन्नति हो रही है, उसमें क्या आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दिया है ?

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, यह प्रश्न राज्यपाल शासन के सामने आया था, उसके बाद उन्होंने यह कहा कि जो पापुलर गवर्नमेन्ट आयेगी, वह इस पर कोई निणय लेगी। इस समय यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई ऐसा निणय जल्दी में करना या कोई ऐसी बात करना जब तक कोई फैसला न हो जाय, उचित नहीं है। इसी वजह से इस पर काफी गम्भीरतापूर्वक विचार हो रहा है। कोई भी बात उसी समय माननीय सदस्य को बता सकूंगा, जब कोई निर्णय हम ले लेंगे।

श्री म न सिंह—

मान्यवर, इस समय जुलाई में जो भर्ती हो रही है, उसमें आप यह आरक्षण की व्यवस खेंगे या नहीं, क्योंकि जुलाई अब खत्म होने वाली है ?

श्री सभापति—

माननीय मन्त्री जी उत्तर तो दे चुके।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, यह जुलाई का महीना खत्म होने वाला है, चाहे पी० एम० टी० की भर्ती हो, चाहे प्रोमोशन्स की बात हो, आरक्षण के सम्बन्ध में शासन ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, तो क्या यह भर्ती रुकी रहेगी ? क्या पालिसी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, अभी यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। जो इस सम्मानित सदस्य ने शंका व्यक्त की है, वह बिलकुल सही है कि दाखिले के पहले यह कार्य पूरा हो जाना चाहिए, तो सरकार इस सिलसिले में शीघ्र निर्णय लेगी।

श्री ऊदल—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस शासन का निर्णय था। मैं इसके बारे में भी जानना चाहता हूं कि 1974 से 77 तक जिस मन्त्रिमण्डल में माननीय मन्त्री जी स्वयं थे और माननीय नारायण दत्त तिवारी जी, मुख्य मन्त्री थे, क्या उसी मन्त्रि मण्डल का निर्णय यह था कि 15 प्रतिशत बैकवर्ड के रिजर्वेशन का था ? यदि था, तो इसको रोकने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, इसे हम लोगों ने नहीं रोका, जनता सरकार ने रोका था।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं जैसा उन्होंने अपने उत्तर में बताया कि इस सम्बन्ध में बहुत सी बातें विचाराधीन हैं। क्या यह बात भी विचाराधीन है कि रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर किया जायगा ? यदि हां, तो वह इस पर भी निर्णय लेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

जब मामला विचाराधीन है, तो उससे सम्बन्धित सभी प्रश्न विचाराधीन हैं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, हर चीज जब विचाराधीन है, तो क्या जब तक विचाराधीन समाप्त नहीं हो जाता, तब तक रिजर्वेशन पर ध्यान नहीं दिया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, यह प्रश्न भी विचाराधीन है ?

अतारांकित प्रश्न

1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सीतापुर नगर में स्टेडियम निर्माण की योजना

2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या खेलकूद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सीतापुर नगर में स्टेडियम बनवाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो स्टेडियम कब तक बन पायेगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--
जी हां।
यह भूमि तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

सीतापुर जिले के नलकूप संख्या 70 का निर्माण एवं मुआवजा

3--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--
क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में राजकीय नलकूप सं० 70 जिस भूमि पर बना है क्या उसका मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--
जी नहीं। भू-अर्जन की कार्यवाही चल रही है। इसके पूर्ण होने पर मुआवजा का भुगतान किया जायगा।

सीतारगंज कारागार एवं कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर की बैलेंस शीट

4--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--
क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सितारगंज कारागार तथा कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर के बीच हुए समझौते के परिणाम स्वरूप 2 अक्तूबर, 1975 को लागू शासनादेश संख्या ई-12/2352/10175 के बाद अभी तक कारागार तथा फार्म की बैलेंस-शीट नहीं बन पाई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--
संयुक्त उद्यम, सितारगंज की वर्ष 1975-76 की बैलेंसशीट बनाई जा चुकी है। वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 की बैलेंस शीट सम्परीक्षा में है और वर्ष 1978-79 की बैलेंसशीट निर्माणाधीन है।

प्रदेश की सिंचन योग्य असिंचित भूमि का सर्वेक्षण

5--श्री रामस्वरूप वर्मा--
क्या सिंचाई मन्त्री सारे प्रदेश का सर्वेक्षण कराकर सदन को यह सूचित करने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सारी सिंचन योग्य असिंचित भूमि में से कितनी बांध से नहर निकाल कर, कितनी पम्प कैनाल बनाकर, कितनी ट्यूबवेल से और कितनी तालाब बना कर सींची जा सकती है तथा ऐसी सारी भूमि को सीचने में कितना धन और कितना समय लगेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--
प्रश्न में वांछित सर्वेक्षण कराना एक वृहत एवं व्यापक कार्य है, जिसमें अनेक वर्षों का समय लगेगा। पूर्ण सर्वेक्षण करने के उपरान्त ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किस-किस स्रोत से कितनी मात्रा में जल का उपयोग करना सम्भव होगा। तभी प्रदेश को भूमि को पूर्ण सिंचाई प्रदान करने के लिए आवश्यक धनराशि का भी अनुमान लगाया जा सकता है।

6--श्री रामस्वरूप वर्मा--
[3रे बुधवार के लिए स्थगित।]

7--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--
[3रे बुधवार के लिए स्थगित।]

सीतापुर जिले के विकास खण्ड खैराबाद व परसेंडी में नलकूपों के लिए अधिहीत भूमि का मुआवजा

8—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के विकास खण्ड खैराबाद तथा परसेंडी में जो-जो राजकीय नलकूप तथा उनकी गूलें वर्ष 1974 से 1980 (अप्रैल माह) के बीच जिस भूमि पर बनी हैं, क्या उन सब का मुआवजा दे दिया गया है ? जिनका नहीं दिया जा सका है उसका कारण क्या है तथा कब तक अदा कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ?

सम्पूर्णानन्द बन्दी शिविर सितारगंज, नैनीताल के बंदियों की बकाया मजदूरी

9—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्णानन्द बन्दी शिविर सितारगंज जिला नैनीताल के बन्दी श्रमिकों का दैनिक मजदूरी का कुल कितना रुपया 24-10-79 को बकाया था ? बकाया होने का कारण क्या है तथा यह धन कब तक दे दिए जाने की सम्भावना है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

दिनांक 24-10-79 तक की दैनिक मजदूरी के रूप में रुपया 5,82,133.50 पैसे की धनराशि बकाया थी। इसमें से रु0 3,71,198.75 का भुगतान किया जा चुका है और अब रु0 2,10,934.75 भुगतान हेतु अवशेष है ।

संयुक्त उद्यम द्वारा पारिश्रमिक का समय से भुगतान न किए जाने के कारण बंदियों का पारिश्रमिक बकाया हो जाता है ।

संयुक्त उद्यम ने जुलाई, 1980 तक पारिश्रमिक की अवशेष धनराशि के भुगतान के करने का आश्वासन दिया है ।

रामपुर जिले के किसानों का सिंचाई पर्चा

10—श्री बलवीर सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले में सरकारी नहर अथवा नलकूप के सिंचाई आबयाना की पर्ची पतरोल तथा अमीन द्वारा व्यक्तिगत किसानों को तीस दिन पूर्व नहीं दी जाती है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । जनपद रामपुर में राजकीय नलकूपों की महसूल आबयाना का पर्चा निर्धारित समय पर पैमाइश के समय अमीन द्वारा कृषकों को वितरित किया जाता है जो कृषक पैमाइस के समय उपस्थित नहीं होते हैं उनका सिंचाई पर्चा ग्राम प्रधान को देकर रसीद प्राप्त कर ली जाती है ।

आजमगढ़ जिले के हरैया तथा आजमगढ़ ब्लाक में नलकूपों की संख्या

11—श्री पंचानन—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के हरैया तथा आजमगढ़ ब्लाकों में इस समय अलग-अलग कुल कितने राजकीय नलकूप हैं तथा इनका निर्माण किन-किन वर्षों में हुआ है ? इन ब्लाकों में कौन-कौन सी ऐसी गाँव सभाएं हैं जिनमें राजकीय नलकूप नहीं हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

[समय पूर्वाह्न 11.55]

भूतपूर्व सदस्य, श्री कैलाश कुमार सिंह के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

मान्यवर, श्री कैलाश कुमार सिंह का निधन 3 मई, 1980 को बदायूं में हो गया। उनकी अवस्था 52 वर्ष थी। यह वह अवस्था है जबकि जीवन-वृक्ष अनुभूतियों में रस लेकर सबसे अधिक फल देने की क्षमता में रहता है और उनकी इस जीवन-वृक्ष की शाखाएं केवल एक ही दिशा में नहीं बल्कि बहुमुखी दिशाओं में फैली हुई थीं, चाहे सहकारिता में हो और चाहे जन सेवाओं की हों। चारों ओर उनकी सेवाएं फैली हुई थीं। इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से अपनी समवेदनाएं प्रकट करना चाहता हूं ताकि दिवंगत आत्मा को शांति मिले। इसकी मैं प्रार्थना करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, जैसा कि माननीय नेता सदन ने स्व0 श्री कैलाश कुमार सिंह के निधन पर समवेदनाएं प्रकट की हैं मैं अपने और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, श्री कैलाश कुमार सिंह समय से पहले ही इस दुनिया से चले गये। सन् 67 में वे इस सदन में सत्ता पक्ष में रहे। सन् 1957 में वे सा0 सदस्य के रूप में चुनकर आये थे। जैसा कि माननीय नेता सदन ने कहा कि उनका कार्य-क्षेत्र बहुमुखी था। किसानों के बीच में, सामाजिक सेवाओं आदि में वे अग्रणी रहे। मैं और मेरा दल उनके निधन पर अपनी समवेदनाएं प्रकट करना चाहता है और आपसे निवेदन करता है कि आप हमारी भावनाएं शोक-सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

श्री फखरे आलम—

मान्यवर, श्री कैलाश कुमार सिंह के निधन के सिलसिले में जो बातें माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने कही हैं, मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। मुझे आज भी बहुत दुःख है। वे हमारे जिले से एम0 एल0 ए0 रहे हैं। हमारा और उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा सम्बन्ध रहा है, हमारे बहुत पुराने साथी थे। मैं उनको सिर्फ कांग्रेस मैन की हैसियत से नहीं जानता बल्कि हम दोनों साथ-साथ पी0 सी0 सी0 के मेम्बर भी रहे हैं और जिले में भी बहुत से काम हम लोग साथ-साथ करते रहे हैं। हमारा उनका साथ 3 जेनरेशन से रहा है। स्व0 कैलाश कुमार सिंह जी के निधन से जो दुःख हम लोगों को हुआ है और जो नुकसान हमारे जिले को हुआ है, वह ऐसा है जिसकी बहुत अर्से तक पूर्ति नहीं हो सकती। स्व0 कैलाश कुमार सिंह एक तन्दुरुस्त व्यक्ति थे, कोई बीमारी भी उनको नहीं थी। उनको कभी कोई साधारण बीमारी की भी शिकायत, बुखार, जुकाम आदि की भी नहीं हुई। हम लोग कहा करते थे कि आप अपने को कब तक मेनटेन रखेंगे। मालूम होता है उनको नजर लग गयी और बहुत पहले वह इस दुनिया से चले गये। उन्हें बहुत कुछ काम करना था, वह नहीं कर सके। कोआपरेटिव सेक्टर में कैलाश कुमार सिंह की बहुत बड़ी परफार्मेन्स हुई, बहुत काम किया और मैं समझता हूं कि बदायूं में जो चीनी मिल बनी हुई है, उसका बनाने का बहुत बड़ा क्रेडिट स्वर्गीय कैलाश कुमार सिंह को जाता है। वह बहुत ही होनहार आदमी थे। वह राजनीति में रहे उन्होंने बहुत दिन तक वकालत किया। वह ऐसे खानदान में, लैण्डलार्डों के खानदान में, जमींदार खानदान में पैदा हुए थे। वह इतना आवाम से मिल चुके थे कि उन्हीं में से एक थे। चीनी मिल को बनाने में पहले उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा काम था कि बदायूं जिले में चीनी मिल की स्थापना नामुमकिन है, यहां चीनी मिल नहीं चल सकती है, इटावा और बरेली में पहले से ही चीनी मिल थी। बदायूं सैण्डविच हो गया था। वे बिल्कुल तन्दुरुस्त और हट्टे-कट्टे थे, मरने से 4 घंटे पहले मुझसे बात करते थे।

मैं नहीं समझता था कि वे इतनी जल्दी हम से अलग हो जायेंगे। श्री कैलाश कुमार सिंह के मरने से मुझे बहुत अफसोस है। मैं तो समझता हूं--"मौत उसकी ह जिसे याद करे जमाना, यूं तो सभी आते ह इस दुनियां में मरने के लिए" मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से आपसे निवेदन करूंगा कि हम सब की तरफ से दुःखी परिवार तक इतनी बात पहुंचाई जाय और कहा जाय कि अब हम ऐसे मौके पर क्या उनसे कह सकते हैं। उनके किस काम में शरीक हो सकते हैं किस दुःख को हल्का कर सकते हैं। उन्होंने अपने पीछे जो परिवार छोड़ा है हालांकि उसको किसी किस्म की परेशानी नहीं है मगर जो बात कैलाश कुमार सिंह जी के जीते जी होती वह न उनके खानदान को हासिल होगी और न प्रदेश को। श्री कैलाश कुमार सिंह के मरने से जो कमी हो गयी है वह पूरी नहीं हो सकती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर; स्वर्गीय कैलाश कुमार सिंह के सम्बन्ध में जो उद्गार माननीय नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष दल, नेता कांग्रेस (अर्स) के द्वारा व्यक्त किया गया है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, मैं उनकी आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना करता हूं। मान्यवर, व जिले और प्रदेश में लोकप्रिय थे। उनकी सेवाएं उल्लेखनीय रही हैं और उनके समय से पहले हमारे बीच से चले जाने से ऐसी क्षति हुई है जिसे पूरा करना कठिन है। इन शब्दों के साथ मैं दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी और से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी भावनाएं उस शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचा दी जायं।

श्री भीखा लाल--

श्री कैलाश कुमार सिंह के सम्बन्ध में जो विचार नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किये हैं मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध है कि हमारे दल की ओर से हमारी समवेदना उनके दुःखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री रियासत हुसैन--

स्वर्गीय कुंवर कैलाश कुमार सिंह के सम्बन्ध में नेता सदन, नेता विरोधी दल, नेता कांग्रेस (अर्स), नेता भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने जो उद्गार व्यक्त किये हैं मैं अपने को और अपने दल (जनता जे0पी0) को उससे सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमन्, कुंवर कैलाश कुमार सिंह जी 'कुंवर' के नाम से ही परिचित थे। जब कभी वह मुझे मिले, मैंने देखा उन्हें धुन लगी थी कि बदायूं में चीनी मिल की स्थापना कोआपरेटिव सेक्टर में कैसे हो? बदायूं जिले ने अपना बड़ा कार्यकर्ता खोया है। इसलिए मेरी, मेरी पार्टी की ओर से समवेदना उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

जो विचार माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा विभिन्न दलों के नेताओं ने प्रकट किए हैं मैं उनसे अपने को तथा अपने दल जनता (एस) को सम्बद्ध करता हूं। जहां तक उनकी सेवाओं का प्रश्न है उन्होंने अपने जीवन काल में शैक्षिक और सामाजिक कल्याण के बहुत से काम किए हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। ऐसी सूरत में अपने दल की ओर से मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी समवेदनाएं उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री राम आसरे वर्मा--

स्वर्गीय कुंवर कैलाश कुमार सिंह के असामयिक निधन पर जो समवेदनाएं नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त की हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। मेरी तथा मेरे प्रगतिशील विधायक दल की ओर से भी समवेदना शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने जो भावनाएं कैलाश कुमार जी के निधन पर व्यक्त की हैं मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं। श्री कैलाश कुमार सिंह एक सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उनमें सबसे अधिक सहकारिता का कार्य करने की रुचि थी तथा उसमें भाग लेने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने कार्य काल में लोक हित और लोक कल्याण के लिए दिल लगा कर कार्य किया। हम सबको उनकी मृत्यु से अत्यन्त दुःख है। आप सबकी भावनाएं तथा अपनी भावनाएं मैं उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाऊंगा।

अब इस अवसर पर हम सब 2 मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सभी सदस्य 2 मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

[समय अपराह्न 12.09 से]

अलीगढ़ जनपद के थाना हरदुआगंज निवासी श्री राजवीर सिंह व श्री शिवकुमार सिंह को थाना नागल के दो इन्सपेक्टरों द्वारा लूट व हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम नरायन तिवारी—

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अभी शोक प्रस्ताव के बाद व्यवस्था की क्या बात हो सकती है ?

श्री श्याम नरायन तिवारी—

नियम की बात है.....

श्री अध्यक्ष—

नियम के अनुकूल चलने दें। मैं खड़ा हूं। आप बैठ जायं। अभी कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हुई है। केवल मैं खड़ा हूं। उसमें आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

मेरे समक्ष आज नियम 301 की कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से 5 सूचनाएं स्वीकृत हुयीं।

***श्री प्रदीप कुमार यादव—**

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सरकार का ध्यान एक लोक महत्व के प्रश्न पर जो मौजूदा समय में प्रदेश की कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई हालत से सम्बन्धित है, सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बागपत काण्ड को मात करने वाली एक क्रूर दास्तान जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत थाना हरदुआगंज निवासी दो नवयुवक सर्वश्री राजवीर सिंह और शिव कुमार सिंह से सम्बन्धित, जो 20 हजार रुपया लेकर मेटाडोर खरीदने विगत 24 मई, 1980 को सहारनपुर आये थे और अपने एक रिश्तेदार श्री गोपाल वर्मा, सैम्पुल सर्वे अधिकारी के घर ठहरे। जब ये लोग दिनांक 25 मई, 1980 को वापस नहीं लौटे तो मालूम हुआ कि उक्त दोनों लड़कों से थाना नागल के दो सब इन्सपेक्टर सर्वश्री आर0के0 चौधरी, तेजपाल सिंह ने दोपहर के लगभग साढ़े 12 बजे बलिया खेड़ा रेलवे क्रासिंग के निकट मु0 20 हजार रुपए उनसे छीन लिए और उक्त दोनों लड़कों को यह बताकर कि वे डाकटर थे, मौत के घाट उतार दिया।

उपरोक्त लोम हर्षक एवं हृदय विदारक घटना जन मानस में पुलिस और प्रशासन के प्रति घोर असन्तोष व्याप्त हो गया है और जन साधारण अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अलीगढ़ जनपद के थाना हरदुआगंज निवासी श्री राजवीर सिंह व श्री शिवकुमार सिंह की थाना नागल के दो इंसपेक्टरों द्वारा लूट व हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 507

अतएव सरकार से मेरी मांग है कि दोषी थानेदारों के विरुद्ध रुपया छीनने व हत्या करने से सम्बन्धित मुकदमा दर्ज किया जाय और न्याय के हित में उन्हें तत्काल निलम्बित कर आवश्यक कार्यवाही की जाय।

लखनऊ जिले के कतिपय ग्रामों में बाढ़ की स्थिति तथा राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी—

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र महोना तहसील,मलिहाबाद, लखनऊ के ग्राम जनखनवा, वुधरा, अकड़रिया कलां, अकड़रिया खुर्द, लासा बहादुरपुर, सुल्तानपुर तथा कठवारा गोमती नदी की बाढ़ में हैं। इन ग्रामों की समस्त खेती की भूमि जलमग्न है। ग्रामों का सम्पर्क टूट गया है। यहां के जानवर निकल कर खुले में सड़क पर गांवों से दूर पड़े हैं। यहां के लोगों के सामने भोजन तथा जानवरों के चारे की विकट समस्या है। और यह क्षेत्र अब तक सूखे की चपेट में था अब बाढ़ की चपेट में आ गया है। सहायता के लिए जिला स्तर से केवल 201 रु0 प्रति परिवार दिया गया है, जो कि नगणय है।

अत: यहाँ बुआई के लिए बीज, खाने के लिए खाद्यान्न, जानवरों के लिए चारे का प्रबन्ध, लगान की माफी, पढ़ने वाले बच्चों की फीस माफी, लम्बी अवधि की तकावी, ऋण की व्यवस्था तथा राहत कार्यों के लिए बड़ी नावों की व्यवस्था शासन द्वारा आवश्यक है। बाढ़ के बाद मनुष्यों तथा पशुओं की बीमारी से बचाने के लिए दवाएं व कुओं में पानी की सफाई का प्रबन्ध भी आवश्यक है।

सीतापुर नगरपालिका की दुर्व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, सीतापुर नगरपालिका में पालिका द्वारा नागरिक सुविधाओं की घोर उपेक्षा किये जाने से उत्पन्न विस्फोटक स्थिति आपके माध्यम से आदरणीय सदन तथा शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, इस वर्षा में प्रकाश की दोषपूर्ण स्थिति के कारण रात्रि में घोर अन्धकार रहता है। नालों की सफाई न होने से शहर में जल भराव की दशा उत्पन्न है। 50 से अधिक मकान गिर चुके हैं। एक होनहार नवयुवक की मलवे में दब कर मृत्यु हो गयी है। कूड़ों के ढेर सर्वत्र दिखाई पड़ रहे हैं। वर्षा में सड़कों पर कूड़ा तैरता दिखाई देता है। पाइप लाइन डालने से सम्पूर्ण शहर में सडकें खोदी गयीं परन्तु मात्र मिट्टी से पटाई हो जाने से स्थिति विस्फोटक है। वर्षा से मिट्टी दब गयी और चारों ओर नालियां बन गयी हैं। परिणामस्वरूप छोटी तंग नालियों में रिक्शा आदि चलना सम्भव नहीं है। न जाने कितनी दुर्घटनायें हो चुकी हैं। गन्दगी की सफाई न होने से चारों ओर बदबू आ रही है।

मान्यवर, कुल मिलाकर नाटकीय स्थिति बन गयी है। बीमारी फैल रही है। बार-बार अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करने के बाद भी अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। जनता में भीषण असन्तोष है।

अतएव इस लोक महत्व की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर मांग करता हूं कि सीतापुर नगर में नागरिक सुविधाओं की दशा युद्धस्तर पर ठीक करने हेतु त्वरित आदेश जारी करने तथा उन्हें कार्यान्वित कराने की कृपा की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घाघरा व राप्ती नदी के कटाव से देवरिया व गोरखपुर जिलों के कतिपय ग्रामों को उत्पन्न खतरे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना इस सदन को देना चाहता हूं। हमारे निर्वाचन क्षेत्र बरहज देवरिया में घाघरा, राप्ती नदी के संगम पर स्थित कूरह परसिया गांव घाघरा नदी में चल रहे भीषण कटाव से नदी की धारा में शीघ्र ही विलीन होने जा रहा है विगत शासन ने यहां ठोकर की योजना बनाई थी। 8 लाख की कीमत का पत्थर भी वहां पर गिरा हुआ है, इसमें से अधिकांश नदी की धारा में बह रहा है। सिंचाई विभाग के इंजीनियरों की लापरवाही से ठोकर नहीं बन रही है, कई घर गिर गये। तीन हजार की आबादी शीघ्र ही नदी में चली जायेगी।

ठीक इसी तरह गोरखपुर जिले का पवहरिया गांव जो इसी राप्ती-घाघरा संगम पर है उसे राप्ती नदी तेजी से काट रही है। सैकड़ों एकड़ जमीन राप्ती की धारा म ली गई, शासन निष्क्रिय है।

इस आदरणीय सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कर कूरह परसिया और पवहरिया ग्राम को कटाव से बचाने की त्वरित योजना चालू करने का अनुरोध करता हूं।

देवरिया जिले के पटलेखा थाने के पुलिस सब इन्सपेक्टर, श्री छोटे लाल यादव की असामाजिक तत्वों द्वारा कथित हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरिवंश सहाय---

महोदय, जिला देवरिया, थाना पटलेखा, ग्राम सोनवरसा में गत 13-7-80 5 बजे सायं श्री छोटे लाल यादव पुलिस सब इंस्पेक्टर पटलेखा को अवांछनीय तत्वों ने जान से मार डाला।

ग्राम सोनवरसा के श्री सकलदेव लाल भूतपूर्व लेखपाल ने गांव वालों के खेती की जमीन तथा बसगीत की जमीन पर अपना तथा अपने परिवार वालों का नाम विभिन्न तरीकों से करा लिया है और गांव वालों का रास्ता भी बन्द करना शुरू कर दिया है। इसके विरोध में गांव वाले सी0पी0एम0 के नेतृत्व में दिनांक 13-7-80 को सभा कराये। सभा के विरोध में सकलदेव लाल ने सैकड़ों अवांछनीय तत्वों को इकट्ठा किया तथा पटलेखा थानाध्यक्ष टी0 एन0 राय को भी मिला लिया। लगभग 5 बजे शाम अवांछनीय तत्वों ने सभा में अवरोध उत्पन्न किया। सभा में भगदड़ मच गयी। इसी बीच सकलदेव लाल के लड़के ने फायरिंग कर दिया। दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलना शुरू हो गया। अब पुलिस भी दो खेमों में बंट गयी। सकलदेव लाल के तरफ थानाध्यक्ष सभी बन्दूकधारी सिपाहियों के साथ तथा गांव वालों की तरफ छोटे लाल यादव पुलिस सब इंस्पेक्टर, इसी बीच सकलदेव लाल के गोल की तरफ से कोई दौड़ता हुआ आया और सामने से एक लाठी छोटे लाल यादव पुलिस सब इंस्पेक्टर के सर पर मारा जिससे वे गिर कर वहीं मर गए। यह भी ज्ञातव्य है कि थानाध्यक्ष के पास रिवाल्वर तथा 4 सिपाहियों के पास बन्दूकें थीं परन्तु फायरिंग करके भीड़ पर नियन्त्रण नहीं किया गया। इस घटना के पूर्व छोटे लाल यादव ने शौर्यतापूर्वक दो खूंखार डाकुओं को मौत के घाट उतार दिया था जिससे इलाके के अवांछनीय तत्व उनसे बदले की भावना से प्रेरित थे।

थानाध्यक्ष ने अपने कुकर्मों पर परदा डालने हेतु गांव के 7 लोगों को पकड़ कर जेल भेज दिया है तथा सी0पी0एम0 के कार्यकर्ताओं को मुकदमें में नाहक फंसाया जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गांव इस समय पुलिस के घेरे में है। गांव के लोग गांव को छोड़ दिए हैं। वहां की स्थिति बिगड़ती जा रही है । थानाध्यक्ष की गलती से पुलिस बनाम किसान खेतिहर मजदूर की लड़ाई छिड़ जाने की सम्भावना है, जो बहुत खतरनाक है ।

अतः माननीय सदन के माध्यम से उक्त लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित कर तत्काल हस्तक्षेप के साथ वक्तव्य की माँग करता हूं ।

(व्यवधान)

मोहन सिंह---

मान्यवर, मैंने भी इसको नियम 51 और कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में दिया था। अभी तक तो जनता मारी जाती थी लेकिन अब पुलिस भी मारी जा रही है। मेरी प्रार्थना है कि इस सम्बन्ध में शासन की ओर से एक वक्तव्य आना चाहिए, इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। मान्यवर, देवरिया जिले में बड़ी ही दुखद स्थिति है। वहाँ पर जिला प्रशासन और पुलिस में आपसी सामञ्जस्य नहीं है। जिससे अनेकों घटनाएं हो रही है। अभी हाल में लोक दल के नेता की भी हत्या हो चुकी है। मान्यवर, इस जिले की सीमा बिहार व नेपाल से मिलती है। वहाँ पर शासन की ओर से आदमी गये हैं ताकि वहाँ पर भूमिहीनों को जमीनें दी जाय लेकिन जब वहाँ पर काबिज होने जा रहे हैं तो अराजक तत्व स्थिति को एक्सप्लायट कर रहे हैं। मान्यवर, आप नियम 301 में भी सक्षम हैं शासन को निर्देश देने के लिए कि वे एक वक्तव्य सदन में दे दें यदि इस विषय को आपने कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार न किया हो।

कतिपय सदस्यों की नियम 301 की सूचनाएं स्वीकार न किये जाने पर आपत्ति

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप लोग कृपया शान्त रहें, बैठ जायं ।

श्री मोहम्मद नबी---

मान्यवर, मैंने नियम 301 में सूचना दी थी कि एक आदमी को दिन दहाड़े पुलिस वालों ने बुलाया और मारपीट कर बन्द कर दिया और रात में लेजाकर थ्री-नाट-थ्री गोली मार दी जिससे उसकी जान चली गयी। मान्यवर, उसका परिवार बुरी तरह से दहशत से भर गया है और पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा है। लेकिन आपने उसको स्वीकार नहीं किया।

(श्री अध्यक्ष द्वारा रोकने पर भी बोलते रहें।)

श्री अध्यक्ष---

अब आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। अब आपका भाषण लिखा नहीं जायगा। 5 सूचनायें स्वीकार करनी थीं, वह कर लिया ।

श्री मोहम्मद नबी---

[× × ×]

श्री श्याम नरायन तिवारी---

मान्यवर, मैंने भी दिया था ।

•वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट---[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया ।

श्री अध्यक्ष—

जितनी सूचनायें स्वीकार करनी थीं, उनको स्वीकार कर लिया है। अब इस तरह की परम्परा न डालें। अगर इस तरह से मेरे कहने के बावजूद भी बोलेंगे तो वह कार्यवाही का अंश नहीं होगा।

श्री श्याम नरायन तिवारी—

[× × ×]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरी नियमों की बात कृपया सुन लें। मैंने आपके चेम्बर में दिया था।

श्री श्याम नारायन तिवारी—

मान्यवर, मैं भी आपसे व्यवस्था के बारे में समय माँग रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने निवेदन किया कि नियम 301 में जितनी सूचनाएं दी गयीं, उनमें से मैंने पाँच स्वीकार कर लिया।

श्री श्याम नरायन तिवारी—

मान्यवर, मैंने एक सूचना नियम 301 में दी थी। लेकिन मान्यवर, उसको स्वीकार नहीं किया गया। बड़ी महत्वपूर्ण सूचना थी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने पहले लिख कर दिया था।

श्री श्याम नरायन तिवारी—

मान्यवर, मुझे निवेदन करना है आपके द्वारा दी गयी व्यवस्था के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष—

क्या लिखकर दिया है ?

श्री श्याम नरायन तिवारी—

लिखकर तो नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—

तो आप बैठ जायें। बाद में सुन लूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने नियमों की बात प्रस्तुत की थी। आप कृपया नियम 14 के बारे में सुन लें।

श्री मोहम्मद नबी—

मान्यवर, मेरी सूचना के सम्बन्ध में निर्णय नहीं दिया गया। एक आदमी को उसके घर से बुलाया, फिर मार-पीट कर बन्द कर दिया और रात में गोली मार दी। कई हजार सबूत मौजूद हैं। मान्यवर, इस पर कृपया अपना निर्णय दें। नहीं तो दफा 5 में स्वीकृति दें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने जो अभी निवेदन किया, क्या आपने सुना नहीं ? कृपया बैठ जायं। मैंने कहा कि केवल 5 सूचनाएं लिया है और केवल 5 ही ली जा सकती हैं। अब, मैंने जिसका औचित्य समझा उसको लिया। यह सम्भव हो सकता है कि आपके दृष्टिकोण से आपकी सूचना उन पाँचों से महत्वपूर्ण रही हो। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से जो 5 महत्वपूर्ण थीं, उनको ले लिया। जो नहीं ली गयीं, उनके बारे में न कहें और कृपया बैठ जायं।

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया।

नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना का उत्तर मन्त्री द्वारा न दिए जाने पर आपत्ति

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपके द्वारा जारी करण (पंचम संस्करण) के करण संख्या 14 को देखने की कृपा करें। आप 5 स्वीकार करते हैं और मूल्यवान समय जाता है। मान्यवर, नियम 14 के बारे में ऐसी सूचना के सम्बन्ध में आवश्यक जाँच कर सम्बन्धित सदस्य को अपने हस्ताक्षर से 7 दिन के भीतर जवाब देंगे। यदि 7 दिन में न दे सकेंगे तो मन्त्री जी अन्तरिम उत्तर देंगे। बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है। यदि इसकी अवहेलना हो जायगी तो प्रतिपक्ष का बहुत बड़ा अधिकार समाप्त हो जायेगा और उनका अधिकार भी जो मा0 सदस्य लखनऊ को दिया है। मैंने 8 तारीख को सूचना दी थी, पूरे प्रदेश की महिलाओं की इज्जत की असुरक्षा के सम्बन्ध में।

बड़ी महत्वपूर्ण सूचना थी। आज 16 तारीख हो रही है, मेरे पास किसी तरह की जानकारी मन्त्री जी के द्वारा नहीं मिली। इसके ऊपर क्या कार्यवाही की गयी, इसकी जानकारी मुझे मिलनी चाहिए थी। मान्यवर, महिलाओं की इज्जत का मामला इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का है लेकिन इसके ऊपर आज तक अन्तरिम उत्तर भी नहीं दिया गया है। यदि मान्यवर, यही परम्परा आगे चलने दी गयी तो मैं समझता हूं कि प्रतिपक्ष के ही नहीं बल्कि उस पक्ष के जो जागरूक सदस्य हैं, उनका अधिकार नष्ट हो जायगा। इसलिए मैं इतनी प्रार्थना करूंगा कि आप अपने आदेशों को दोहराएं और जो मन्त्री आपकी आज्ञा को न मानें उनकी भर्त्सना करें और सदन के माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करें। जो सूचनाएं आप स्वीकार करते हैं उसकी जानकारी 7 दिन में मिल जानी चाहिए यह नियमों में व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री मसरूर जाफरी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। यह इतना अहम मसला है इस पर आप बोलने नहीं देंगे। मैंने आपको लिखकर दिया है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री मसरूर जाफरी—

आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री मसरूर जाफरी सदन त्याग कर चले गए।)

श्री श्याम नरायन तिवारी—

व्यवस्था का प्रश्न ह।

श्री अध्यक्ष—

मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आप मेरी व्यवस्था के बीच में व्यवस्था का प्रश्न न उठायें।

मैं माननीय सदस्यों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना विश्वास मुझे दें और मेरा विश्वास आप प्राप्त करें। नियमों के प्रतिकूल अगर कोई बातें होती हैं, नियमों के अनुकूल अगर सदन नहीं चलता है तो जितने प्रश्न, जितना व्यवधान आप करना चाहते हैं, मैं धैर्य से उनको सुनूंगा और नियमों के अनुकूल चलने का प्रयास करूंगा। अगर नियमों को तोड़कर, नियमों से कोई सम्बन्ध न रखकर आप केवल यह चाहते हैं कि आप खड़े होकर बोलेंगे और इस तरह का व्यवधान, जो नियमों के अन्तर्गत नहीं है उसको करना चाहेंगे तो मैं नम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं सदन के अधिकारों को हर तरह से सुरक्षित रखूंगा, चाहे आपकी तरफ से नियमों में व्यवधान हो और चाहे मेरी तरफ से आता हो, चाहे किसी अन्य सदस्य की तरफ से आता हो। नियमों के अन्दर बंध कर मैं कार्य करूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य—

आपकी तरफ से तो आ ही नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने नियम 301 के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया। प्रक्रिया सम्बन्धी करण 14(1) में ऐसा है "दी गयी सूचनाओं का उत्तर कोई मन्त्री सदन में देने के लिए बाध्य नहीं है, किन्तु यदि वे चाहें तो सदन में भी उत्तर दे सकते हैं। सम्बन्धित मन्त्री, ऐसी सूचनाओं के सम्बन्ध में आवश्यक जांच कराकर सम्बन्धित सदस्यों को अपने हस्ताक्षर से 7 दिन में उत्तर देंगे। यदि 7 दिनों में सूचना न दी जा सके तो मन्त्री सम्बन्धित सदस्य को कार्यवाही के सम्बन्ध में अन्तरिम उत्तर देंगे, परन्तु उसका अन्तिम उत्तर अधिक से अधिक एक माह के अन्दर अवश्य माननीय सदस्य को भेज देंगे।" आपका कहना है कि इस सम्बन्ध में कोई सूचना 7 दिन के अन्दर नहीं दी गयी है। मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि ऐसा हमेशा होना चाहिए कि 7 दिन के अन्दर सूचना दी जाय। इस सम्बन्ध में जो सूचना नहीं दी गयी है, तत्काल बिना और कोई समय नष्ट किए अन्तरिम सूचना दे दी जाय और अन्तिम सूचना भी समय के अन्दर ही दे दी जाय।

(मेजों के थपथपाने की आवाजें।)

श्री पंचानन—

मान्यवर, सदस्यों के अधिकारों की रक्षा नहीं की जा रही है। मेरी नियम 301 की सूचना प्रसार अध्यापकों के सम्बन्ध में स्वीकार हुई थी लेकिन उसका उत्तर नहीं मिला है। मेरा अनुरोध है कि आप एक सूची तैयार करें कि कितनी सूचनाएं आपने स्वीकार कीं और कितनी की सूचना दी गयी। हम पढ़ देते हैं और उसका कोई नोटिस नहीं लिया जाता है।

आल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश ब्रांच के संयोजक श्री श्याम नरायन तिवारी को सुविधायें दिए जाने की मांग

[समय अपराह्न 12-30]

श्री श्याम नरायन तिवारी—

मान्यवर, आपसे मैंने लिखित और मौखिक निवेदन किया था और अध्यक्ष द्वारा जारी किए गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण के पंचम संस्करण के नियम 200 में लिखा है कि—

(1) उन्हीं दलों और समुदायों को मान्यता दी जायगी जिनके सिद्धान्तों और कार्यक्रमों में समानता हो और उन्हीं सिद्धान्तों और कार्यक्रमों की घोषणा करके ये निर्वाचन लड़े हों।

(2) उनके कार्यक्रम सदन के अन्दर और बाहर भी रहें। उनका एक संगठन रहे और वह सदन के अन्दर और बाहर सिद्धान्तों के अनुरूप कार्यरत रहें।

(3) समुदाय की मान्यता के लिए यह आवश्यक होगा कि उसमें कम से कम 25 सदस्य हों।

तो मान्यवर, मैं आल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी की उत्तर प्रदेश शाखा का संयोजक हूं और इस पार्टी की तरफ से चुन कर आया हूं और पार्टी के सिद्धान्तों का अन्दर और बाहर प्रचार करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में एक स्वस्थ्य परम्परा स्थापित है। 1952-53 में झारखण्डे राय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इस सदन में अकेले सदस्य थ तो उनको नेता की हैसियत से सारी सुविधायें प्राप्त थीं और आज भी यह कार्यक्रम चल रहा है। तो मान्यवर, मुझे भी वह सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जायं।

श्री अध्यक्ष—

मैं ऐसी बातों के सम्बन्ध में अपने कक्ष में बात कर सकता हूं। इसलिए आप इस सम्बन्ध में मेरे कक्ष में आकर बात कर लें।

श्री श्याम नरायन तिवारी—

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था अवश्य दें।

आल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश ब्राँच के संयोजक श्री श्याम नरायन तिवारी को सुविधाएं दिए जाने की माँग

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठें। पहले नियमों को देखें। जो प्रश्न आपने उठाया है उसके सम्बन्ध में आप मेरे कक्ष में आकर बात करें।

उत्तर प्रदेश सहकारी उपभोक्ता भण्डार केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1979 †

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं सहकारिता अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 650/12-सी-3-10(96)/77-उ0प्र0अधि0 11/66, नियमावली, 1979, दिनांक 26 मई, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सहकारी उपभोक्ता भण्डार केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1979 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (पच्चीसवां) आदेश, 1980††

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं शिक्षा अनुभाग-10 की अधिसूचना संख्या 130/15-10-80, दिनांक 10 जनवरी, 1980 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (पच्चीसवां) आदेश, 1980 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 73 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (चौदहवां संशोधन) नियमावली, 1980 एवं तत्सम्बन्धी शुद्धि-पत्र ††

राजस्व मन्त्री (श्री यशपाल सिंह)---

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं राजस्व अनुभाग(1)की अधिसूचना संख्या 166/2-1(1)/79 उ0प्र0अधि0-1/1951-नियम-1952-संशोधन(14) रा-1-1980, दिनांक 29 फरवरी, 1980 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (चौदहवां संशोधन) नियमावली, 1980 एवं तत्सम्बन्धी शुद्धि-पत्र सं0 166/2-1(1)-79-राजस्व-1, दिनांक 25 अप्रैल, 1980 को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 344 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के वर्ष 1976-77 तथा वर्ष 1977-78 के लेखा पर महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ††

उद्योग मन्त्री (श्री अब्दुल रहमान खां 'नश्तर')---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वित्तीय वर्ष 1976-77 तथा वर्ष 1977-78 के लेखा पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री भगवती सिंह विशारद---

मैं जो माननीय मन्त्री जी ने अभी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रखा है उसके सम्बन्ध में एक आपत्ति प्रकट करना चाहता हूं। मान्यवर, मेरी आपत्ति यह है कि किसी भी लिमिटेड कम्पनी का 18 महीने के अन्दर लेखा परीक्षण सदन के अन्दर प्रस्तुत हो जाना चाहिए लेकिन पिछली सरकार की अकर्मण्यता के कारण इतने दिनों बाद सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। मैं मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भविष्य

---

†छापी नहीं गयी।
††छापा नहीं गया।

[श्री भगवती सिंह विशारद]

में वह इस बात का ध्यान रखें कि जितने भी निगम हैं वे नियमानुसार अपना लेखा परीक्षण की रिपोर्ट सदन के अन्दर समय से प्रस्तुत करेंगे ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1979†

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या-128/बी/33–2–5–आर/62 यू0पी0 ऐक्ट–33/61/रूल/66 अमेंडमेन्ट (3)-79, दिनांक 11 जनवरी, 1980 द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1979 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (लोक सेवा आयोग क्षेत्रांतर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979†

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या यू0ओ0 287–डी–×××III/–2–47/78 यू0पी0ए0–33/1961, नियम 1979, दिनांक 17 जनवरी, 1980 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (लोक सेवा आयोग क्षेत्रान्तगत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979†

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या यू0ओ0 300-डी/33–2–47/78–यू0पी0ए0-33/1961–नियम–1979, दिनांक 17 जनवरी, 1980 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा (सप्तम संशोधन) नियमावली, 1979†

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 4122 बी/33–2–52/79 यू0पी0ए033–1961–रू0 1970–संशोधन (7)–1979 दिनांक 18 जनवरी, 1980 द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 जिला परिषद् सेवा (सप्तम संशोधन) नियमावली, 1979 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

स्थानीय विकास योजना के अधीन जिला परिषद् द्वारा ऋण देना (दूसरा संशोधन) नियमावली, 1979†

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से पंचायत राज अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या यू0ओ0 325–डी/33–2–यू0पी0ए0–33–1961–रूल–78–संशोधन (2)–1979, दिनांक 19 फरवरी, 1980 द्वारा प्रख्यापित स्थानीय विकास योजना के अधीन जिला परिषद् द्वारा ऋण देना (दूसरा संशोधन) नियमावली, 1979 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†जैसी वहीं कही ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा (आठवां संशोधन) नियमावली, 1979†

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 582-बी/33-2-190/71---"उ0प्र0 अधि0 33/61-नियम-70, संशोधन (8)-79, दिनांक 13 मार्च, 1980 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा (आठवां संशोधन) नियमावली, 1979 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

दी उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, लि0, लखनऊ की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे 1977-78 ††

उद्योग मन्त्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)---

मान्यवर, मैं दी उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, लखनऊ की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे 1977-78 के कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

स्वायत्त शासन अनुभाग-2 की अधिसूचना††

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना)---

मान्यवर, मैं स्वायत्त शासन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 2359/9-2-167-77, दिनांक 25 मार्च, 1980 को उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 96 की उप धारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां†††

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, मैं, वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की दिनांक 1 मार्च, 1979 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0टी0-2-21/75/दस-6(19)-78, दिनांक 1 मार्च, 1979, विज्ञप्ति संख्या एस0टी0-2-2176/दस-6(19)-78 उ0प्र0अधि0 15/48-आदेश-79 दिनांक 1 मार्च, 1979 एवं विज्ञप्ति संख्या एस0टी0 2177/दस-6(19)-78-उ0प्र0अधि0 15/48-आदेश-79 दिनांक 1 मार्च, 1979, जो दिनांक 2 मई, 1979 को सदन के पटल पर रखी गयी थी, से सम्बन्धित शुद्धि-पत्र संख्या एस0टी0 2-156/दस-6(19)-78-उ0प्र0अधि0 15/48-आदेश-80 दिनांक 9 जनवरी, 1980 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा---

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1980, जो विधान सभा द्वारा 8 जुलाई, 1980 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 14 जुलाई, 1980 को वापस प्राप्त हो गया है।

---

†छापी नहीं गयी।

††छापे नहीं गये।

†††छापी नहीं गयीं।

श्री रामस्वरूप तथा श्री हुकम सिंह सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

(समय अपराह्न 12-43)

श्री अध्यक्ष---

मुझे दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं माननीय सदस्यों को गिरफ्तारी के सम्बन्ध में --

1--जिलाधिकारी/ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ के वायरलेस सन्देश दिनांक 14 जुलाई, 1980 जो इस सचिवालय में 15 जुलाई, 1980 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री राम स्वरूप, सदस्य, विधान सभा (सहारनपुर) को भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत बागपत में सी0आर0 पी0 सी0 की धारा 144 के उल्लंघन में 14 जुलाई, 1980 को 1-15 बजे अपराह्न बागपत मे गिरफ्तार किया गया। वे जुडीशियल मजिस्ट्रेट, मेरठ के समक्ष प्रस्तुत किए गये, जिन्होंने माननीय सदस्य को 7 दिन का कारावास का दण्ड दिया और वे जिला जेल, मेरठ भेज दिए गये।

इस सम्बन्ध में अधीक्षक, जिला कारागार ने अपने वायरलेस सन्देश दिनांक 15 जुलाई, 1980, जो इस सचिवालय में उसी तिथि को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री राम स्वरूप, सदस्य, विधान सभा, को 7 दिन के साधारण कारावास का दण्ड दिया गया और वे 14-7-80 को 23-50 बजे रात्रि में जिला कारागार, मेरठ में दाखिल किए गये।

2--एस0पी0/डी0एम0, मुजफ्फरनगर से 15-7-80 को टेलीप्रिंटर मेसेज प्राप्त हुआ है कि श्री हुकम सिंह, सदस्य, विधान सभा को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन जारी किए गये आदेशों के उल्लंघन के आरोप में भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत अपराह्न के 1-30 बजे कलेक्टरी के अहाते में गिरफ्तार किया गया और वे इस समय मुजफ्फरनगर की जिला जेल में रखे गये हैं।

शिक्षा राज्य मन्त्री, श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

[समय अपराह्न 12.45]

श्री अध्यक्ष---

जो विशेषाधिकार की सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, उनके बारे में निर्णय दे रहा हूं, पहली सूचना माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री ने 7 जुलाई, 1980 को श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी, शिक्षा राज्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी जिसमें उन्होंने यह शिकायत की है कि 7 जुलाई, 1980 के समाचार पत्रों में राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण निर्णय प्रकाशित हुआ कि हाई स्कूल तक विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य कर दी जायगी। माननीय सदस्य ने अपनी सूचना के साथ "दैनिक जागरण" दिनांक 7 जुलाई, 1980 के नगर संस्करण की एक प्रति भी प्रस्तुत की है जिसमें उक्त सूचना दी गई है। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय राज्य शिक्षा मन्त्री जी से वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त की है। माननीया शिक्षा राज्य मन्त्री ने सूचित किया है कि शिक्षा निदेशक ने समाचार प्रतिनिधियों को सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं बताया है। उन्होंने विज्ञान की शिक्षा के अनिवार्य किए जाने के बारे में जो कहा है वह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के एक प्रस्ताव के बारे में है जिसमें यह संस्तुति की गयी है कि हाई स्कूल में सामान्य विज्ञान अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाय। माननीया शिक्षा राज्य मन्त्री ने यह भी कहा है कि यह संस्तुति जब शासन को प्राप्त होगी तब शासन इस पर अपना निर्णय लेगा किन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक शासन के पास नहीं आया है। इसलिए शासन की ओर से किसी नीति की घोषणा करने का प्रश्न नहीं उठता।

सदन के चलते समय भी शासन की नीति सम्बन्धी घोषणा सदन के बाहर करना विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं माना गया है, अपितु इसे केवल शिष्टाचार या औचित्य का प्रश्न ही माना गया है।

समाचार-पत्रों में जो सूचना दी गयी है वह राज्य सरकार की नीति सम्बन्धी घोषणा नहीं कही जा सकती। अतः इस सम्बन्ध में कोई औचित्य का प्रश्न भी अंतर्गस्त नहीं है। अतः मैं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त एवं श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री द्वारा अभिसूचित प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

मुख्य मन्त्री के विरुद्ध उठाए गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री मोहन सिंह, सदस्य, विधान सभा ने 7 जुलाई, 1980 को माननीय मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी, जिसमे उन्होंने यह शिकायत की थी कि जब विधान सभा व विधान परिषद् का सत्र चल रहा था ठीक उसी समय माननीय मुख्य मन्त्री ने पत्रकारों को अपने कक्ष में बुलाकर बहुचर्चित बागपत काण्ड की न्यायिक जांच बुलन्दशहर के जिला जज द्वारा करवाने की घोषणा की। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री से स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया। माननीय मुख्य मन्त्री ने बताया कि उन्होंने पत्रकारों के सम्मुख बागपत काण्ड की न्यायिक जांच हेतु जो कुछ कहा था वह पत्रकारों के प्रश्न करने पर ही कहा था। यह सूचना 3 जुलाई, 1980 को नहीं दी गयी थी, अपितु 2 जुलाई, 1980 को दी गयी थी, जब विधान सभा तथा विधान परिषद् का अधिवेशन नहीं हो रहा था।

श्री मोहन सिंह ने अपनी सूचना के साथ किसी समाचार पत्र की कतरन भेजी थी जिसको देख कर यह स्पष्ट नहीं होता है कि माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा यह सूचना किस दिन दी मयी। माननीय मुख्य मन्त्री ने अपने उत्तर के साथ "दैनिक स्वतन्त्र भारत" लखनऊ 4 जुलाई, 1980 की एक कतरन संलग्न की है जिससे माननीय मुख्य मन्त्री के इस कथन का समर्थन होता है कि उन्होंने पत्रकारों को जो सूचना दी थी वह 3 जुलाई, 1980 को नहीं अपितु 2 जुलाई, 1980 को दी गयी थी।

सदन के चलते समय मन्त्रियों द्वारा नीति सम्बन्धी घोषणा सदन के बाहर करना विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं माना गया है अपितु इसे केवल शिष्टाचार या औचित्य का प्रश्न ही माना गया है। ऐसी स्थिति में श्री मोहन सिंह द्वारा अभिसूचित प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री रविशंकर त्रिपाठी, सी0ओ0 खैरागढ़, आगरा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मैंने भी एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना आपको दी थी और वह लिखित रूप में दी थी. . . .

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको बता दूं। आपकी सूचना आई है और मैंने उसको माननीय मुख्य मन्त्री के पास भेज दिया है. . . . . .

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह सदन की एक परम्परा रही है कि यदि कोई आदरणीय सदस्य अपने निजी के बारे में कुछ कहना चाहता है तो उसकी बात सुनी जाती है।

मैं समझता हूं कि बदन सिंह जी का मामला बहुत गम्भीर है एक सरकारी अधिकारी ने उनकी अवमानना की है इसकी सूचना आदरणीय सदन में देने के लिए माननीय बदन सिंह जी के विचार सुन लें, उस पर जो जवाब सरकार का आयेगा उस पर निर्णय आप लेंगे यह सदन की परम्परा रही है उनकी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यों से सम्बन्धित कोई भी घटना होती है तो उसको मैं सबसे अधिक महत्व देता हूं। माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है उसके आधार पर मैंने माननीय मुख्य मन्त्री से तत्काल वस्तुस्थिति जानने के लिए कहा है ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, यह विशेषाधिकार का प्रश्न है इसमें आप पहले उनको सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मेरी बात सुन लीजिए, मैं, अपनी बात समाप्त नहीं करने जा रहा हूं कि आप बीच में उठ रहे हैं। इसके बाद भी कोई महत्व की बात रहती है और माननीय सदस्य कहना चाहते हैं तो वह एक मिनट में अपनी बात कह सकते है ।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय सदस्य को आप पहले सुन लें उसके बाद आप निर्णय लेकर वह अगर विशेषाधिकार समिति को जाता है तो भेज दें समिति को वह जाना ही चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है उसके सम्बन्ध में मुझे माननीय मुख्य मन्त्री जी जान लेने में कोई अड़चन नहीं है। मैं माननीय सदस्य की बात भी सुन रहा हूं। अगर विशेषाधिकार का प्रश्न बनेगा तो अवश्य जायेगा, नहीं तो नहीं जायगा ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, दिनांक 10-7-80 को नियम 301 के अन्तर्गत तथा दिनांक 11-7-80 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलते हुए मैंने इसी सदन में सी0ओ0 पुलिस खैरागढ़, जिला आगरा श्री रविशंकर त्रिपाठी के अनियमित एवं पक्षपातपूर्ण रवैए पर प्रकाश डाला था। 12 जुलाई, 1980 को जब मैं आगरा पहुंचा तो उक्त सी0 ओ0 ने मुझे घेर कर भांति-भांति की धमकियां दीं और कहा कि तुमने विधान सभा में मेरे विरुद्ध बकवास की है, देखूगा कि तुम कितने दिन विधायक रहते हैं। उसने यहाँ तक कहा कि हो सकता है कि तुम्हें दूबारा विधान सभा में बोलने का अवसर ही न मिल पाए। जिस समय सी0ओ0 (पुलिस) श्री रविशंकर त्रिपाठी गुस्से में भर कर यह ,बातें कह रहा था उस समय विधायक श्री विजय सिंह राणा, अतर सिंह प्रधान पुराभना एवं श्री बन्चू सिंह निवासी अभुवापुरा मेरे साथ थे ।

मेंरे द्वारा विधान सभा में एक मसला उठाने के कारण सी0 ओ0 पुलिस खैरागढ़ , द्वारा प्रताड़ित करना, धमकी देना एवं भविष्य के प्रति चुनौती देना सदन एवं सदन के माननीय सदस्यों का खुला अपमान है। श्री रविशंकर त्रिपाठी सी0ओ0 पुलिस खैरागढ़, जिला आगरा के पास बहुत से हैंडे हैं। आज कल आप देख रहे हैं कि हमारी कांग्रेस (आई) सरकार पुलिस अधिकारियों को संरक्षण दे रही है और कुछ कांग्रेस (आई) के माननीय सदस्य, इस सी0ओ0 को संरक्षण दे रहें हैं। मुझे अपने जीवन का खतरा है। इसलिए यह मामला मने सदन में उठाया है। मैं आशा करूंगा कि मेरे जीवन की रक्षा करें। मान्यवर, यह अधिकारी क्रूर और दुष्प्रवृत्ति का आदमी है। हमारे अधिकारों के आप संरक्षक हैं। इस अधिकारी को तुरन्त वहाँ से हटाया जाय जिससे मेरे जीवन की रक्षा हो। मेरे आदमियों को चुनचुन कर बुला रहा है और कह रहा है कि आपके विधायक को नहीं रहने देंगें और मुझे आपसे निवेदन करना हैं कि इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दें।

के प्रश्न की सूचना

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के एक माननीय सदस्य ने स्वयं अपनी गाथा आपके सामने सदन को सुनाई। उन्होंने खुद यह कहा कि उनके साथ एक पुलिस के सी0ओ0 ने ऐसा-ऐसा व्यवहार किया है और उनसे उनके जीवन को खतरा है। श्रीमन्, यह तो बहुत ही सीरियस मैटर है। ऐसे मौके बहुत कम इस सदन में आते हैं जब कोई विधायक किसी अधिकारी से त्रस्त होकर यहाँ ऐसी बात कहता है और प्राण रक्षा की बात कहता है। जब एक माननीय सदस्य द्वारा अपने कर्तव्य के पालन में, किसी अधिकारी से प्राणों का खतरा हो जाय, तो यह तो माननीय सदस्य और इस सदन के मूल अधिकारों की, विशेष अधिकारों का स्पष्ट हनन है। इस तरह से कैसे उनकी रक्षा हो पायेगी? माननीय नेता सदन बैठे हुए हैं, यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है, आप उनसे पूछ सकते हैं। यदि उन्हें कुछ कहना है तो वह कह सकते हैं। यदि वह खुद उस सी0ओ0 से पूछना चाहें तो यह बात मुनासिब नहीं होगी।

***श्री भीखा लाल—**

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न बदन सिंह जी ने उठाया है, जिस प्रकार नेता विरोधी दल ने अपनी बात कही है, उसमें दो प्रश्न निहित हैं। एक तो माननीय सदस्य ने जो कहा, जो विधान सभा की कार्यवाही थी उसको लेकर उसने उनको धमकी दी, यह प्राग-दर्शन में बनता है। आप अपने अधिकार से इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री से पूछ सकते है, लेकिन इसमें पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्य मन्त्री वही कहेंगे जो वह सी0ओ0 लिख कर भेजेगा और यह भी कहेंगे कि वह सही है, और वह यह भी कहेगा कि मैंने ऐसा नहीं कहा या नहीं किया। इसलिए इस प्रश्न को अवश्य ही विशेषाधिकार समिति को भजा जाय, जिससे यह स्थिति स्पष्ट हो। आज यह बात आम हो गयी है कि पुलिस अधिकारी जिस किसी से रूष्ट हुए, वह कत्ल का शिकार बनता है। इसलिए इसमें माननीय सदस्य के जीवन रक्षा का अहम प्रश्न भी निहित है। इसकी जिम्मेदारी मुख्य मन्त्री पर और आप पर भी है। अतः इसके हेतु व्यवस्था अवश्य ही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष —

जहाँ तक माननीय सदस्य के संरक्षण का प्रश्न है, मैं मुख्य मन्त्री जी से अवश्य यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों के संरक्षण को वह देखें और उन्हें वह संरक्षण दें। जहाँ तक विशेषाधिकार का प्रश्न जो मा0 सदस्य ने उठाया है, का सम्बन्ध है, उसके बारे में मैंने जैसा पहले कहा, इसको मैंने वस्तुस्थिति जाननें के लिए मुख्य मन्त्री के पास भेंजा है। माननीय सदस्य ने जो यहाँ कहा है, उसको मैंने और पूरे सदन ने सुना है। मुख्य मन्त्री का उत्तर प्राप्त होने के बाद मैं अन्य सदस्यों को भी सुनूंगा। यदि इसे अस्वीकार भी करना है, तो ऐसा नहीं करूंगा कि आपको न सुनूं। उसे जब तक आपके सामने न रख दूं...

(व्यवधान)

***श्री रियासत हुसैन—**

श्रीमन्, आज 16 तारीख से सदन 4 तारीख तक के लिए उठ जायगा। बदन सिंह जी ने बहुत गम्भीर प्रश्न सदन के सामने रखा है कि उन्होंने नियम 301 में जो सवाल उठाए, उसको लेकर सम्बन्धित सी0ओ0 ने धमकी दी है और जो कार्यवाही की बात कही यानी जो उनके जज्बात के बारे में कहा कि बकवास है। ऐसी बात कोई भी बाहर का आदमी कहें तो यह सीधा कान्टम्प आफ हाउस है। इसे तो आप प्रिविलेज कमेटी में भेज ही दीजिए।

●वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी सदस्य का सम्मान व सुरक्षा हम सबका और विशेष कर सरकार का कर्तव्य है। और मैं अश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य की सुरक्षा या सम्मान में कोई लेशमात्र भी कमी नहीं होगी तो वह कमी नहीं होने दी जाएगी और पूर्ण रूप से उसकी रक्षा की जायगी।

(ध्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

नेता, विरोधी दल खड़े हुए हैं, वह जो कहना चाहें, कहें।

श्री राजेन्द्र सिंह---

श्रीमन्, मैं यही कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

मान्यवर, आपके पास सूचना इसकी 12 तारीख को आ गई थी, टेलीग्राम भी आ चुका है। माननीय नेता, सदन तो बड़ी ही क्लासिकल लेगुएज में बोलते हैं, आपने कहा कि उनका कर्तव्य ह सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन उसके बावजूद वे केपेबिल नहीं हो पा रहें हैं। यहाँ एक सी0 ओ0 नें उनको धमकी दी है। अब अध्यक्ष महोदय, इसमें पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको उसका अधिकार तो है, पर आपको इसे स्वीकार कर विशेषाधिकार समिति को भेज देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मैं, मान्यवर, इस बात को दुसरी तरह से रखना चाहता हूं। सवाल इस बात का नहीं है कि एक माननीय सदस्य की सुरक्षा का क्या होगा, रक्षा तो भगवान करता है, यह सरकार क्या कर पायेगी। हम दुसरी बात कहना चाहते हैं। जब एक माननीय सदस्य सदन में कोई सूचना देता है तो यह समझा जाता है कि उसकी बात सही है। माननीय बदन सिंह ने जो सूचना दी है उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने इसकी भी जानकारी दी है कि जिस समय वह पुलिस कर्मी उनकी और उनके माध्यम से आपकी और इस सदन की अवमानना कर रहा था तो उनके साथ दो विधायक भी थे। इसके बाद भी क्या माननीय सदस्य की सत्यता पर अविश्वास हो रहा है ? पहले भी यहाँ पर माननीय मुकीमुर्रहमान की अवमानना का जब प्रश्न उठा तो उसे माननीय अध्यक्ष महोदय न उस समय विशेषाधिकार समिति को भेज दिया। इसी प्रकार गोरखपुर के एक माननीय सदस्य का जब मामला आया तो उसे भी उस समय के स्पीकर ने विशेषाधिकार समिति को भज दिया। अब आपको क्या विनिश्चय करना है ? आपको केवल यह देखना है कि क्या वह मामला प्राग्दर्शन में बनता है या नही और भेजने लायक है या नहीं। हमें वाक्स्वतंत्र की स्वतन्त्रता मिली हुई है। एक व्यक्ति ने अपनी धौंस में उसे प्रभावित करने की चेष्टा की है। विशेषाधिकार समिति आपकी बनायी हुई समिति है, उसके द्वारा इस मामले की समीक्षा की जायगी। इसलिये इस आदरणीय सदन के सम्मान की सुरक्षा के लिए आप इस मामले को तत्काल विशेषाधिकार समिति को सौप दें।

*श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, यह घटना 12 तारीख की है, मेरे पास भी टेलीग्राम आया था। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इसे बड़े हल्के ढंग से टाल दिया। यहाँ पर बाराबंकी के एस0पी0 के---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खिलाफ मैंने स्वयं एक सूचना दी थी जिसे आपके द्वारा विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया था और एस0पी0 का ट्रांसफर भी कर दिया गया था। जब माननीय सदस्य यहां पर यह कह रहे हैं कि उस सी0ओ0 के रहते उनकी जान माल को खतरा है, तो माननीय मुख्य मन्त्री जी को तुरन्त यह घोषणा करनी चाहिए थी कि उसका ट्रान्सफर कर दिया गया है। उसके बाद वे संरक्षण की बात करते। मैं समझता हूं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति में भेजने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सदन में एक मसला उठाया गया और उसी मसले को आधार बना कर एक सी0ओ0 ने बात कही। मान्यवर, एक माननीय सदस्य ने जो बात कही, उसको सही मानना चाहिए। उनकी बात को तो झुठलाया नहीं जा सकता है। मान्यवर, जहां आप विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करने की घोषणा करें, वहां पर माननीय मुख्य मन्त्री जी को चाहिए कि वहां के जो सी0 ओ0 खैरागढ़ हैं, उनके स्थानान्तरण करने का भी आदेश दे दें, तब तो मैं समझूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने माननीय सदस्य के विषय में सही बात सोचा।

*श्री विजय सिंह राना---

अध्यक्ष जी, दो प्रश्न ज्वलंत हमारे सामने हैं। यह जो माननीय विधायक बदन सिंह के अपमान की बात है, इसके दो पहलू हैं। जब मैं आया था अखबार में रवीशंकर त्रिपाठी के समर्थन में एक कांग्रेसी सदस्य ने एक वक्तव्य अमर उजाला अखबार में प्रकाशित करवाया था। वह मुझे बताया जाय कि केवल आपके आश्वासन कह देने मात्र से क्या आश्वासन मिल जायगा ? जो 'अमर उजाला' में वक्तव्य है, जो बात उसमें कही जा रही है, क्या वह माननीय मुख्य मन्त्री जी को प्रभावित नहीं करेगी ? यह जो घटना है, यह वास्तव में मेरे सामने से गुजरी थी। माननीय विधायक जब वहां से गुजर रहे थे, तब ईदगाह स्टेशन पर उनको अलग से रवि शंकर ने बुलाया और बुलाकर, अभी जो माननीय विधायक ने आपके सामने कहा था, उन्होंने मेरे सामने यह सब बातें कही थीं।

माननीय विधायक ने इससे पहले त्रिपाठी, सी0 ओ0 के सम्बन्ध में जो विवरण यहां सदन में रखा था, उसकी भी जानकारी मेरे सामने आई है। सी0 ओ0 त्रिपाठी ने अपने दोस्तों के बीच म खड़े होकर तो यह कहा था कि मैंने बदन सिंह, एम0 एल0ए0 को पीट दिया है और बाद में उन्होंने स्वयं रिपोर्ट में यह लिखाया कि मुझे बदन सिंह ने पीटा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहुंगा कि यह स्थिति साफ हो जाय। हम लोग यह चाहते हैं कि विधायक के सम्मान को जो ठेस पहुंची है, वह एक गम्भीर मामला है और उसको गम्भीरता से निपटाना चाहिए। जब एक अधिकारी सड़क पर खड़े होकर खुले आम धमकी दे रहा हो, तो विधायक की जनता में क्या स्थिति रह जायगी और जनता में क्या उसका सम्मान रह जायगा ? विधायक का भी अपना कुछ सम्मान होता है। उसकी रक्षा की जाय।

श्री राम स्वरूप वर्मा---

मान्यवर, इसमें थोड़ा भ्रम हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इसमें थोड़ी सफाई हो जाय। इस सदन के हर सदस्य के रक्षक और विशेषाधिकार के रक्षक आप ही हैं। इसलिए मुख्य मन्त्री जी किसी प्रकरण म नहीं आ सकते हैं। माननीय सदस्य के ऊपर एक पाबन्दी है।

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य, श्री बदन सिंह ने जो बताया वे झूठ तो बोल नहीं सकते सदन में। जब एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उन्हें एक अधिकारी ने. . .'

श्री अध्यक्ष---

हर माननीय सदस्य ने इसी विषय पर कहा है। आप अगर कोई नयी बात कहना चाहते हैं तो वह कहें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम स्वरूप वर्मा---

मैं मान्यवर, सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य इस सदन में कह रहे हैं, वह सत्य कह रहे हैं। वह असत्य क्यों कहने लगे ? असत्य के लिए सजा लिखी हुई है। दूसरी बात यह है कि उस अधिकारी ने जो सदन में हो रही कार्यवाही पर अवमानना की बात कही, उसका पूरे सदन की अवमानना से सम्बन्ध है। इसमें मान्यवर, दो विशेषाधिकार के मामले बनते हैं। एक तो यह कि उस माननीय सदस्य को धमकी दी गयी, अपशब्द कहे गये, जिससे अवमानना हुई और दूसरे यह कि सदन में जो कार्यवाही हुई, उसकी अवमानना की गयी, अपशब्दों द्वारा। इसमें माननीय मुख्य मन्त्री जी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। इस सदन के रक्षक आप हैं, मान्यवर। माननीय सदस्यों और माननीय सदन की सुरक्षा आप ही कर सकते हैं। इसकी सुरक्षा आप पर निर्भर करती है। इसलिए इस पर आप अपना निश्चय करें, इस पर किसी की सहायता या विचार-विमर्श की आवश्यकता नहीं है।

(श्री श्याम नरायन तिवारी के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य, इस पर इतने माननीय सदस्य बोल चुके हैं, इस पर काफी विचार हो चुका है।

श्री श्याम नरायन तिवारी---

मान्यवर, मैं एक नई बात करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भी सदन और माननीय सदस्यों की सुरक्षा की बात को माना है और इसको भी मान रहे हैं। इसलिए मान्यवर, यह बात तो अपने आप सिद्ध हो गयी कि इस पर माननीय मुख्य मन्त्री को कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

इसमें नई बात आपने क्या कही ? आप कृपया बैठें, मैंने आपकी बात सुन ली।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

मान्यवर, मुझे एक नई बात कहनी है। विधायकों की सुरक्षा की बात तो लोगों ने बहुत की और उनकी सुरक्षा की गारन्टी भी है। लेकिन जिनकी कोई गारन्टी नहीं होती। कुत्ते की मौत आज बेचारा आम आदमी मारा जा रहा है, उनकी सुरक्षा के बारे में भी कोई पूछ रहा है, कि उनकी सुरक्षा की क्या गारन्टी है ? इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आम जो लोग हैं, जिनकी चर्चा निर्धन, गरीब और हरिजन के नामों से होती है। उन लोगों के क्या हाल ह, उनको भी कोई पूछने वाला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सदन उनकी भी गारन्टी ले।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, श्री बदन सिंह द्वारा जो विशेषाधिकार की सूचना आज प्राप्त हुई है इस पर जिन माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं उससे ऐसा लगता है कि उनको यह आशंका है कि जो माननीय सदस्य ने बात कही है, उसको मैं सही नहीं मान रहा हूं। इस पर जितने भी माननीय सदस्यों ने कहा, मैं सबको सही मान रहा हूं। इन सब बातों को सही मान रहा हूं, इसलिए माननीय मुख्य मन्त्री, जी से पूछा जा रहा है। इस पर कई माननीय सदस्यों ने कहा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी से परामर्श कर लें। इसमें किसी के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। परामर्श तो नियमों से लिया जाता है। इससे सम्बन्धित एक सूचना मुझे देनी है कि अभी विशेषाधिकार समिति संगठित नहीं हुई है। जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से चाहूंगा कि वे माननीय सदस्यों को स्पष्ट आश्वासन दे दें। इस सुरक्षा से सम्बन्धित माननीय सदस्यों ने बहुत से पुराने निर्णयों को भी बताया और बहुत

सी बातें हमारे सामने रखी हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन बातों को दृष्टि में रखते हुए विचार करके अपना निर्णय दें।

श्री मोहन सिंह---

शाम तक इस पर मान्यवर, आज निर्णय दे दें।

विधान सभा की समितियों तथा मन्त्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा

श्री अध्यक्ष---

एक सूचना दे दूं। वर्ष 1980-81 के लिए लोक लेखा समिति के लिए 21 सदस्यों, प्राक्कलन समिति के लिए 25 सदस्यों, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के लिए 25 सदस्यों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिए 21 सदस्यों तथा मन्त्रियों को परामर्श देने वाली 29 स्थायी समितियों में प्रत्येक में 16-16 सदस्यों के निर्वाचन हेतु निम्न कार्यक्रम निर्धारित किया गया है ---

1---नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय।	सोमवार, दिनांक 11 अगस्त, 1980 को अपराह्न 4 बजे तक।
2---नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय।	मंगलवार, दिनांक 12 अगस्त, 1980 को अपराह्न 3 बजे (सचिव, विधान सभा के कक्ष में)।
3---नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय।	मंगलवार, दिनांक 26 अगस्त, 1980 को अपराह्न 5 बजे तक।
4---निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो---	
(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति तथा अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिए।	मंगलवार, दिनांक 2 सितम्बर, 1980 को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 5 बजे तक (विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में) होगा।
(ख) 29 स्थायी समितियों के लिए	बुधवार, दिनांक 3 सितम्बर, 1980 को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 5 बजे तक (विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में) होगा।

राज्य निराश्रित सहायता समिति के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

कृषि मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, राज्य निराश्रित सहायता समिति पर कार्य करने हेतु, उत्तर प्रदेश भिक्षा-वृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 की धारा 3(2) के साथ पठित समाज कल्याण अनुभाग की अधिसूचना संख्या 5724/×××VI-458-67, दिनांक 7 नवम्बर, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध नियमावली, 1975 (यथा संशोधित) के नियम 4(6) के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा के तीन सदस्य, जिसमें कम से कम एक महिला होगी, का निर्वाचन करे।

श्री विद्या सागर नौटियाल---

मन्त्री जी ने गलत पढ़ा है, यह दस-दस, पांच-पांच नहीं हैं, 36 हैं।

श्री मोहन सिंह---

वही हुआ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, राज्य निराश्रित सहायता समिति पर कार्य करने हेतु, उत्तर प्रदेश भिक्षा-वृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 की धारा 3(2) के साथ पठित समाज कल्याण अनुभाग की अधिसूचना संख्या 5724/×××VI-458-67, दिनांक 7 नवम्बर, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश भिक्षा-वृत्ति प्रतिषेध नियमावली, 1975 (यथा संशोधित) के नियम 4(6) के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा के तीन सदस्य, जिनमें कम से कम एक महिला होगी, का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

[अपराह्न 1.20 से]

श्री अध्यक्ष---

मेरे समक्ष नियम 56 के अन्तर्गत 6 सूचनायें आईं जो सभी अस्वीकृत हुईं।

श्री मोहन सिंह---

पढ़ तो दें, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष---

पहली सूचना श्री जटा शंकर सिंह की है बागपत काण्ड के सत्याग्रहियों पर अत्याचार किए जाने के सम्बन्ध में। दूसरी श्री राम सागर की है जनपद बाराबंकी की हरिजन महिला के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले को पैसे की ताकत से दबाए जाने के सम्बन्ध में। तीसरी सूचना श्री मोहन सिंह की है 13 जुलाई, 1980 को देवरिया जिले में सब-इंस्पेक्टर श्री छोटे लाल यादव की मृत्यु के सम्बन्ध में. . . . .

श्री मोहन सिंह---

इस पर वक्तव्य दिलवा दें, मान्यवर, नियम 301 की सूचना के समय ही मैंने आग्रह किया था।

श्री अध्यक्ष---

चौथी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री हरी किशन श्रीवास्तव तथा श्री राजेन्द्र सिंह की वाराणसी नगर के स्थानीय प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

एक मिनट सुन लें, मान्यवर. . . .

श्री अध्यक्ष---

पांचवीं सूचना श्री हरिवंश सहाय तथा श्री नन्द किशोर सिंह की जिला देवरिया में बाढ़ से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में है। और छठी सूचना समय के पश्चात प्राप्त हुई।

श्री श्याम नरायन तिवारी---

बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यवर. . .

श्री अध्यक्ष---

अगर बहुत महत्वपूर्ण थी तो समय के अन्दर आ जानी चाहिए थी।

श्री श्याम नरायन तिवारी---

मैं तो समय से आ गया था मान्यवर, लेकिन कोई लेने वाला नहीं था।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव---

मैंने आपसे आपके कक्ष में निवेदन किया था कि वाराणसी नगर में जो घटना घटी है उसमें भूतपूर्व विधायक श्री शतरुद्ध प्रकाश पर लाठी चार्ज हुआ, महिलाओं पर हुआ, 2 वर्ष का एक बच्चा घायल हुआ। इस बात को लेकर पुलिस तमाम लोगों को बदले की भावना से गिरफ्तार कर रही है। यदि आप इसको कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो केवल इतना माननीय मुख्य मन्त्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वे केवल इतना आश्वासन दे दें कि इसकी जांच करा लेंगे और निर्दोष व्यक्तियों पर झूठे मुकदमें कायम नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मुख्य मन्त्री जी, आपने माननीय श्री हरी किशन श्रीवास्तव की बात सुनी होगी, शायद कुछ इस पर आश्वासन देना चाहें, कुछ बताना चाहेंगे ?

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)---

जांच अवश्य करा लेंगे।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, 10 हजार रुपए घूस लिए गये हैं। यह एस0पी0 की सूचना है। उनका कहना है कि वह बातचीत टेप है। एक महिला के साथ जो बलात्कार हुआ और उसकी जांच के लिए जिसे भेजा गया, उनके एस0पी0 महोदय, उनके बारे में यह शिकायत है बाराबंकी पुलिस कप्तान की कि केस को रफा-दफा करने के लिए रिश्वत मांगी और यह बात चीत शराबखोरी की हालत में टेप रिकार्ड हुई है। जिस शाखा के माध्यम से जांच करा रहे हैं उसके वरिष्ठ अधिकारी अगर मामले को साफ करना चाहें और यह बात वहां के एस0पी0 ही कहें तो इससे ज्यादा और कलंक की क्या बात हो सकती है ? मैंने जो पढ़ा है वह वहां के एस0पी0 की ही बात है। तो कृपया माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान दिलायें। इस सदन के 5 लोगों की एक कमेटी बनाई जाय जो उसकी जांच करे क्योंकि जिसके माध्यम से जांच करा रहे हैं उसकी निष्पक्षता नष्ट हो गई है।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जायं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

मान्यवर, इस सम्बन्ध में कोई मामला दब न सके और न्याय हो सके इसलिए पुलिस उप महा निरीक्षक, फैजाबाद क्षेत्र तथा पुलिस महा निरीक्षक विशेष जांच शाखा द्वारा संयुक्त रूप से जांच की जा रही है। दोनों लगा दिए गये हैं जिससे किसी तरह का मामला दबा न . . .

श्री मोहन सिंह---

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या ऐसी शिकायत बाराबंकी के एस0 पी0 ने भेजी है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

मिली है तभी तो जांच हो रही है।

श्री मित्रसेन---

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष---

आपने कोई सूचना नहीं दी है। यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

नोट---[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मित्रसेन--

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष--

किन नियमों के अन्तर्गत उठा सकते हैं ?

श्री मित्रसेन--

[× × × ×]

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

मैंने कह दिया है, इसकी आज्ञा नहीं दिया है। यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

बागपत काण्ड के सम्बन्ध में और चर्चा की मांग

श्री मोती लाल देहलवी--

औचित्य का प्रश्न उठाने की इजाजत चाहूंगा। मैंने लिखकर भी भेज दिया है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य ने सूचना दी है कि जो विषय वह उठाना चाहते हैं, वह माननीय अध्यक्ष के संज्ञान में है। मेरे संज्ञान में क्या है ?

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मैं बता रहा हूं।

(हंसी)

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मैं कितना अनुशासित हूं ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइए। पहले मेरी बात सुन लें। फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। आपने एक सूचना हमको दी और मैंने कहा कि वह मेरे संज्ञान में है, मैं जानना चाहता हूं और आपने यह बताया नहीं कि मेरे संज्ञान में क्या है ? मुझे बतला तो दें कि मेरे संज्ञान में क्या है ?

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, 11 तारीख को इस सदन में. . .

श्री अध्यक्ष--

मेरे संज्ञान में केवल इतना है कि आपने सूचना दी है कि कुछ मेरे संज्ञान में है।

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी--

11 तारीख को बागपत काण्ड पर चर्चा हो रही थी। इस सदन में अचानक बिजली फेल हो गयी. . . . . .

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

अभी हमारे माननीय सदस्य ने आपके सामने प्रश्न उठाया है औचित्य का। ऐसा मालूम होता है कि आपके और उनके बीच बहुत कुछ व्यक्तिगत मामला है। श्रीमन, आपसे निवेदन है कि माननीय सदस्य को अपने चैम्बर में बुला लें और सुन लें। इस तरह की बात सदन में चलेगी तो सदन का कार्य नहीं चल पाएगा।

श्री अध्यक्ष--

मैं सभी सदस्यों से कह देना चाहता हूं कि वह सदा सर्वदा के लिए सुन लें कि मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। मैं मोती लाल जी से कहूंगा कि यदि वह सदन के सामने कहना चाहें कि मेरे संज्ञान में क्या है, तो कह डालें।

नोट:-[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मोती लाल देहलवी--

11 तारीख को बागपत काण्ड पर चर्चा हो रही थी। आपने स्वीकृति दी थी दो घंटे की चर्चा कराने के लिए। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिजली फेल हो जाने के कारण चर्चा बन्द हो गयी थी। तो यह पता नहीं कि बिजली जानबूझ कर फेल की गयी थी या अपने आप फेल हो गयी। आपने उस विषय पर चर्चा के लिए स्वीकृति दी थी और बागपत काण्ड पर चर्चा जारी थी। इस काण्ड के सम्बन्ध में श्री राज नारायण आमरण अनशन करने जा रहे हैं। सत्याग्रह तो चल ही रहा है। इसलिए, मान्यवर, आपसे निवेदन करूंगा कि जो चर्चा उस दिन स्थगित हो गयी थी, आज उस पर अवसर दे दें, यही मुझे आपसे निवेदन करना है। मुझे आशा है कि आप उसकी महत्ता को स्वीकार करेंगे और इस महत्व-पूर्ण विषय पर उस चर्चा को जारी रखने की आज्ञा प्रदान करेंगे।

***श्री ऊदल--**

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। अभी जब माननीय मोती लाल जी खड़े हुए तो आपने कहा कि हमारे संज्ञान में है। तो अगर कोई प्रश्न लिख कर या लिखित आपको दिया जाता है, उसको आपने देख लिया तो उत्तर 'हां' या 'ना' में दिया जा सकता है, 'स्वीकृति' या 'अस्वीकृति' में दिया जा सकता है और अगर नहीं देखा है तो यह उत्तर दिया जा सकता है कि आपने उसको देखा नहीं है लेकिन आपका जो उत्तर हुआ, उससे ऐसा लगा कि आपके संज्ञान में है, और आप इस तरह का उत्तर दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य ने सुना नहीं जो मैंने कहा। शायद वे दूर पड़ते हैं। मैंने कहा था कि माननीय सदस्य ने एक सूचना लिखकर भेजी कि कोई विषय मेरे संज्ञान में है।

श्री श्याम नरायन तिवारी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

आज सदन उठ जायेगा। बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है .....

श्री अध्यक्ष--

अगर कोई महत्वपूर्ण सूचना दी गयी थी तो वह समय से आनी चाहिए थी।

श्री श्याम नरायन तिवारी--

मान्यवर, मैं समय पर आया था। मेरे ऊपर आप विश्वास करेंगे। मैं इधर-उधर दौड़ता रहा। 2-4 मिनट लोगों को इधर-उधर दौड़ कर ढूंढता रहा। मेरा प्रस्ताव खाद्यान्न पर जो सब्सीडी दी जा रही है उसके बारे में है। जिला मुख्यालयों पर जो शास-नादेश गए हैं, उनकी व्याख्या पर उलझे हुए हैं सारे अधिकारी. . . . .

श्री अध्यक्ष--

आप बिना आज्ञा के व्याख्यान दे रहे हैं।

श्री श्याम नरायन तिवारी--

मान्यवर, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है .....

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठिए। मैं खड़ा हो गया हूं।

आपको अपने उतने ही अधिकार का प्रयोग करना है जिससे दूसरे किसी सदस्य पर आंच न आये। एक निर्णय हो गया व नियमों में है कि उन 5 सूचनाओं को ही लिया जाय जो समय के अन्दर आयें। जिन्होंने समय के अन्दर दीं, उनमें जो महत्वपूर्ण समझी गयीं, वे ली गयीं। अब आपका प्रश्न समाप्त होता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम नरायन तिवारी--

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठिए। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। अब आप जो बोलेंगे, वह कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

श्री श्याम नरायन तिवारी--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

अब मेरा निवेदन है कि आप कृपया बैठ जायं। सदन का समय उतना ही लें जितना कि आपको अधिकार है। आप बिना इजाजत इतनी देर तक बोलते रहे और इसके बाद भी आपकी बात खत्म नहीं हुई जिसके कारण अन्य प्रश्नों में इतनी देर हो गई।

अब मोती लाल देहलवी से कहना चाहता हूं कि उस दिन डेढ़ घंटे बागपत काण्ड पर चर्चा चलनी थी। अभी मालूम हुआ है कि 45 मिनट तक चर्चा चली। अब मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। बागपत काण्ड पर श्री राज्यपाल के अभिभाषण में, प्रश्नों में, और अनेक तरह से, कोई दिन ऐसा बचा नहीं जिस दिन बागपत काण्ड पर चर्चा न हुई हो। उस दिन बागपत काण्ड पर चर्चा होती यदि अप्रत्याशित घटना बिजली फेल हो जाने की वजह से, न हो गयी होती। तो बागपत काण्ड सदन के समक्ष, और सदन के द्वारा शासन के समक्ष, जितना आप चाहते हैं, उठा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर यह चाहते हैं..

(व्यवधान)

क्योंकि जितने प्रश्न उठाए जाते हैं इसलिए उठाए जाते हैं कि शासन उस तरफ ध्यान दे, जनता के सामने सभी बातें आ जायं, इसीलिए ये प्रश्न उठाए जाते हैं। लेकिन सदन में जनता के बहुत से प्रश्न हैं, जिन पर सदन का समय लगना चाहिए। ऐसी दशा में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपका 45 मिनट समय उसमें जा चुका है और जब चर्चा समाप्त कर दी तो उसके लिय निर्णय भी दिया है। लेकिन चुंकि वह घटना बिजली के फेल्योर से हुई नहीं तो चर्चा होती। तो इसके बावजूद भी अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि सदन के मूल्यवान कार्यों को देखते हुए अभी बागपत काण्ड पर चर्चा की आवश्यकता है, अब भी चाहते हैं, तो नेता, विरोधी दल कृपया अपना विचार रखें।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, हम चर्चा चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

चाहते हैं तो 45 मिनट चर्चा हो चुकी है, 45 मिनट और होगी।

श्री मोती लाल देहलवी--

केवल 20 मिनट हुई है। फिर तो डिस्टरबेंस था।

श्री अध्यक्ष--

हमारी कार्यवाही से पता चलता है कि 45 मिनट हुई। 20 मिनट नहीं। इसलिए डेढ़ घंटे का शेष समय चर्चा के लिए दे देंगे।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर-संग्रहण विधेयक, 1980 को विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने पर आपत्ति

[समय अपराह्न 1.39 से]
(मुख्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, जो विधेयक प्रस्तुत होने जा रहा है, वह पेश नहीं हो सकता है। नियम 130 में मुझे अधिकार है। मान्यवर, यह जो विधेयक पेश होने जा रहा है, यह एक धन विधेयक है। मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। इसे कृपया देखने की कृपा करें। मान्यवर, धन विधेयक अगर कोई होगा तो उस विधेयक के साथ कुछ शर्तें जुड़ी हैं। उस में नियम 118 देखने की कृपा करें। नियम 118 कहता है, उसमें लिखा है, जिस विधेयक के साथ व्यय अन्तर्ग्रस्त है, उसके साथ वित्तीय ज्ञापन होगा।

मान्यवर, इसमें वित्तीय ज्ञापन की व्यवस्था है। इसमें वित्तीय ज्ञापन लगा हुआ है। आप आगे देखें "जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खण्डों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो।" मान्यवर, इसमें व्यय का इस्टीमेट दिया जाना चाहिए कि अनुमानतः इतना व्यय होगा। मान्यवर, मैं वित्तीय ज्ञापन के रेलेवेंट पोरशन को पढ़ना चाहूंगा, इसमें ह "वसूल किए गए ऐसे फीस, कर या शुल्क को वापस कर दिया जायगा। वापस की जाने वाली धनराशि विधेयक द्वारा प्रस्तावित फीस, कर या शुल्क के बीच के अन्तर से अधिक नहीं होगी। उक्त प्राविधान के फलस्वरूप राज्य की संचित निधि से व्यय अन्तर्ग्रस्त है जिसका अनुमान लगाना सम्प्रति सम्भव नहीं है।" तो मान्यवर, कहा है कि अनुमान लगाना सम्भव नहीं है लेकिन नियमावली में दिया गया है कि इस्टीमेट दिया जायगा। मैं नहीं कहता कि इक्जेक्ट इस्टीमेट या फीगर हो लेकिन प्रतीक रूप में 100 रुपये या एक रुपये का प्राविधान करते। मान्यवर, अनुमान नहीं दिया गया। मान्यवर, मेरी दूसरी आपत्ति यह है, नियम 119 को देखने की कृपा करें "विधायनी शक्ति प्रत्यायोजित करने वाले विधेयकों का व्याख्यात्मक ज्ञापन" जिस विधेयक में विधायनी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए प्रस्थापनायें अन्तर्ग्रस्त हों उसके साथ एक ज्ञापन होगा जिसमें ऐसी प्रस्थापनाओं की व्याप्त की व्याख्या होगी। तो मान्यवर, इसमें डेलीगेटेड लेजिसलेशन के बारे में प्राविधान होना चाहिए लेकिन विधेयक में नहीं दिया गया है। मान्यवर, पैसा वापस किया जायगा, उसकी रीति क्या होगी, प्रोफार्मा क्या होगा? तो इसमें डेलीगेटेड लेजिसलेशन का अधिकार भी ले लिया गया है। तीसरी आपत्ति मान्यवर, यह है, आप नियम 118(2) को देखें। "इसमें यह है कि विधेयकों के जिन खण्डों या उपबन्धों में लोक निधियों में से व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, वे अपेक्षाकृत मोटे अक्षरों या वक्राक्षरों में छापे जायें।" तो इसमें मोटे अक्षरों में या वक्राक्षरों में यह छापे नहीं गए हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न ह। माननीय सदस्य जो एतराज पेश कर रहे हैं, नियम 116 में आप देखें उसमें है कि सदन में लम्बित किसी अन्य विधेयक पर निर्भर विधेयक का पुरःस्थापन।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

यह सदन में लम्बित नहीं है।

*श्री काशीनाथ मिश्र---

यह विधेयक केवल एक उपबन्ध की घोषणा को खत्म करने के लिए है। यह एतराज पुरःस्थापन के वक्त होना चाहिए। इसमें कोई ज्ञापन, कोई वित्तीय मामला है नहीं जिसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशी नाथ मिश्र]

लिए आप अर्ज कर रहे हैं कि ज्ञापन चाहिए । यह तो एक उपबन्ध की घोषणा के बारे में है । माननीय सदस्य सदन का समय मैं चाहूंगा, सबकी राय जैसे कि कार्य-मन्त्रणा समिति में पेश हुआ है इसको पारित हो जाना चाहिए । यह एतराज इस वक्त उचित नहीं है । जिस वक्त एतराज होना चाहिए आपने किया नहीं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय काशीनाथ जी ने बुद्धि का प्रयोग कुछ सोचने में किया । बड़ा अच्छा होता कि मेरे बोलने के बाद वह कहते । मान्यवर चौथी आपत्ति यह है कि यह धन विधेयक है अतः राज्यपाल से इसकी स्वीकृति ले ली जाय । उद्देश्य और कारण के ज्ञापन में कहीं नहीं लिखा है कि अनुमति प्राप्त कर ली गई है । हो सकता है कि अनुमति आ गयी हो और पत्रावली में हो, मन्त्री जी बता देंगे । तो इन चार बातों को रखते हुए मैं प्रार्थना करूंगा कि नियमावली और भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकार इन सबका उल्लंघन हो रहा है । इसलिए मान्यवर, उनको निर्देश दें और मेरी प्रार्थना है कि या तो यह विधेयक वापस ले लें और आगे प्रस्तुत करें या आज इसमें सदन की कार्यवाही रोक दें । इसके पूर्व सदन में शिक्षा मन्त्री जी ने एक विधेयक प्रस्तुत कर रहे थे तो मैंने विधिक आपत्ति उठाई थी जिस पर अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था हुई थी उस समय मेरी आपत्ति थी कि विधेयक के साथ तथ्यों का आधार नहीं है जिस पर कि विधेयक तैयार किया गया है, तो अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि आप (मन्त्री जी) कह जायं और ज्ञापन लायें, तो उसको मैंने प्रतीक्षा की थी और ज्ञापन आने के बाद ही उसको लाया गया था । इसलिए पहले की अध्यक्ष महोदय की रूलिंग को ध्यान में रखते हुए, मान्यवर, इसको वापस करा दें और बाद में यह विधेयक प्रस्तुत करें ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री जगदीश प्रसाद)---

मान्यवर, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है उसमें मुझे कहना है कि यह केवल प्रतीक अनुदान का प्रश्न नहीं है बल्कि यह जो है कि जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उस समय इसको लागू करने में जो विलम्ब होता है, उसमें जो कठिनाइयां होती हैं उनको दूर करने [illegible] यह विधेयक लाया गया है । इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए [illegible] ई सीधा व्यय निहित नहीं है । जो राज्यपाल महोदय की सिफारिश का प्रश्न [illegible] सचिवालय को भेजा जा चुका है ।

*श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, जो मन्त्री जी ने जवाब दिया वह श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की आपत्तियों का नहीं दिया [illegible] नियम 118--119 में स्पष्ट है कि फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट आना चाहिए जिसमें प्रत्येक [illegible] इस्टीमेट होंगे । लेकिन उन्होंने लिख दिया कि सम्भव नहीं है, तो इस्टीमेट भी [illegible] नहीं है । इसलिए जो आपत्तियां उठाई गयी हैं वह सही हैं । मान्यवर, 119 का जो हवाला दिया गया वह भी सही है । इसमें डलीगेटेड पावर क्या है, किसको है, रूल क्या बनायेंगे, प्रोफार्मा क्या होगा, वह भी कुछ नहीं है । इसलिए जो आपत्तियां उठाई गयी हैं जब तक उनका निराकरण न हो जाय तब तक यह विधेयक सदन में प्रस्तुत न किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

इसमें कहीं है रूल बनाने की पावर के सम्बन्ध में ?

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, यही तो आपत्तियां हैं । यदि ज्यादा वसूलयाबी हो जायेगी तो उसको वापस किस तरह से किया जायेगा । उसके रूल होने चाहिए और वह रूल कौन बनाएगा ? पावर डेलीगेट नहीं किया है । इन चीजों का इसमें जिक्र होना चाहिए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि श्री काशीनाथ मिश्र ने सदन को गुमराह करने के लिए नियम 116 का जिक्र किया। उसमें लिखा है कि—कोई विधेयक, जो सदन में किसी अन्य लम्बित विधेयक पर पूर्णतः या अंशतः निभर है उस विधेयक के पारित हो जाने की प्रत्याशी में, जिस पर कि वह निर्भर है, सदन में पुरःस्थापित किया जा सकेगा परन्तु ऐसा विधेयक सदन में विचार किए जाने तथा पारित किए जान के लिए तभी लिया जायेगा जबकि लम्बित विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका हो और यथा-स्थिति, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा उस पर अनुमति दी जा चुकी हैं। कोई विधयक लम्बित नहीं है और अगर विधेयक लम्बित होता तो इसकी सूचना देनी चाहिए कि अभी पारित हुआ या नहीं। इसलिए यह आज नहीं हो सकता।

दूसरी बात धारा 118 में साफ लिखा है कि कितना आवर्तक खर्चा होगा और कितना अनावर्तक होगा। ये दोनों इस्टीमेट बताने पड़ेंगे। अब आवर्तक में पता नहीं कितना लम्बा खर्चा हो जाय जिसमें अधिकारियों की नियुक्ति, नियम बनाने आदि का काम, वसूली का काम, यह सब तो यह सदन पास करने के लिए तैयार नहीं होगा। यह आने के बाद ही इस पर विचार किया जा सकता है।

डेलीगेटेड, लेजिस्लेशन, बहुत होशियारी से सरकार ने इस बात को दबाया है। यदि डेलिगेटेड लेजिस्लेशन तय नहीं करेंगे तो रुपया वापस नहीं हो सकेगा। यह इसमें अन्त-र्ग्रस्त है जिसके बारे में सरकार पूर्णतया चुप है। इसकी वजह से [illegible] समय जो इसमें विचार करने पर खर्च होगा वह व्यर्थ हो जायगा। यहाँ सही [illegible] पास नहीं होगा तो कोई भी इसे हाई कोर्ट में चेलेंज कर देगा और उस पर [illegible] अपमान होगा और साथ ही साथ विधेयक अवैध हो जायगा। इसलिए दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार सही प्रक्रिया अपना कर इसे पेश करे और आज यह पेश नहीं हो सकता।

***श्री काशीनाथ मिश्र—**

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए माननीय राम स्वरूप वर्मा जी का ध्यान इस विधेयक के अन्त में जो माननीय मुख्य मन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का ज्ञापन लगा है उसकी ओर दिलाता हूं, उसको पढ़ें, "उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर-संग्रहण विधेयक, 1980 के सम्बन्ध में वित्तीय ज्ञापन।" विधेयक के रूप में श्रीमन्, यह छपना तथा लेकिन वह नहीं था, टाइप कर के विधेयक में लगा हुआ है। इसको वित्तीय ज्ञापन समझ लीजिए, वित्तीय ज्ञापन के रूप में पढ़ लीजिए, खण्ड में यह प्रविधान किया जा रहा है कि किसी विधेयक में अधिरोपित फीस, कर या शुल्क उसके पुरःस्थापन के दिनांक के अगले दिनांक से वसूल कर लिया जाय और यदि उसके अधिनियमित के रूप में प्रवर्तन म आन पर ऐसी फीस, कर या शुल्क की दरों में कमी हो जाय तो वसूल किए गये ऐसे फीस, कर या शुल्क को वापस कर दिया जायगा। वापस की जाने वाली धनराशि विधेयक द्वारा प्रस्तावित फीस, कर या शुल्क और विधेयक के पुरःस्थापन के समय प्रवृत्त ऐसी फीस, कर या शुल्क की दर के बीच के अन्तर से अधिक नहीं होगी। उक्त प्राविधान के फलस्वरूप राज्य की संचित निधि से व्यय अन्तर्ग्रस्त है जिसका अनुमान लगाना सम्प्रति सम्भव नहीं है।" कोई जरूरी नहीं है अध्यक्ष महोदय, केवल जरूरी के लिए। इसमें यह प्राविधान कर दिया गया है कि पुरःस्थापन के अगले दिन से कर लागू समझा जायगा। मैं समझता हूं कि किसी तरह का इस में वित्तीय प्राविधान नहीं है; यह तो एक कायदा अपनाया जाता है इसलिए लगा दिया गया है इसकी कोई जरूरत नहीं होगी मैं समझता हूं इस विधेयक में।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, अब तो काशी नाथ जी ने जो मुख्य मन्त्री जी का ज्ञापन पढ़ा है ज्ञापन के रूप में तो ज्ञापन तो है नहीं। विधेयक में ज्ञापन होता है इससे साबित होता है कि यह धन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीं ऊदल]
विधेयक है और इसके लिए वित्तीय ज्ञापन का होना बहुत जरूरी है। उन्हीं की जबानी मुख्य मन्त्री के वक्तव्य के साथ वित्तीय ज्ञापन नहीं है, वह उसमें छपना चाहिए था वर्ना यह माननीय सदन जिम्मेदार होगा अगर वसूलयाबी कम होती है और खर्चा ज्यादा हुआ तो। लिहाजा पूरा वित्तीय ज्ञापन संलग्न होने पर ही यह पास हो सकता है, वर्ना पास नहीं हो सकता क्योंकि यह धन विधेयक है।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव---

मान्यवर, नियम में स्पष्ट लिखा है कि उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खण्डों की ओर विशेष कर ध्यान दिलाया जायगा। उसमें आगे लिखा है "उसमें आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायगा।" सीधा सा प्रश्न है क्या इसका प्राविधान इसमें हो रहा है ? नहीं हो रहा है तो यह प्रस्तुत नहीं हो सकता।

श्री काशीनाथ मिश्र---

इस विधेयक के लागू करने में पैसा खर्च होगा ऐसा इसमें कहां है ?

एक सदस्य---

फिर इसे मनी-बिल क्यों मान लिया गया ?

श्री जगदीश प्रसाद---

मान्यवर, माननीय सदस्य अगर विधेयक को देखेंगे तो उनकी शंका दूर हो जायगी। इसमें बहुत स्पष्ट है। यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर-संग्रहण अधिनियम, 1980 कहा जायगा। 2---इस अधिनियम में, "घोषित उपबन्ध" का तात्पर्य किसी विधेयक में ऐसे उपबन्ध से है जिसके सम्बन्ध में धारा-3 के अधीन कोई घोषणा की जाय। 3---जहां राज्य सरकार की ओर से राज्य विधान मण्डल में पुर:स्थापित किया जाने वाला कोई विधेयक किसी फीस, कर या शुल्क के (जिसके अन्तर्गत उत्पादन शुल्क भी है) अधिरोपण या उसमें वृद्धि के लिए उपबन्ध करता है, वहां राज्य सरकार उस विधेयक में यह घोषणा अन्त:स्थापित करा सकती है कि लोक हित में यह समीचीन है कि विधेयक का ऐसे अधिरोपण या वृद्धि से सम्बन्धित कोई उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन तुरन्त प्रभावी होगा। 4---(1) घोषित उपबन्ध को, उस दिन की समाप्ति पर ही तुरन्त विधि का बल प्राप्त हो जायगा जिस दिन वह विधेयक पुर:स्थापित किया गया था जिसमें उक्त उपबन्ध आता है। (2) घोषित उपबन्ध का इस अधिनियम के अधीन विधि का बल समाप्त हो जायगा।

(क) जब वह, संशोधन सहित या रहित, अधिनियमित के रूप में प्रवृत्त हो जाय, या

(ख) जब राज्य सरकार विधान मण्डल द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में यह अधिसूचित करे कि विधि का बल समाप्त हो जायगा, या

(ग) यदि खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन उसका विधि का बल पहले ही समाप्त नहीं हो गया है तो जब उस दिन के पश्चात् पचहत्तरवां दिन समाप्त हो जाय, जिस दिन वह विधेयक पुर:स्थापित किया गया था जिसमें उक्त उपबन्ध आता है।

5---(1) जहां कोई घोषित उपबन्ध धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व संशोधित प्रकार से अधिनियमित के रूप में प्रवर्तन में आ जाय जिसके फलस्वरूप ऐसी फीस, कर या शुल्क की दरों में कमी हो जाय, वहां सभी ऐसी संग्रहीत फीस, कर और शुल्क वापस कर दिये जायेंगे जो यदि अधिनियमित में अंगीकृत घोषित होते तो संग्रहीत नहीं किए जाते;

परन्तु वह दर जिस पर इस उपधारा के अधीन कोई फीस, कर या शुल्क वापस किया जाय, घोषित उपबन्ध में प्रस्तावित ऐसी फीस, कर या शुल्क की दर और विधेयक पुर:स्थापित करने के समय प्रवृत्त ऐसी फीस, कर या शुल्क की दर के बीच के अन्तर से अधिक नहीं होगी।

(2) जहां किसी घोषित उपबन्ध की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन विधि का बल समाप्त हो गया है, वहां सभी ऐसी संग्रहीत फीस, कर या शुल्क वापस कर दिए जायेंगे जो यदि उसके सम्बन्ध में घोषणा न की गयी होती तो संग्रहीत नहीं किए जाते।"

तो इससे स्पष्ट है कि इस विधेयक में सीधा व्यय अन्तर्ग्रस्त नहीं है। कोई ऐसी व्यवस्था इसमें नहीं की गयी है। यह भविष्य के लिए व्यवस्था के लिए है। जब आवश्यकता होगी तब धन को वापस करने का प्रश्न उठता है। इसलिए जैसा कि कहा गया है, इसमें अनुमान का कोई प्रश्न नहीं है। दूसरी बात यह है कि अनुमान का प्राविधान नहीं है। इसलिए इस बात को देखते हुए मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि सदन इसको विचार कर पारित करे।

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। माननीय सदस्यों ने मद संख्या 24 के सम्बन्ध में जो सदन के समक्ष है, तीन प्रश्न उठाए। उसमें पहली बात तो यह कही गयी कि इसमें राज्यपाल की स्वीकृति नहीं है।दूसरी बात यह कही गयी हैकि इसमें खर्चे का विवरण नहीं दिया हुआ है और तीसरे कि इसमें मोटे अक्षरों में या इटैलिक्स में होना चाहिए था। जहां तक विधायनी शक्तियों को लेने की बात है, बिल को पढ़ने से ऐसा नहीं लगता कि ये कोई नियम बनाने का अधिकार ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं, तो इसकी वह आवश्यकता नहीं समझते हैं। इससे उनको कोई अड़चन पड़ेगी तो वे इसको दुरुस्त कर लेंगे। जहां तक राज्यपाल की स्वीकृति का प्रश्न है राज्यपाल की स्वीकृति इसमें आई हुई है। तीसरी बात जहां तक आपका यह कहना है कि इसमें मोटे अक्षरों में या इटैलिक्स में होना चाहिए और इसके सम्बन्ध में ब्योरे का इस्टीमेट देना चाहिए। नियम स्पष्ट कहता है कि इसे होना चाहिए। इसके साथ ही साथ नियम 118(2) में एक परन्तुक भी है—"विधेयकों के जिन खण्डों या उपबन्धों में लोक निधियों में से व्यय अन्तर्ग्रस्त हो वे अपेक्षाकृत मोटे अक्षरों या वक्राक्षरों में छापे जायेंगे।

परन्तु जहां किसी विधेयक में कोई खण्ड जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, मोटे टाइप या वक्राक्षरों में न छापा जाय तो अध्यक्ष, विधेयक के भार-साधक सदस्य को ऐसे खण्डों को सभी की जानकारी में लाने की अनुज्ञा दे सकेंगे।"

मैं आपकी इस बात से अपनी सहमति व्यक्त करता हूं कि इसको मोटे अक्षरों में या इटैलिक्स में देना चाहिए था और उसमें उसका ब्योरा भी होना चाहिए था लेकिन टेक्निकल आधार पर, चूंकि यह आपत्ति पुरःस्थापन के समय नहीं उठाई गयी, विचार के समय उठा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि.....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

वित्तीय ज्ञापन के बारे में भी मान्यवर, बता दें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने धैर्यपूर्वक सुन लिया।

श्री अध्यक्ष—

सब सुनने के बाद जो मैं अपने विवेक से समझ पाया हूं निर्णय दे रहा हूं। ऐसी स्थिति में यह बता देना चाहिए कैसे नहीं छापा गया। लेकिन टेक्निकल आधार पर रोका नहीं जा सकता यह मेरा निर्णय है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

वित्तीय ज्ञापन के सम्बन्ध में जो अन्तिम बात है उस पर निर्णय क्या हुआ, श्रीमन्?

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी बता देंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

तीन बातों के बारे में आपने व्यवस्था दे दी, हमने स्वीकार कर ली लेकिन वित्तीय ज्ञापन के बारे में निर्णय नहीं दिया। चौथी बात पर भी निर्णय दे दें तो हम उसे सर आंखों पर रख लेंगे। इसमें कहा गया है कि अनुमान लगाना सम्प्रति सम्भव नहीं है। बिल आप आज पास करेंगे और अनुमान लगायेंगे परसों ? अगर यह धन विधेयक नहीं था तो वित्तीय ज्ञापन क्यों नहीं आया रिकरिंग और नान-रिकरिंग की बातें दी हैं। मैंने सुझाव दिया कि प्रतीक रूप में लिख देते लेकिन कुछ न लिख कर स्पष्ट रूप से नियम का वायोलेशन किया है। अगर आप इस आपत्ति को निरस्त कर देंगे तो हम बरदाश्त कर लेंगे। हम चाहते हैं कि काम सुविधानुसार चले, नियमानुसार चले आप केवल 15 मिनट के लिए हाउस एडजार्न कर दें और वह इसे दुरुस्त कर दें, हमें स्वीकार होगा।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी,आपको इस सम्बन्ध में कुछ कहना है यह जो अनुमान नहीं दिया है इस बारे में आप सदन को सूचित करेंगे कि क्या अनुमान है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि आप इसको मनी-बिल मानते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

अगर मनी-बिल नहीं माना गया था तो व्यय का अनुमान क्यों दिया हुआ है ? तो मन्त्री जी इस सम्बन्ध में जो अनुमान है यह आपको देना है जिसके लिए कहा गया है कि सम्भावित नहीं है। उसके लिए आप समय चाहेंगे या अभी बता देंगे।

श्री जगदीश प्रसाद--

श्रीमन्, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें जैसा मैंने निवेदन किया कोई आय-व्यय का प्रश्न नहीं है और जो यह बार-बार कहा जाता है कि प्रतीक में रख दिया जाय तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई बात इसमें होगी तो बता दूंगा जब आप विचार के लिए आज्ञा दे देंगे।

श्री रियासत हुसैन--

यह आपके निर्णय पर टिप्पणी कर रहे हैं। आपने मान लिया कि मनी-बिल है और निर्णय दे दिया।

श्री अध्यक्ष--

मैंने निर्णय दे दिया। मैं इन्हें समझा दूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

अब यह एतराज नहीं उठाया जा सकता आपने निर्णय दे दिया।

श्री अध्यक्ष--

मेरा क्या निर्णय हुआ यह मैं स्वयं बताऊंगा, मैं सक्षम हूं बताने के लिये बजाय आपके मैंने स्पष्ट रूप से तीन बातें कहीं। पहली बात वियायनी शक्ति के बारे में तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए नहीं दी गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

वह सब हमने मान ली।

श्री अध्यक्ष--

दूसरी, राज्यपाल की स्वीकृति इसमें मौजूद है। इसमें इटैलिक्स में नहीं लिखा गया है, यह टेकनिकल आधार है इससे रोका नहीं जा सकता। जहां तक इसमें अनुमान देने का है तो अनुमानित व्यय का प्रश्न है वह नहीं दिया गया है तो उसके लिए अगर अभी सदन में बता सकें तो स्पष्ट बता दें नहीं बता सकते हैं तो उसके लिए कृपया समय लेकर बता दें।

श्री जगदीश प्रसाद--

यह वित्तीय ज्ञापन की बात कह रहे हैं। तो यह जो साक्लोस्टाइल फार्म है इसमें संलग्न कर दिया गया है। दूसरे जो मोटे अक्षरों में छापने की बात है इसका आयन्दा ख्याल रखा जायगा . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

श्रीमन्, आज 4 बजे बजट आना है। इसके पास होने के बाद 4 तक हमारे पास कोई बिजनेंस नहीं है। हम इसे एक घंटे में और एक घंटे क्या 20 मिनट में भी पास कर देंगे। किन्तु आप सदन के नियमों की रक्षा कीजिए और इसको स्थगित करके आप इनको इस बात के लिए समय दीजिए और निर्देश दीजिए कि इसको कुछ देर में दे दें।

श्री जगदीश प्रसाद--

(व्यवधान)

कलेक्टेड फण्ड को रिफण्ड किया जाय। तभी यह उठता है। अब कितना एमाउन्ट वापस किया जायगा, यह अभी से कैसे बताया जा सकता है। ऐसी हालत में ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उठें और इसे फिर करें। जो कुछ है विचार के लिए हम सदन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, श्रीमन्, विचार करके उसे पारित कराया जाय।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, आपके निर्णय पर फिर यह टिप्पणी कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त--

मान्यवर, आप हमारी नियमावली की रक्षा कीजिए। इसे अनियमित रूप से हमने पास भी कर दिया तो 4 बजे तक क्या होगा? यह इसमें सुधार कर देंगे, तो सदन की मर्यादा और नियमों की रक्षा हो सकेगी और संविधान की हत्या होने से रुक जाएगी। यदि आप समझते हैं कि हमारी आपत्ति विधिसंगत है तो आप इन्हें निर्देश दीजिए। हम आपसे ही संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं, सरकार से नहीं।

श्री अध्यक्ष--

आप बार-बार दोहराते हैं। इसका मतलब है कि आपको स्वयं शंका हो जाती है।

आप देखें, उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर संग्रहण विधेयक, 1980 के सम्बन्ध में वित्तीय ज्ञापन में दिया है--"उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर संग्रहण विधयक, 1980 के खण्ड 5 में यह प्राविधान किया जा रहा है कि किसी विधेयक में अधिरोपित फीस, कर या शुल्क को उसके पुर:स्थापन के दिनाँक के अगले दिनाँक से वसूल कर लिया जाय और यदि उसके अधिनियमिति के रूप में प्रवर्तन में आने पर ऐसी फीस, कर या शुल्क की दरों में कमी हो जाय तो वसूल किये गये ऐसे फीस, शुल्क या कर की वापस कर दिया जायगा। वापस की जान वाली धनराशि विधेयक द्वारा प्रस्तावित फीस, कर या शुल्क और विधेयक के पुर:स्थापन के समय प्रवृत्त ऐसी फीस, कर या शुल्क की दर के बीच के अन्तर से अधिक नहीं होगी। उक्त प्राविधान के फलस्वरूप राज्य को संचित निधि से व्यय अन्तर्ग्रस्त है, जिसका अनुमान लगाना सम्प्रति सम्भव नहीं है"। व्यय अन्तर्ग्रस्त है, लेकिन केवल आप उसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं समझते हैं। व्यय अन्तर्ग्रस्त है तो उसमें आपको अनुमान देना उचित और आवश्यक है। उसको आप देने की कृपा करें।

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

जसा आपने स्वयं इसको देखा यह विधेयक इसलिए लाया गया है--कर या शुल्क तुरन्त लागू हो जाए। यह भी हो सकता है कि सदन इसको स्वीकार न करे और उस समय अन्तर होगा। ऐसी स्थिति में सरकार को लौटाना पड़ेगा। अब क्या परिस्थिति होगी, उसका कोई आँकड़ा देना अभी से सम्भव नहीं है। इसलिए व्यय के लिए कह दिया गया और उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यह कह दिया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मुख्य मन्त्री जी ने जो कहा है, उस सम्बन्ध में मुझे दो बातें कहनी हैं। एस्टीमेट्स देने के बाद पुनरीक्षित एस्टीमेट्स फिर आ जाते हैं, तो इसमें भी पुनः आ सकता है। हमारे यहां बजट में टोकेन की परम्परा है। किन्तु इसमें 100 रुपए के टोकेन की भी व्यवस्था नहीं की गयी है। इसका मतलब है कि सरकार एक गलती को छिपाने के लिए 10 गलती कर रही है। हण्ड्रेड परसेन्ट एक्यूरेट तो नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कई बार आपसे साफ कहा है और इस पर माननीय मन्त्री जी ने अपना उत्तर दिया और यह बताया कि जो कर लगायेंगे या जो अन्तर होगा उन सबका अनुमान इस स्तर पर लगाना सम्भव नहीं है। आपका भी वह कथन ठीक था, यह मोटे अक्षरों में होना चाहिए था। अगर वे अनुमान लगा सकते तो लगाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कहना है कि यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। तो केवल मात्र इससे ही, एक टेक्नीकल आधार पर, इसे इस समय रोका नहीं जा सकता। माननीय मुख्य मन्त्री जी इसे पेश करें।

[समय अहराहन 2.15 से]

उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर-संग्रहण विधेयक, 1980 †

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री जगदीश प्रसाद)—

श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर संग्रहण विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आपकी व्यवस्था, मान्यवर, सर आँखों पर है। मैं अब प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर संग्रहण विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, आज मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है नियमों, परम्पराओं और व्यवस्थाओं का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। अवहेलना की जा रही है। मैं समझता था कि माननीय मुख्य मन्त्री जी बड़े सुलझे हुए, बड़े विवेकशील और परम्पराओं को मानने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आज जो यहाँ पर अवहेलना हुई है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, साफ-साफ नियमों की अवहेलना हो रही है, वित्तीय नियमों के विपरीत काम हो रहा है। जिस समय यह हम लोगों को बंटा था यह साइक्लोस्टाइल कागज उसमें लगा था, मेरा ध्यान उसमें गया था, मैंने उसे देखा। जो कमी थी उसकी ओर आपका ध्यान यहाँ दिलाया।

आज मान्यवर, मन्त्री का काम क्या हो गया ?

(व्यवधान)

जो आया उसी पर दस्तखत कर दिए। मेरा ख्याल है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी की निगाह इस पर नहीं गयी होगी, अगर वे इसे देखते तो अवश्य अपने अधिकारियों से कहते कि इसे ठीक करो, लेकिन उन्होंने उसको देखा नहीं। इस समय जब यह देखा कि यह गलती हो गयी है तो उसे ठीक करने के लिए यह कह दिया है कि सम्भव नहीं है। आज यह नौकरशाही इसी कारण हावी हो रही है, क्योंकि उसको एक प्रश्रय मिल गया। उसके गलत काम को भी यहाँ पर डिटो कर दिया गया। अभी आज सदन में माननीय बदन सिंह का मामला आया, एक सूचना और परसाई लाल जी की आयी थी, इससे लगता है कि नौकर-

---

†दिनाक—9 जुलाई, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

शाही हावी है। उससे मान्यवर, बचेंगे आप भी नहीं, अगर इसी तरह नियमों की अवहेलना होती रही। मान्यवर, में अपना खेद, रोष और चिन्ता प्रकट करते हुए इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह मान्यवर, एक ओरिजिनल बिल है। मैं माननीय काशीनाथ मिश्र की उस बात को अस्वीकार नहीं करता। यह मान्यवर, परम्परा रही है कि मूल विधेयक जब सभी आता है, तो हम प्रवर समिति को भजते हैं। इसमें खतरनाक काम होने जा रहा है। अगर मेरी जानकारी सही ह कि मान्यवर, अभी तक किसी राज्य ने इसका अधिनियम किया नहीं है। मैंने अपने अन्य साथियों से सलाह तथा राय ली, यह मान्यवर, साहसिक कदम उठा रहे हैं। जिस दिन विधेयक पुरःस्थापित होगा, किसी कर, फी या शुल्क को आरोपित किया जायगा, विधेयक टेबुल हो गया और उसके पुरःस्थापित होने की अनुमति भी ली गयी, चर्चा का प्रारम्भ भी नहीं हुआ, जो मान्यवर, टैक्स लगाने की बात है, वह जनता के ऊपर लग गया। सदन ने उसके गुण-दोष पर विचार नहीं किया कि यह जो कर लगाने हम जा रहे हैं, जिस सेक्शन पर इसका भार पड़ेगा, उसकी कर देने की क्षमता है या नहीं, इस पर विचार नहीं किया गया। हमने इस पर दूसरी बात की भी व्यवस्था कर दिया कि यह मामला किसी कोर्ट में भी नहीं जा सकता। अगर मान लीजिए वैसे टक्स जोकि हमारे संविधान सम्मत में है, सरकार को लगाने का अधिकार भी नहीं है और हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते, तो जनता को राहत मिलेगी कहाँ से ? आपने लगान बढ़ा दिया तो काश्तकार मर जायगा, काश्तकार पर लगान बढ़ गया। जनता पार्टी ने लगान खत्म किया, आपने फिर लगान लगा दिया। डिमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार एक काम करती है, हम प्रतिपक्ष के लोग रचनात्मक सुझाव देते हैं और जनता प्रशर डालने की आप पर कोशिश करेगी, लेकिन आप इसकी चिन्ता नहीं करेंगे। तो मान्यवर, टैक्स लग गया, जब हम कोई टैक्सकी घोषणा करते हैं, तो तत्काल उसके आधार पर प्राइसेज बढ़ाकर मुनाफाखोर लोग लाभ कमाने लगते है। आप मनोरंजन कर बढ़ाए, यह सोच कर कि मनोरंजन कर बढ़ जायगा, तो जल्द से जल्द कोई सिनेमा देखकर अपनी भूख पूरी कर लेगा। आप मान्यवर, रजिस्ट्रेशन का शुल्क बढ़ा देंगे, क्या बैनामा एक ही दिन में लोग करा लेंगे ? बिक्री-कर बढ़ा देंगे, आप ईमानदारी से किसी आदमी को मन-मानी काम नहीं करने देना चाहते हैं। अगर कोई नाजायज काम करता है, उसको बन्द कर दीजिए। खाद का स्टाक सरकार के गोदाम में है और दाम आपने बढ़ा दिया। सरकार अपने नियमों में नहीं जायगी, लेकिन उसको दंडित करेगी। कोई आदमी होर्डिग करता है, दंडित कीजिए। मान्यवर, जब कोई शिकायत नहीं है मुझे इस पर कोई शिकायत नहीं है। आप कोई भी आरबिट्रेरी जनता पर लगा दीजिए और जनता की कोई भी बात आप न सुनें। यह मान्यवर, न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है। इस पर हमारे माननीय सदस्य श्री संजय सिंह जी ने एक घोषणा कर दी कि हम आपका पूरा समर्थन दे रहे हैं और देंग। बाहर से भी देंगे और अन्दर से भी समर्थन देंगे। अन्दर से समर्थन की बात तो मान्यवर, समझ में आती है लेकिन बाहर से समर्थन की बात समझ में नहीं आती। बाहर से समर्थन तो जो गैर होता है वह देता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपके आपस में कुछ झगड़े हैं, लेकिन मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है और न ही मुझे इस पर कोई आपत्ति है।

कई सदस्य--

आप इसकी जिक्र न करें, आप अपनी पार्टी को देखें कि कितने झगड़े हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

लेकिन मान्यवर, सत्तारूढ़ दल में जो कुछ होता है उसका असर प्रत्येक जनता पर पड़ता है। मान लीजिए आपने एक टैक्स रखा, हमने नहीं माना और उसको आपने वापिस ले लिया और अगर उसी पुराने नियम के अनुसार किसी काश्तकार ने 500 रुपया

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

जमा कर दिया। लेकिन टैक्स वापिस लेने पर क्या आप उस काश्तकार को इण्ट्रेस्ट सहित उसकी धनराशि वापिस करेंगे। मान्यवर, इन सब बातों पर बड़े विस्तार से विचार करने की जरूरत है। इसलिए मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसे प्रवर समिति में भज दिया जाय। मान्यवर, आप स्वयं इस बात को समझ रहे हैं कि इसमें डेलीगेटेड लेंजिस्लेशन निहित है। इसलिए मान्यवर, आज ही इस पर निर्णय ले लें। यदि आप इसको फिर देखने या काल लेंने की बात पर विचार कर रहे हो तो मान्यवर, मैं कहूंगा कि इससे न केवल सदन का समय ही नष्ट होगा। मान्यवर, इसमें कई प्रकार के मतभेद निहित हैं। संवैधानिक मतभेद हैं, नीति सम्बन्धी मतभेद है और प्रोसीजर सम्बन्धी मतभेद इसमें है। इसलिए मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। जो इस पर 15 दिन के अन्दर विचार कर ले और 15 दिन में रिपोर्ट आ जाय ताकि इस पर सर्वांगीर्ण रूप से सभी पहलुओं पर विचार कर लिया जाय तभी मैं समझता हूं कि यह बहुत ही उचित और सही होगा। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं अपनी इस बात पर बल देते हुए विश्वास करता हूं कि हमारे इधर के बैठने वाले सभी साथी इस बात पर अपनी-अपनी सहमति प्रकट करते ही हैं, उधर के बैठने वाले भी आज अच्छा मौका है कि नीति सम्बन्धी मान्यताओं की रक्षा करने का इसलिए आप भी अपनी इस पर सहमति प्रकट करें।

श्री जगदीश प्रसाद—

श्रीमन्, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, इस तरह की कोई व्यवस्था सही है देश में। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक "Provisonal Collection of Duties and Taxes Act, 1931" है। मान्यवर, भारत सरकार का यह अधिनियम सन् 1931 आज तक लागू है। इसलिए मान्यवर, इस बात का कहना ठीक नहीं है। जहां तक चर्चा का सवाल है। इस पर चर्चा तो पहले भी बहुत हो चुकी है। इसलिए जब विधेयक पेश किया जाता है. . .

(शोर)

इसलिए मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जो उन्होंने अपना संशोधन पेश किया है, उसको वापस ले लें। उसको पारित न करें।

श्री अध्यक्ष—

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त से) आप अपना संशोधन का प्रस्ताव वापस तो नहीं ले रहे हैं?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, हमारे किसी एक तर्क का भी उत्तर दिया होता मन्त्री जी ने, तो मैं वापस ले लेता।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर-संग्रहण विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर-संग्रहण विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[समय अपराह्न 2.30 से]
खण्ड 2, 3, 4, 5, खण्ड 1,
प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर-संग्रहण विधेयक, 1980

फीस, कर या शुल्क के अधिरोपण या उसमें वृद्धि से सम्बन्धित विधेयकों के उपबन्धों को तुरन्त प्रवृत्त करने का उपबन्ध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर-संग्रहण अधिनियम, 1980 कहा जायगा ।

परिभाषा

2—इस अधिनियम में "घोषित उपबन्ध" का तात्पर्य किसी विधेयक में ऐसे उपबन्ध से है जिसके सम्बन्ध में धारा 3 के अधीन घोषणा की जाय ।

घोषणा करने की शक्ति

3—जहाँ राज्य सरकार की ओर से राज्य विधान मण्डल में पुरःस्थापित किया जाने वाला कोई विधेयक किसी फीस, कर या शुल्क (जिसके अन्तर्गत उत्पाद शुल्क भी है) अधिरोपण या उसमें वृद्धि के लिए उपबन्ध करता है वहाँ राज्य सरकार उस विधेयक में यह घोषणा अन्तः स्थापित करा सकती है कि लोक-हित में यह समीचीन है कि विधेयक का ऐसे अधिरोपण या वृद्धि से सम्बन्धित कोई उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन तुरन्त प्रभावी होगा ।

घोषणा का प्रभाव

4—(1) घोषित उपबन्ध को, उस दिन की समाप्ति पर ही तुरन्त विधि का बल प्राप्त हो जायगा जिस दिन वह विधेयक पुरःस्थापित किया गया था जिसमें उक्त उपबन्ध आता है ।

(2) घोषित उपबन्ध का इस अधिनियम के अधीन विधि का बल समाप्त हो जायगा—

(क) जब वह, संशोधन सहित या रहित, अधिनियमिति के रूप में प्रवृत्त हो जायगा ; या

(ख) जब राज्य सरकार विधान मण्डल द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में यह अधिसूचित करे कि विधि का बल समाप्त हो जायगा; या

(ग) यदि खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन उसका विधि का बल पहले ही समाप्त नहीं हो गया है तो जब उस दिन के पश्चात् छठवाँ दिन समाप्त हो जाय, जिस दिन वह विधेयक पुरःस्थापित किया गया था जिस में उक्त उपबन्ध आता है ।

घोषणा के प्रभावहीन होने पर कतिपय धनराशियों का वापस किया जाना

5—(1) जहाँ कोई घोषित उपबन्ध धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व संशोधित प्रकार से अधिनियमिति के रूप में प्रवर्तन में आ जाय जिसके फलस्वरूप ऐसी फीस, कर या शुल्क की दरों में कमी हो जाय, वहाँ सभी ऐसी संगृहीत फीस, कर और शुल्क वापस कर दिए जायेंगे जो यदि अधिनियमिति में अंगीकृत उपबन्ध घोषित उपबन्ध होते तो संग्रहीत नहीं किए जाते :

परन्तु वह दर जिस पर इस उपधारा के अधीन कोई फीस, कर या शुल्क वापस किया जाय, घोषित उपबन्ध में प्रस्तावित ऐसी फीस, कर या शुल्क की दर और विधेयक पुरःस्थापित करने के समय प्रवृत्त ऐसी फीस, कर या शुल्क की दर के बीच के अन्तर से अधिक नहीं होगी ।

(2) जहाँ किसी घोषित उपबन्ध की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन विधि का बल समाप्त हो गया है, वहाँ सभी ऐसी संग्रहीत फीस, कर या शुल्क वापस कर दिये जायेंगे जो यदि उसके उपबन्ध में घोषणा न की गयी होती तो संग्रहीत नहीं किए जाते।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, 4, 5 खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगदीश प्रसाद--

मान्यवर, मैंआपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर-संग्रहण विधेयक, 1980 पारित किया जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं इसका विरोध करता हूं। विरोध करने का मुख्य कारण यह है कि यह विधेयक इतनी जल्दी मन्त्री जी पास कराना चाहते हैं, परन्तु इसकी पूरी व्याप्ति पर ध्यान नहीं दिया। मान्यवर, ऐसे कर हो सकते हैं जो वापस नहीं हो सकते हैं। किसी ने बस का टिकट ले लिया है। आपने बस टिकट पर 25 प्रतिशत बढ़ा दिया और सदन ने 10 प्रतिशत बढ़ाया तो यह जो 15 प्रतिशत बढ़ाकर आप ले लेंगे वह कैसे वापस होगा ? पंचकर है मनोरंजन कर है। जिस प्रतिशत से आपने बढ़ा दिमे वह पास न हुआ, रोज रेल मन्त्री कहते हैं कि इतना बढ़ा दिया 4 दिन बाद घोषणा करते हैं कि इतना वापस कर दिया तो वह कैसे वापस होगा? इससे लाखों आदमी परेशान हो जायगा। आप इसको लागू कर रहे हैं। दुनिया में कोई बात विचार के साथ लागू होती है। आप कहते हैं कि विधेयक पुरःस्थापित हुआ, विधेयक पर संशोधन भी होगा आप अपनी तरफ से करें, जनमत के दबाव से करें, सदन की राय से करें, इस सम्भावना के तहत आपने संशोधन कर दिया। विधेयक पुरःस्थापित किया गया। वह टैक्स दे दिया जाय किसी ने टैक्स दिया। टैक्स देना उसका कोई दोष नहीं था लेकिन वापस नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है जिन्होंने टैक्स नहीं दिया उन्हें दण्ड नहीं जो डिस्पिलिंड थे टैक्स दे दिया उनका वापस करने का कोई नियम नहीं। बस का किराया दे दिया जाय मनोरंजन कर दे दिया जाय, एक तो ऐसे टिकट होते हैं जो बहुत आसानी से फट जाते हैं। यह विधेयक एक दम जन भावना के प्रतिकूल है। सरकार इसको वापस ले ले, क्योंकि इस विधेयक के पास होने से एक कुप्रथा हो जायगी। सेन्टर का वह नियम है, इनकम टैक्स में लागू है। जो रोज का लेन-देन है जिन चीजों का रोज का लेने देन नहीं हैउन पर कैसे रख दिया और उनका कैसे वापस होगा तो मान्यवर, एक दूसरा भी कारण है। संवैधानिक संकट भी जुड़ा हुआ है। कानून यह कहता है कि कोई कर तब लगेगा जब विधान सभा या लोक सभा पास कर दे, इसके पहले नहीं लग सकता। विधान सभा या लोक सभा के पास किये बिना अगर यह व्यवस्था होगी तो यह जनतन्त्र का अपहरण और तानाशाही की प्रवृत्ति हो जायगी। जब तक विधान सभा नहीं पास करती तब तक कोई टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। अमेरिका का आन्दोलन जो हुआ शायद 1779 में, इसी बात को लेकर हुआ था। "नो रिप्रजेंटेशन, नो टैक्सेशन"। जब तक हमारे प्रतिनिधि नहीं हैं टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन हमारे प्रतिनिधियों ने फैसला नहीं किया। सरकार ने बिल पेश कर दिया और टैक्स लगा। तो मान्यवर, जब तक प्रतिनिधि पास न करें तब तक टैक्स लग नहीं सकता। इतना बड़ा अमेरिकन रिवोल्यूशन हो गया और उत्तर प्रदेश पीछे जायेगा ? हमारे अधिकारों का हनन कर देंगे। मुझे तो लगा कि यह जल्द ही पास हो रहा है इसलिए मैंने सोचा कि आपका ध्यान आकृष्ट कर दूं। वह एक काला दिन होगा कि विधेयक को पुरःस्थापित करते टैक्स लगने लगे। कैसे होगा ? तीसरी आपत्ति यह है कि अगर यह विधेयक

पास कर दिया जाय तो यह चालू नहीं होगा। कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट म आपत्ति करेगा तो यह अवैध घोषित हो जायगा। संविधान के विपरीत है। हाई कोर्ट सीधे कहेगा कि जिस चीज को वापस नहीं कर सकते, किसके पास टिकट है, कितना पैसा लेगा, समय क्या हो, ये सारी बातें सम्भव नहीं हैं तो जन कष्ट क्यों बढ़ाया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

मुझे जल्दी नहीं है। सरकार को जल्दी हो तो सरकार करे। दूसरी कोई बात कहूं तो आप हमको टोक देना। हम समय से पास करने के लिए नहीं है, न मैं इसका नौकर हूं। विषयान्तर हो तो टोक दें। तो मान्यवर, एक और आश्चर्य है, क्या उत्तर प्रदेश देश में ऐसी परम्परा स्थापित करेगा, यह इस देश का हृदय कहा जाता है,यह हृदय व्यवस्था करेगा कि कोई टैक्स पास न हुआ हो. . . . .

श्री अध्यक्ष—

यही विषय आप बराबर कह रहे हैं अभी पास नहीं हुआ है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

आपत्ति यह है पास करने का अधिकार विधान सभा को है, सरकार के हाथ में नहीं जा सकता। सरकार विधेयक प्रस्तुत करेगी, टैक्स लग जायेगा . . . . .

श्री अध्यक्ष—

पुनः आप वहीं आ गये।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

इन शब्दों के साथ मेरी बेहद आपत्ति है और आदरणीय सदस्यों से भी कहूंगा कि वह अपने अधिकारों का हनन न होने दें और इस विधेयक को किसी तरह स्वीकृति न दें क्योंकि यह विधेयक काला विधेयक है। इसके साथ मैं यह भी कह दूं कि हाई कोर्ट में भी यह नहीं ठहर पायेगा।

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी आप उत्तर देना चाहेंगे।

श्री जगदीश प्रसाद—

अभी माननीय सदस्य ने जो कहा है उसके सन्दर्भ में यह कहना चाहता हूं कि यह कोई टैक्स लगाने की बात नहीं है। नये टैक्स नहीं लगेंगे। धारा 3 के अन्तर्गत डिक्लेरेशन हो तभी यह लगेगा। यह टैक्स केवल उन्हीं मामलों में लगेगा। धारा 3 बहुत क्लियर है। उसके अनुसार जब डिक्लेरेशन होगा तभी लग सकता है। इसलिए मेरा ख्याल है कोई इस सम्बन्ध में आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर-संग्रहण विधेयक, 1980 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

[समय अपराह्न 2.42 से]

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं तथा आज के कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज सदन में जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, 4 बजे बजट प्रस्तुत होने वाला है। आज अभी हमारे पास समय है इसलिए मैं मद संख्या 33, 34 और 35 नियम 51 के अन्तर्गत लेना चाहता हूं। नियम 51 के अन्तर्गत आज 6 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से एक सूचना समय के बाद प्राप्त हुई है। 5 समय के अन्दर प्राप्त हुई थीं। उनमें से

[श्री अध्यक्ष]

श्रीमती प्रेमवती तिवारी की जनपद लखनऊ में कैन्टूनमेन्ट क्षेत्र में गन्दगी से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में है, जो नियम 51 में स्वीकृत हुई है। मद संख्या 34 प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में है, इसमें मुख्य मन्त्री जी का वक्तव्य है। इसके पहले कि आप वक्तव्य दें माननीय रियासत हुसैन जी की सूचना थी जिसमें वक्तव्य की मांग की गयी थी। वह मद संख्या 36 पर जिसमें नागालैण्ड को हथियारों और कारतूसों की आपूर्ति किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य मुख्य मन्त्री जी को देना था। मुख्य मन्त्री के यहां से सूचना आई है कि यह बहुत वृहद प्रश्न है। सूचनाएं संकलित की जा रही हैं इसे आज के लिए स्थगित कर दिया जाय। मद संख्या 36 स्थगित किया गया। पूरी सूचना लेकर इस पर वक्तव्य होगा।

मुख्य मन्त्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह)--

मान्यवर, आपसे निवेदन है कि अगर मद संख्या 34 के बजाय 35 पहले ले लें तो सिंचाई मन्त्री भी तब तक आ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है मद संख्या 35 पहले लिये लेता हूं।

(इस समय 2 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भीखा लाल पीठासीन हुए।)

समय अपराह्न 2.45 से

गाजीपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र के परीक्षार्थियों पर हुए लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

मान्यवर, दिनांक 3 जुलाई, 1980 को गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं गाजीपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर परीक्षा केन्द्र में प्रारम्भ हुयीं जिसमें कुल 460 परीक्षार्थियों को सम्मिलित होना था। किन्तु केवल 17 परीक्षार्थी ही परीक्षा देने के लिए परीक्षा केन्द्र के अन्दर गये और शेष छात्र परीक्षा में सामूहिक नकल की मांग करते हुए बाहर रहें तथा परीक्षा के लिए इच्छुक परीक्षार्थियों को जबरन रोकते रहें। उपस्थित अधिकारियों द्वारा उन्हें ऐसा करने से मना करने तथा अनिच्छुक परीक्षार्थियों को वहाँ से हट जाने का अनुरोध करने पर भीड़ उत्तेजित हो गयी और उपस्थित अधिकारियों तथा पुलिस पर पथराव शुरु कर दिया जो लगभग 45 मिनट तक जारी रहा। महाविद्यालय के पास एक मकान में जनता तथा पुलिस के कुछ जवानों ने शरण ले ली तो हिंसा पर उतारू भीड़ ने उस मकान में आग लगा दी और वे बुरी तरह घिर गये। उग्र एवं हिंसक भीड़ को नियन्त्रित एवं तितर-बितर करने के लिए किए गये अश्रु गैस के प्रयोग एवं लाठी चार्ज के विफल हो जाने पर समुचित चेतावनी किए जाने केबाद मजिस्ट्रेट के आदेश से पुलिस ने आठ चक्र गोलियाँ चलाईं जिससे एक छात्र की टाँग में गोली लगी और पुरातत्व विभाग के एक फारमेन की पीठ में गोली लगी। इन दोनों व्यक्तियों के इलाज की उचित व्यवस्था की गई। लाठी चार्ज से 12 छात्रों को चोटें आयीं। भीड़ द्वारा किए गये पथराव से मौके पर तैनात सिटी मजिस्ट्रेट, सर्किल आफिसर, कोतवाल, 13 सिपाहियों तथा कालेज के कुछ स्टाफ को चोटें आयीं। मौके पर 43 छात्रों को बन्दी बनाकर जेल भेज दिया गया तथा दो छात्रों को बाद में बन्दी बनाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली, गाजीपुर में एक अभियोग पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना की जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा घटना की मजिस्टीरियल जाँच के आदेश दे दिए गये हैं। स्थिति सामान्य एवं नियन्त्रण में है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

एक तथ्य तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने स्वय ही स्वीकार किया है कि गैर-छात्र की पीठ में गोली लगी और जिस छात्र के पैर में गाली लगी वह पीछे के हिस्से में लगी और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

4 छात्रों का पीछ से लाठी की चोटें आयीं। तो स्पष्ट ह कि पुलिस ने भागते हुए लोगों को गोली और लाठियों से मारा। तो मैं जानना चाहता हूं कि भागते हुए लोगों को मारने की क्या जरूरत पड़ी थी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

भान्यवर, जो वक्तव्य दिया गया है उससे स्पष्ट है कि भागते हुए लोगों पर गोली और लाठी नहीं चलायी गयी बल्कि एक ऐसा समूह था जो अपना विवेक छोड़ चुका था और आवेश में केवल पथराव ही नहीं कर रहा था बल्कि कुछ लोगों को जो घर में घुस चुके थे, उनके ऊपर आग लगाने पर उतारू हो गया था, उनके बाहर, निकलने की कोई परिस्थिति नहीं थी। तो जब सब चीजें विफल हो गयी थीं तो गोली चलायी गयी थी। उस भीड़ में कौन किस ओर से और उसकी क्या गति थी, उसका कोई मापदण्ड नहीं लगाया जा सकता था। यह परिस्थिति पहले ही बतायी जा चुकी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि मेरे प्रश्न की जो मंशा है वह पूरी नहीं हुई है। नियमतः पुलिस को गोली चलाने का हक तभी होता है जब अपरिहार्य स्थिति पैदा हो जाय। अगर मैं मान लूं कि लड़के उपद्रव कर रहे थे और लाठी चार्ज हो गया था, लड़के भाग रहे थे तो मैजिस्ट्रेट के गोली चलाने के हुक्म का क्या मकसद था? इस कार्यवाही को करने का अभिप्राय ही क्या था ?

दूसरा सवाल इसमें लिखा हुआ है कि वे जो पुलिस वाले थे, वह घर घुस गये और तब हिंसा पर उतारू भीड़ ने उस मकान में आग लगा दी और वे बुरी तरह से घिरे थे। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या शासन को कोई सूचना मिली है कि उक्त मकान में आग लगाने से इतने सामान की क्षति हुई, इतने फर्नीचर की नुक्सान हुआ ? इतना मकान जल गया ? तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे कि उस मकान को इतनी क्षति हुई, और आग से जो लोग घिर गये थे, उनमें इतने आदमियों को आग की लपटें लगीं ? अगर जानकारी नहीं तो उन भागते लड़कों का क्यों मारा ? मान्यवर, वास्तविक स्थिति यह है कि घर में घुसे लड़कों को मारा गया और मकान जलने की घटना फर्जी है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, यहाँ पर जो चोट की नकल है, विद्यार्थियों के बारे में, उसमें यह नहीं स्पष्ट होता है कि आगे से या पीछे से कहाँ से गोली लगी है। पाँव में भी गोली लगी है। तो वे भाग जायं, इस नीयत से गोली नहीं चलायी गयी, मान्यवर, दूसरे जिनके बीच में गोली लगी है वह एक माली था। जब गोली चली तो वह दायरे में था और गोली लग गयी।

दूसरे रही बात मकान की, तो वह मकान जो स्कूल के पास है, वह रामपत कोरी का कच्चा मकान है। उसकी झोपड़ी जल गयी। भूसा और चारपाई जल गयी और बहुत सा-सामान जल गया। कालेज में कार्य करने वालों की सायकिलों को नुक्सान हुआ। इस जगह पर 2 कांस्टेबिलों और अन्य 4 लोगों ने शरण ले ली थी। उस व्यक्ति की पूरी झोपड़ी जल गयी।

श्री मोती लाल देहलवी—

माननीय मुख्य मन्त्री जी के वक्तव्य से सम्बन्धित, मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आँसू गैस, लाठी चार्ज और गोली चलने में कितने-कितने समय का अन्तर रहा ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, समय के अन्तर को तो नहीं बता सकता, लेकिन सूचना के अनुसार 4 आँसू गैस, 3 आँसू गैस-हैंडग्रेनेड इसमें प्रयक्त हुए थे।

श्री मोती लाल देहलवी—

जब समय नहीं बता सकते, तो इतना ही बता दें कि आँसू गैस पर भी नियन्त्रित हो जाती है, यह सब हो जाता है। उसके बाद लाठी चार्ज करने पर कितनी भी भीड़ हो, भीड़ भागने लगती है। तो गोली चलाने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, यह अनुभव तो हम लोगों को भी है। यहाँ तो ऐसी भीड़ आई थी, जो आग लगा रही थी, पथराव कर रही थी। मान्यवर, एक ऐसी ही भीड़ लखनऊ आई थी और शान्तिपूर्ण ढंग से तत्काल मुख्य मन्त्री जी को मेमोरेन्डम देना चाहती थी जिस पर गोली चलाई गयी और लाठी चार्ज हुआ।

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि 45 मिनट तक पथराव होता रहे, तो क्या इस 45 मिनट के पथराव में किसी पुलिस अधिकारी या किसी भी अधिकारी को गम्भीर रूप से चोट आई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, उसमें 13 सिपाहियों, कोतवाल, सर्किल आफिसर को चोटें आयीं, यही नहीं, सिटी मजिस्ट्रेट को भी चोट मिली। अध्यापकों को चोट मिली। जिनको चोटें मिलीं, पूरी रिपोर्ट मेरे पास मौजूद ह। मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। आज्ञा दें तो पढ़ दूं।

श्री अधिष्ठाता—

अब यह विषय समाप्त किया जाता है।

[समय अपराह्न 3.00 से]

प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल लगभग 294 लाख हेक्टेयर है। बाढ़ से प्रत्येक वर्ष से औसतन 94.71 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रभावित होता है एवं औसतन 71 करोड़ रुपये की क्षति होती है। वर्ष 1978 में बाढ़ की स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गयी थी जिससे प्रदेश के 56 जनपदों में से 55 जनपद एवं 74.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ था और अनुमानित क्षति लगभग 500 करोड़ रुपए थी।

प्रदेश में बाढ़ मुख्यतः गण्डक, घाघरा, राप्ती, गोमती, यमुना और गंगा नदियों से आती है। गंडक नदी पर बिहार व उत्तर प्रदेश राज्यों द्वारा बाँधों के निर्माण की योजना पर कार्य हो रहा है घाघरा, राप्ती और गंगा नदियों पर सीमान्त बांध बने हैं। धाघरा पर कटान की समस्या के निदान के लिए छोटे डैम्पनर्स बनाए गये हैं जो कटान को रोकने में प्रभावी हुए ह गंगा नदी पर बलिया से मोहम्मदाबाद तक एक 3.00 करोड़ रुपए लागत का बंधा बनाना प्रस्तावित है। मथुरा, आगरा जनपदों में हरियाणा और राजस्थान से गोवर्धन नाले में पानी आने के कारण उत्तर प्रदेश में बाढ़ को विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हरियाणा एवं राजस्थान प्रदेशों से उनके निर्धारित शेयर—1040 क्यूसेक से अधिक पानी उत्तर प्रदेश में न आये इसका नियन्त्रण कामा रेगुलेटर पर रखा जायगा। मथुरा, आगरा जनपद में जल-निकासी की समस्या के निदान के लिए बहुत-सी योजनाएं जैसे हुलवाना डाइवर्जन ड्रेन, रालड्रेन, कोसी आरटीरियल ड्रेन इत्यादि निर्माणाधीन है। यमुना नदी के बायें किनारे पर स्थित सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर जनपदों में नदी के कटान की समस्या रहती है, क्योंकि नदी के बायीं और हरियाणा राज्य के बड़े-बड़े बाँध एवं कटान निरोधक कार्य किए हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 10 करोड़ रुपए लागत के कार्य उक्त जनपदों में किये गय हैं मुरादाबाद जनपद में हसनपुर बाँध द्वितीय चरण तथा बुलन्दशहर जनपद में आटा बांध के निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

सिचाई विभाग द्वारा वर्ष 1979–80 तक निम्नलिखित बाढ़ निरोधक कार्य निर्मित किये जा चुके हैं :—

(1)	तटवर्तीय बाँध	1389 कि0मी0
(2)	जलोत्सारण नाले	12,433 कि0मी0
(3)	शहरों की सुरक्षा	58 संख्या
(4)	गाँवों को ऊंचा करना	4500 संख्या

इन कार्यों से अब तक 11.6 लाख हेक्टेयर भूमि को सुरक्षा मिली है।

चालू वित्तीय वर्ष में 22.50 करोड़ रुपए के कार्य प्रस्तावित हैं जिससे 0.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सुरक्षा अनुमानित है।

सिचाई विभाग द्वारा वर्षा आरम्भ होने से पूर्व सम्भावित बाढ़ सुरक्षा हेतु विशेष रूप से निम्नलिखित उपाय किये गये हैं।—

(1) निर्मित तटवर्तीय बाँधों की समुचित मरम्मत एवं निर्माणाधीन कार्यों को पूरा करना अथवा सुरक्षास्तर तक पहुंचाना।

(2) जलोत्सारण नालों की सफाई।

(3) जलाशयों का उचित संचालन एवं पानी छोड़े जाने की व्यवस्था तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी को पानी छोड़े जाने की सूचना निर्गत किया जाना।

(4) प्रदेश में विभाग के बाढ़ कार्य अनेकों क्षेत्रों म फैले हुए ह जहाँ से बाढ़ सम्बन्धी सूचनाएं प्राप्त करने व निर्देश करने हतु 14 बेतार केन्द्रों की स्थापना पुलिस विभाग के माध्यम से कराई गयी है एवं अन्य क्षत्रों में अस्थायी टेलीफोन्स लगाये जाने के निर्देश किये गय हैं।

(5) बाढ़ के समय गम्भीर अवस्था में आपातकालीन बाढ़ बचाव योजनाओं पर कार्य करान के लिए प्रदेश के 5 मण्डलायुक्तों–वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, मेरठ व आगरा को रुपए 5-5 लाख का प्रतिनिधायन शासन द्वारा कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग द्वारा अप्रैल मास में ही बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए प्रारम्भिक तयारियाँ पूरी कर लेने हेतु जिलाधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए गये थे तथा पीड़ितों की तात्कालिक सहायता हेतु प्रत्येक जिले को 60–60 हजार रुपए आवंटित किये गय। इसके अलावा विभिन्न जनपदों को तकावी के मद में 1.35 करोड़ रुपए की धन-राशि सूखे के अतिरिक्त बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ काम में लाई जावेगी मोटरबोट की मरम्मत आदि के लिए राजस्व परिषद् के माध्यम से 90.00 हजार रुपए की व्यवस्था कर दी गयी है। 7 जून, 1980 की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में सम्भावित बाढ़ के विभिन्न पहलुओं पर विचार एवं सम्बन्धित विभागों के कार्यों का समन्वय किया गया। सिचाई मन्त्री जी न दिनाँक 11–6–80 को प्रदेश स्तर पर तथा 13-6-80 को पूर्वी उत्तर प्रदेश की बाढ़ सुरक्षात्मक तैयारी के सम्बन्ध में गोरखपुर म बठक की। सिचाई मन्त्री जी हर सप्ताह बाढ़ की स्थिति पर उच्चाधिकारियों से विचार विमर्श करते हैं। बाधों की मरम्मत नावों तथा मोटर बोट एवं लाँचों की समुचित व्यवस्था पर्वतीय जनपदों एवं बाढ़ केन्द्रों पर खाद्यान्न, दवाओं, मिट्टी का तेल आदि आवश्यक वस्तुओं के अग्रिम भण्डारण पर विशेष ध्यान दिया गया है। कतिपय अर्धशासकीय बाँधों जिन के बिहार राज्य में स्थिति भाग पर काम अधूरा है, के सम्बन्ध में बिहार शासन से सम्पर्क किया गया। सेना के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने की कार्यवाही भी कर ली गयी। बाढ़ सहायता कार्य के लिए पी0ए0सी0 की 12 कम्पनियों की विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया जिनकी सेवाओं का उपयोग किया जायेगा। वाराणसी तथा गोरखपुर मण्डलों तथा इलाहाबाद जनपद में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति समीक्षा मुख्य सचिव द्वारा जुलाई के द्वितीय सप्ताह में की गयी ह। इस प्रकार सम्भावित बाढ़ के प्रति शासन जागरूक है स्थिति पर निरंतर दृष्टि रखी जा रही है।

[श्री वीर बहादुर सिंह]

सूखे से ग्रस्त इस प्रदेश में अभी हाल की वर्षा से काफी राहत मिली है। प्रदेश में जून, 1980 में सभी जनपदों में वर्षा हुई और 26 जनपदों में साधारण से अधिक वर्षा हुई। इस प्रकार जुलाई मास में अब तक वर्षा की स्थिति अच्छी रही फिर भी अभी तक हुई वर्षा अधिक नहीं है कि वह चिन्ता का कारण हो।

अब तक हुई वर्षा के फलस्वरूप बाढ़, जलप्लावन तथा नाव दुर्घटना की स्थिति निम्न प्रकार है——

(1) देवरिया जनपद में 13 जून, 1980 को भारी वर्षा एवं गण्डक नदी के जलस्तर के बढ़ने से, अमवाखास ग्राम के दो मजरे बरवापट्टी, कैथवलिया कटान से प्रभावित हो गये क्योंकि अमवाखास व रामपुर बरहन गाँव के पास बिहार बाँध में दरार पड़ गयी। 100 परिवारों एवं 275 पशुओं को निकालकर ग्राम दसवाँ में वन भूमि पर बसाया गया। 230 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई। बाध की दरार भरने के लिए प्रदेश शासन ने बिहार शासन से सम्पर्क स्थापित किया है। गण्डक नदी पानी से बरवापट्टी और कैथवलिया ग्रामों में भूमि कटान हुआ। बचाव एवं राहत कार्य युद्धस्तर पर चलाया गया। 355 परिवार और 525 पशुओं को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया।

(2) जनपद प्रतापगढ़ में दिनाँक 5 जुलाई, 1980 से 7 जुलाई, 1980 तक अतिवृष्टि के कारण जलाप्लावन की स्थिति हो गयी जिसके कारण बहुत सी जगह सड़कों में दरारें पड़ गयीं। लगभग 500 भवन क्षतिग्रस्त हो गये। मरम्मत का कार्य चालू कर दिया गया है। 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई जिसमें एक बच्चा है। प्रत्येक मृतक के परिवार को एक हजार रुपए की सहायता प्रदान की गयी।

(3) जनपद बस्ती में दिनाँक 3 जुलाई, 1980 को घाघरा नदी में ग्राम गंगापुर मझा के पास नाव दुर्घटना हुई। नाव में 14 यात्री थे परन्तु उनमें से 6 बच गये। प्रभावित परिवारों को 1000 रुपए प्रति परिवार की अहेतुक सहायता दी गयी।

(4) देवरिया में सिंचाई विभाग द्वारा बनाए गये बाँधों से अमवाखास बाँध 400 मीटर लम्बाई में दिनाँक 5 तथा 6 जुलाई, 1980 को क्षतिग्रस्त हुआ है। नदी के कटान के कारण ग्राम अमवाखास के कुछ टोलों में कई मकान क्षतिग्रस्त हो गये हैं। कटे हुए बाँध के पीछे सुरक्षा हेतु एक रिंग बाँध बनाया जा रहा है। अमवाखास ग्राम के ही बरवापट्टी टोले जो कथवलिया के बगल में है, के सामने 11 छोटे ठोकर बनाए गये हैं जिनसे कटान रुका हुआ है। कैथवलिया टोले के सामने और उसके नीचे हो रहे कटान को रोकने के लिए नदी का जल स्तर गिरने पर 4 छोटे ठोकर और बनाना प्रस्तावित है।

(5) बलिया में दिनाँक 12-7-80 को सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन के पास एक नाला पार करते समय एक नाव उलटने की सूचना जिलाधिकारी, बलिया से प्राप्त हुई है। नाव में सवार 45 व्यक्तियों में से 20 व्यक्तियों के डूबने की आशंका है। 3 व्यक्तियों की लाशें नाले से निकाली जा चुकी हैं और शेष के लिए प्रयत्न जारी है।

(6) जिलाधिकारी, बहराइच से प्राप्त सूचना के अनुसार यद्यपि घाघरा का पानी घट रहा है परन्तु 11-7-80 को पानी 23 गाँवों में प्रवेश कर चुका है जिसमें 154 परिवार तथा लगभग 25,00 एकड़ भूमि प्रभावित हुई।

श्री मोहन सिंह——

मान्यवर, यह वक्तव्य जो माननीय सिंचाई मन्त्री ने दे दिया उसमें केवल सम्पूर्ण प्रान्त में वर्षा और बाढ़ का एक आंकलन प्रस्तुत किया गया है लेकिन राजस्व विभाग की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से, पशुधन विभाग की ओर से बाढ़ के साथ ही विभिन्न तरह की, महामारी गांव में पशुओं की, एक तो इसमें उसके सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं है कि शासन की ओर से इससे निपटने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है पशुओं की बीमारी के बारे में, इन्सान की बीमारी के बारे में। दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि माननीय मन्त्री जी ने यह कहा कि मीटिंग करते हैं बाढ़ से प्रभावित चीजों की व्यवस्था के लिए। मेरा

कहना है कि केवल अधिकारियों को बु ला कर बातचीत कर ली जाती है तो बात बनती नहीं। जन प्रतिनिधियों को भी बैठक में बुलाया जाना चाहिए। तीसरी बात.....

श्री अधिष्ठाता—

आप प्रश्न पूछिये.....

श्री मोहन सिंह—

ये तो सुझाव हैं। प्रश्न पर अब आ रहा हूं। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसमें प्रत्येक जिले में बाढ़ पीड़ितों की तात्कालिक सहायता के लिए 60,000 रुपए आवंटित कर दिये गये हैं। बहुत से ऐसे जिले हैं जहां बाढ़ का दायरा ज्यादा है और बहुत से जिले ऐसे हैं जहां इस का दायरा कम है। जहां पर बाढ़ से प्रभावित ज्यादा लोग हैं, वहां राहत कार्य के लिए सहायता की राशि बढ़ा दी जानी चाहिए। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जहां पर क्षति व्यापक हुई है बाढ़ के कारण वहां पर इस राहत राशि को बढ़ाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह तो जो सहायता दी गयी है लम-सम दी गयी है। आवश्यकता पड़ने पर जो खर्च कर लिया जाता है सरकार उसको दे देती है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, इस वक्तव्य को पढ़ने से ज्ञात हुआ कि मन्त्री जी को बाढ़ की जानकारी है भी नहीं। माननीय मन्त्री जी गोरखपुर से आते हैं और उनके गोरखपुर शहर में दो जगह इतना पानी जमा हुआ है उसका जिक्र इसमें नहीं है जबकि वह वहीं के रहने वाले हैं। इसके साथ ही राहत कार्य के बारे में कोई जिक्र नहीं आया है कि कितने गाँवों के फूड सेन्टर पर कितना तेल, नमक रखा जायगा केवल सीधा-सीधा उत्तर पढ़ दिया गया। मैं जानना चाहता हूं जहां-जहां बाढ़ सेन्टर कायम किए गये हैं वहां पर उन गरीबों को राहत देने के लिए कोई व्यवस्था की गयी है ? विशेषकर गोरखपुर में क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गोरखपुर का जो जिक्र माननीय सदस्य ने किया तो वहां राप्ती अथवा किसी नदी के द्वारा कोई बाढ़ नहीं आई है। जहां तक वाटर लागिंग का जिक्र किया गया तो वर्षा होने से पानी भर गया होगा लेकिन बाढ़ वहीं नहीं आई। जहां तक राहत का सवाल है जैसा वक्तव्य में भी दिया गया है स्थानीय अधिकारियों की एक मीटिंग की गयी है और उनसे कह दिया गया है कि बाढ़ के लिए वे हर तरह की सहायता देने की तैयारी कर लें। लिहाजा जो माननीय सदस्य को शंका है वह उनको नहीं करनी चाहिए क्योंकि सरकार हर तरह की सहायता देने को तैयार है।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

प्रतापगढ़ जनपद में 500 घरों का नुकसान दिखाया गया है तो क्या सरकार बतायेगी कि उनको क्या-क्या सहायता दी गयी है। वहां गोरा ब्लाक में पूरीगांव पूरी तरह बह गया है और उसके बगल के भी तीन चार गांव प्रभावित हुए हैं तो उनको क्या-क्या सहायता दी गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नहर कटने से वाटर लागिंग होने पर कोई सहायता नहीं दी जाती। बाढ़ से जो गांव प्रभावित होते हैं जिससे मकान गिर जाते हैं, फसल बरबाद हो जाती है अथवा और तरह से परेशानी लोगों को होती है तो उसमें उनको सहायता दी जाती है। हर आदमी को सहायता नहीं दी जाती।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

हमेशा तहसील स्तर पर मीटिंग होती थी जिसमें जन प्रतिनिधि बुलाए जाते थे और बी0डी0ओज0 अथवा दरोगा सारी समस्याओं पर विचार करते थे लेकिन इस बार आज तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई गयी। बाढ़ आ गई है और मेरे क्षेत्र डुमरियागंज के तीन गांव कट गये हैं और जब परगनाधिकारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि कौन से गांव हैं? क्या माननीय मन्त्री जी आदेश करेंगे कि तीन चार दिन में बाढ़ समिति बुलायी जाय?

श्री वीर बहादुर सिंह--

16 जून को ही आर्डर कर दिया था कि जिले के सारे अधिकारी तथा जन प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई जाय और बाढ़ सम्बन्धी सारी बातों को सुन लिया जाय और सारे उपाय कर लिये जायं। मुझे आशा है कि बहुत से जिलों में मीटिंग हो चुकी है। मैं नहीं कह सकता कि माननीय सदस्य के जिले में क्यों नहीं हुई?

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या मेरे यहां मीटिंग न बुलाने के कारण परगनाधिकारी को सरकार दंडित करेगी और तत्काल व्यवस्था करेगी कि मीटिंग बुलाई जाय?

श्री अधिष्ठाता--

आपके प्रश्न का उत्तर आ चुका है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

40 साल पहले के आपके नियम हैं और उनमें यह व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति का अत्यधिक सामान नष्ट हो जाने पर उसे 50 रुपए की अहेतुक सहायता दी जाय, 300 रुपए का गृह अनुदान दिया जाय और किसी की मृत्यु हो जाय तो उसके आश्रितों को 1 हजार रुपए की धनराशि दी जाय। यह सहायता इतनी कम है। मैं इस ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि अभी न जाने कितनी घटनाएं होंगी, इसलिए मन्त्री जी इस अहेतुक सहायता का, जो आप अधिकतम मानक बनाए हुए हैं, उसके सम्बन्ध में पुनर्विचार कर इस धनराशि को बढ़ाने की आप कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह सहायता ऐसे लोगों को दी जाती है जो बेसहारा होते हैं और जिनके लिए और कोई रास्ता नहीं होता है। माननीय सदस्य का सुझाव ठीक है, उस पर विचार किया जायेगा।

श्री पंचानन--

माननीय मुख्य मन्त्री जी की तरफ से सिंचाई मन्त्री ने जो वक्तव्य प्रसारित किया है उसमें आजमगढ़ मे टोंस नदी के बारे मे कुछ नहीं कहा गया है। आजमगढ़ इस टोंस नदी द्वारा 1/3 डूब जाता है किन्तु उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गयी है। दूसरी बात यह है कि मेरे क्षेत्र में सैकड़ों जानवर डूब गये हैं, इसके बारे में मैंने नोटिस भी दिया था किन्तु उसके बारे में कोई चर्चा नही की गयी है। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हमारे इलाके में टोंस नदी में जो हर साल बाढ़ आती है और जिससे वहां का 1/3 हिस्सा डूब जाता है जिसमें सगड़ी के सैकड़ों गांव डूब जाते हैं? उनके बारे में सरकार क्या विचार कर रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य की सूचना पर हमने वहां के जिलाधिकारी से सम्पर्क किया है। उन्होंने कहा है कि गांव में कोई बाढ़ नहीं आई है, कोई पानी नहीं फैला है। जब कभी इस तरह की बात होगी तो वैसा प्रबन्ध किया जायगा।

श्री पंचानन--

मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है।

श्री श्याम नारायन तिवारी—

मान्यवर, सम्भावित बाढ़ को ध्यान में रखकर मैं जानना चाहता हूं कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र और मन्त्री जी का निर्वाचन क्षेत्र मिला हुआ है। राप्ती नदी ने हमारे दोनों के गांवों के क्षेत्र को काटकर नष्ट कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र के ककटेही, नकेली, वलमा, रामकोला, बंजरहा, चौका, खड़खड़िया, सोनारा व बलुआ आदि गांवों में हर वर्ष बाढ़ आती है और पूरे क्षेत्र को ध्वस्त कर देती ह। इसके लिए एक योजना बनाई गयी थी किन्तु अभी तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त कोइला गाँव में तथा बन्धैइया बन्धे में रेगुलेटर लगाने की बात चल रही थी। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसको लगाने की शीघ्र व्यवस्था कर दें और जहाँ पर बाढ़ आती ह उन गाँवों को दूसरी जगह पर बसाने की व्यवस्था कर दें। यह मामला बहुत दिनों से खटाई में पड़ा हुआ है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जो गाँव बन्धे और नदी के बीच में पड़ जाते हैं उनको हटाने के लिए सरकार बराबर प्रयास करती ह कि उनको दूसरे स्थान पर बसा दिया जाय लेकिन साधारणतया लोग वहाँ पर जाना नहीं चाहते हैं। जो गाँव माननीय सदस्य ने गिनाए हैं वे ताल के बीच में पड़ते हैं, मेरी कांस्टीटुयेंसी भी उसमें है। लेकिन जब लोग जाना ही नहीं चाहते हैं तो हम उनको जबरदस्ती नहीं हटा सकते हैं। मुझसे आज तक किसी ने दूसरी जगह जाने के लिए नहीं कहा है।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि पिछली बार आगरे में जो बाढ़ आई थी उसमें काफी नुकसान हुआ था। जो मिट्टी और रेत आ गई थी वह किनारे के लेबुल पर आ गई थी। उसको निकालने की व्यवस्था की जाय। लेकिन मुख्य मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है कि जो लोग वहाँ से निकले उनको कुछ मुआवजा दिया गया हो। माननीय मन्त्री जी कृपा करके यह बतायें कि किस तरह से मुआवजा दिया जायेगा और जो नुकसान हुआ है वह किस तरह से पूरा होगा। एक सुझाव मैं यह भी देना चाहता हूं कि वहाँ पर फण्ड की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है, वह पिछला मुआवजा भी नहीं दिया गया है उसको भी पूरा दिया जाय।

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय सदस्य गत वर्ष की बात कर रहें हैं, इस साल वहाँ पर बाढ़ न आये यह देखा जायगा। क्यों सहायता नहीं दी गयी यह पिछले वर्ष की बात है ?

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता—

सब को मौका दिया जायेगा।

श्री कुबेर—

हमारे यहाँ हाटा छितौनी के पास उस पार पचासों गाँव नदी से घिरे हुए हैं, उसकी क्या व्यवस्था की गयी है। वहाँ लोग निकल नहीं पा रहें हैं। जिलाधिकारी को सचेत भी किया गया था लेकिन हमारे यहाँ के कलेक्टर चीनी मिलों में घूम कर पासा लेते हैं तो वहाँ बचाव कार्य क्यों नहीं हुआ, उसका क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जो माननीय सदस्य ने छितौनी बांध की चर्चा की वहाँ पर तीन मजरे हैं जहाँ पर कटाव हो रहा ह उससे वह काफी प्रभावित हैं उसके लिए ठोकरें बनाई जा रही हैं, इतनी बड़ी नदी है कितना अभी हो पाएगा लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है जिनका कटान से घर गिर गया है उनको पैसा तथा हर तरह से सहायता कर रहें हैं। हमारे पास अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है कि कोई सहायता नहीं की गयी।

(व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र त्रिपाठी का नाम पुकारे जाने पर तथा कई सदस्यों के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आपको भी समय मिलेगा इधर से और उधर से दोनों तरफ के सदस्यों को समय मिलेगा।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मैं मन्त्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं। आजमगढ़ में तामसा नदी है वह इलाका तीन तरफ से घिरा हुआ है। इसमें दो पम्प हैं और दोनो निष्क्रिय पड़े हुए हैं। सिंचाई मन्त्री जी को और जिलाधिकारी को लिखकर दिया भी गया लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब वह दोनों पम्प काम नहीं कर रहें हैं जोरों से वर्षा हो जिससे वाटरलौगिंग हो जायेगी पूरे नगर में दो-दो फुट पानी आ जायेगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है, हमारे क्षेत्र में कटाव की समस्या बड़ी जटिल है वहाँ पर चार–पाँच गाँव गजिया, भरनापुर आदि पूरें पानी में आ गए हैं तो उसके लिए क्या उपाय किया गया है, वहाँ पर लोग भयंकर स्थिति मे पड़े हुए हैं, बरसात में बंध पर आ जाते हैं और कोई सहायता कार्य नहीं किया गया है . . . .

श्री अधिष्ठाता—

आप सवाल कर चुके हैं उसका उत्तर आने दे। भाषण न कहें, दो प्रश्न कर चुके हैं। कई प्रश्नों का जवाब एक साथ नहीं आ सकता।

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय सदस्य वाटरलागिंग की बात कर रहे हैं। जब कहीं बारिश ज्यादा हो जायेगी तो वाटरलागिंग हो जायेगी और थोड़ी देर बाद पानी निकल जाता है तो यह कोई ऐसी चीज नहीं है, इसे बाढ़ नहीं कहा जा सकता हैं। जब नदी का पानी उसके चपेट से बाहर निकल जाता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। अभी बाढ़ कहीं आई नहीं है। मैं एक तथ्य रखना चाहता हूं, जिसके अनुसार अभी हर नदी का लेवल बाढ़ स्तर तक नहीं पहुंचा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आप देखे कि बाढ़ के सम्बन्ध में डेंजर की क्या स्थिति है। गंगा नदी का हरिद्वार में डेंजर लेवेल 294 ह, जबकि वह अभी 292 पर ही बह रही है, यमुना नदी का हमीरपुर में डेंजर प्वाइंट 104 है और वह इस समय 93 पर है। इसी प्रकार ननी में 84 डजर लेवेल हैं और वह वहाँ 78 पर चल रही हैं। घाघरा रिवर कतरनिया घाट पर 137.49 का डेंजर लेवेल है और वह वहाँ 134 अब है। तो हर नदी अभी डेंजर लेवेल से बिलो है। अभी आप यह नहीं कह सकते हैं कि नदियों में बाढ़ आ रही है। अभी सिर्फ कटान हो रही है, इसमें दो राय नहीं ह। यह कोई नई बाढ़ नहीं है, नदी के किनारे के गाँवों में कटान होता ही रहता है।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, गोण्डा के बारे में आप अलग से समय दीजिए ?

(व्यवधान)

श्री पंचानन—

घाघरा से हमारे यहाँ और आजमगढ़ में हजारों गाँव डूब गये हैं, लेकिन उसके बारे में इस वक्तव्य में कोई जिक्र नहीं है, आप कोई फैसला करा दें. . . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता —

आप बैठें, मैंने अभी आपको नहीं बुलाया है ।

श्री सत्यपाल सिंह—

उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष भारी सूखा रहा और उससे पहले वर्ष में प्रदेश में ऐसी भीषण बाढ़ आई थी, जिसकी विभीषिका की कोई सीमा नहीं, तो बरेली मण्डल के शाहजहाँपुर में जहाँ रामगंगा और गंगा दो बहुत बड़ी नदियाँ हैं, जहाँ भीषण बाढ़ के समय हेलीकाप्टर से कई बार सहायता सामग्री बंटवाई गयी, वहाँ के लोग फिर किनारे पर ही बसने लगे हैं, अभी तक उनको नहीं हटाया गया है, उनके बसने की दूरी 50 या 100 गज से अधिक नहीं है । इसलिये मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वह क्या प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश देंगे कि जो लोग—जो गांव नदियों के किनारे बसे ह, उनको तत्काल दूर बसाया जाय और बरेली मण्डल जो सर्वाधिक प्रभावित रहा है, जहाँ 5 चौकियाँ मंडलायुक्तों की स्थापित की है, क्या उनके साथ की सूची में बरेली मण्डल को भी आप शामिल करने की कृपा करेंगे ? क्योंकि . . . .

श्री वीर बहादुर सिह—

केवल बरेली मण्डल नहीं, जहाँ कहीं भी ऐसी घटना घटेगी, हर प्रकार से वहाँ सहायता की जायगी । किसी जिले विशेष की इसमें बात नहीं है . . . . . .

(व्यवधान)

एक सदस्य—

10 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने उत्तर प्रदेश के उन जनपदों में कार्य कराने की बात कही है, जिसमें बुलन्दशहर के अट्टा ग्राम की भी बात है

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य कृपया बैठें, मैंने श्री राजेन्द्र त्रिपाठी को बुलाया है ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

इलाहाबाद जनपद में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में एक बांध बनाने तथा रेगुलेटर लगाने का काम पहले कांग्रेस शासन में शुरु हुआ था जिसे पिछली सरकार ने रोक दिया और वह काम रुका हुआ है, क्या सरकार उस काम को तत्काल शुरु करवाने के आदेश देगी ?

श्री वीर बहादुर सिह—

अगर कहीं कोई लापरवाही हो रही है तो उसे ठीक किया जायेगा ।

श्री हरिवंश सहाय—

देवरिया जिले में सरसौनी, भरहेचौरा, मालीवारा, बनकटा दीक्षित, चुरिया तथा खेमादेई आदि गांवों में कटान जारी है, इसे रोकने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है तथा सरजू नदी में नाव उलटने से 15 आदमी डूब कर मर गए, यह जानकारी सरकार को है ?

श्री वीर बहादुर सिह—

नदी के किनारे हजारों गांवों में कटान जारी है, अगर सारे गांवों की सुरक्षा के लिए प्रबन्ध किया जाय तो हजारों करोड़ रुपए की जरूरत होगी । हमारे प्रदेश में साधन बहुत कम हैं । हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कटान को रोका जा सके । माननीय सदस्य ने जो गांव बताए हैं इन्हें दिखवा लिया जायगा कि क्या स्थिति है ।

(व्यवधान)

श्री यशपाल सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

बुलन्दशहर में अट्टा बांध बनाया जा रहा है, उसमें 5-6 गांव ऐसे हैं जो कटान में आ गए हैं और वे पूरे गांव समाप्त हो जायेंगे। तो ऐसे गांवों के व्यक्तियों को, जिनके पक्के और कच्चे मकान खत्म हो जायेंगे, क्या सरकार उनको मुआवजा देगी और उनको दूसरी जगह बसाएगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उसके लिए नियम बने हुए हैं, उसके अनुसार सहायता दी जायगी।

श्री ऊदल--

देवरिया और गोरखपुर आदि जिलों में गण्डक और दूसरी नदियों में बाढ़ से हर साल तबाही होती है। उस सम्बन्ध में नेपाल सरकार से मिलकर कोई योजना बनाने पर विचार चल रहा था कि कैसे बाढ़ को रोका जाय और एक बांध ऐसा बनाया जाय जिससे इसे रोका जा सके। उस योजना के बारे में क्या प्रगति हुई, अगर कोई प्रगति नहीं हुई तो क्या सरकार कोई ऐसी योजना पर विचार करेगी कि जिससे बूढ़ी गण्डक और गण्डक का पानी बढ़ने न पाए ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

एक जल कुण्डी योजना की बात नेपाल से चल रही थी। उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। गण्डक का कैचमेन्ट एरिया नैपाल में ज्यादा पड़ता है, उसका पानी हमारे यहां आता है और उससे कटान को रोकने में कठिनाई होती है। सरकार वहां सिघौली बांध, बनवाने के लिए कई वर्षों से प्रयत्नशील है। काफी पैसा भी खर्च होता है, लेकिन कभी-कभी कहीं न कहीं कुछ होता रहता है, क्योंकि नदी का इतना ज्यादा बहाव है कि उसको रोकने में कठिनाई होती है।

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, 3-7-80 को मैंने एक पत्र लिखकर आग्रह किया था कि हमारे क्षेत्र में मकूर ड्रेन गजपुर गौरा नाले में मिला दी गयी है और वह नाला बड़ा समुन्दर में गिरता है यदि उस नाले की सफाई नहीं की गयी, तो काफी भयावह स्थिति पैदा हो जायेगी। आज मुझे प्रातःकाल वहां के लोगों का पत्र मिला है कि वहां के गांव डूबे हुए हैं। गांव के गांव पूरे डूबे हुए हैं। अगर कोई शीघ्र व्यवस्था नहीं की गयी, तो गम्भीर स्थिति पैदा हो जायगी। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई ऐसी व्यवस्था कर दें, जिससे पानी की पूरी सफाई भी हो जाय और नाले का निकास भी हो जाय।

श्री बीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जहां कहीं पानी की वजह से नाले टूट जाते हैं, तो उसके लिए तुरन्त आदेश दिया जायगा कि उसकी सफाई करा दी जायगी।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मान्यवर, अमवा खास के 13 टोले, जिसमें 975 परिवार रहते थे, यह पूरा टोला नदी में चला गया और एक दर्जन गांव का कुछ हिस्सा नदी में कटता जा रहा है, जिसमें कैथवलिया का एक प्राइमरी स्कूल और एक मिडिल स्कूल नदी में चला गया। अमवा-खास जो बांध है, जो टूट गया है, जब टूट गया, इसको बचाने के लिए इन्होंने बड़ी गण्डक का पानी, गण्डक नहर में छोड़ दिया, जिससे हजारों गांव डूब गये, फसल वगैरह भी डूब गयी। मेरा निवेदन है कि इसकी जांच कराई जाय तथा जो इसके लिए दोषी हो, उसे दंडित किया जाय तथा जो नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा दिलाया जाय। जिन अधिकारियों नें जानबूझ कर हजारों एकड़ फसल को डुबोने का काम किया है, उनके खिलाफ जांच कराकर कार्यवाही की जाय।

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, जो माननीय विधायक ने सूचना दिया है, ऐसी बात नहीं है, अमवा में कटान हो रहा है, बचाव के काम भी हो रहे हैं। लेकिन जितना आप समझते हैं, जितनी सफलता मिलनी चाहिए, उतनी सफलता नहीं मिल रही है।

श्री इन्द्र जीत---

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जहां बाढ़ आती है, वहां पर कोई स्थायी व्यवस्था करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं उस पर विचार बराबर किया जाता रहा है और शीघ्र ही कोई हल निकाला जायगा। लेकिन मैंने जैसा पहले कहा था कि इन सब को पूरा करने में हजारों रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। चूंकि अभी हमारे पास कोई साधन नहीं है, परन्तु विचार तो इस पर किया जायेगा जैसा कि हर योजनाओं पर बिचार हो रहा है, इस पर भी विचार कर निर्णय होगा।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

मान्यवर, मेरठ जिले के हस्तिनापुर के हर क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है।

(व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी---

मान्यवर, हमारे गोण्डा जिले की उतरौला क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है, जिसकी सूचना विशेषकर चल कर देख लें,उन्हें मिल चुकी है और वहां के जिलाधिकारी इस बारे में कान में तेल डाले बैठे हैं। आसाम रोड पर एक गांव है पहलिया, वह भी कट रहा है,। अगर मान्यवर, वह कट गया तो आसाम से रास्ता भी पूरा कट जायगा। मान्यवर, हमारे क्षेत्र उतरौला के बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उतरौला बरबाद हो जायगा, अगर कोई बचाव कार्य वहां नहीं समय से किया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता---

आप प्रश्न पूछें।

श्री मसरूर जाफरी---

प्रश्न तो मान्यवर, किया है कि हमारे उतरौला के बचाव की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

माननीय सदस्य जो बात कर रहे हैं इसी से सम्बन्धित हर जिलों से बहुत सी मांगें आ रही हैं। कहीं ठोकरें बनाने की मांग आ रही है, कहीं कटाव को रोकने की और कहीं पुल आदि बनाने की मांग आ रही है। मैं समझता हूं कि अगर कहीं ऐसी बात उत्पन्न हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है या वाटर-लागिंग हो रही है। इस प्रकार की सूचना मा० सदस्य अगर लिखकर दे दें, तो उसकी जानकारी करवा कर उस पर कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री दामोदर शर्मा---

मान्यवर, मेरठ जिले के हस्तिनापुर कस्बे के पास एक नदी बूढ़ी गंगा है जिसके निकट दो गाँव हथनीपुर और खदीपुर हैं जिसमें हर साल बाढ़ आती है, जिसके कारण वहाँ के निवासियों को, हस्तिनापुर कस्बे में एक जैन धर्मशाला में ठहराया जाता है तो क्या मा० मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए उनको बसाने की कोई जगह की व्यवस्था की गयी है ?

(व्यवधान)

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय, यह प्रयास किया जा रहा है कि उनको किसी अच्छी जगह, जो ऊंची जगह हो, बसाया जाय। जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसकी जानकारी करवाकर यदि उन परिवारों को बसाने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, मैं अपने.....

(शोर)

श्री दामोदर शर्मा—

मान्यवर, हर साल उसमें बाढ़ आती है। लेकिन मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी के वक्तव्य में इसका कोई जिक्र नहीं आया है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका प्रश्न तो हो गया। जब मैंने आपको दुबारा नहीं बुलाया, तब आप क्यों बोल रहे हैं। आप कृपया बैठ जायं। मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मथुरा, आगरा जनपदों में हरियाणा और राजस्थान से गोवर्धन नाले में पानी आने के कारण उत्तर प्रदेश में बाढ़ की विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हरियाणा एवं राजस्थान प्रदेशों से उनके निर्धारित शेयर 1040 क्यूसेक से अधिक पानी उत्तर प्रदेश में न आये इसका नियंत्रण कामा रिगुलेटर पर रखा जायगा ?

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता था कि जो आगरा जिले के अवनेरा ब्लाक से राजस्थान के नदी नालों का अधिकांश पानी चैनल में से अजान बाँध में आकर इकट्ठा होता ह। जिस कारण से फतेहपुर सीकरी में अजान बाँध के 93 मोहरों के खुलने पर बाढ़ आ जाती है। तो क्या मा0 मुख्य मन्त्री जी कामा रेगुलेटर स इन चीजों पर नियन्त्रण करने की व्यवस्था करेंगे ? लेकिन उनका सब पानी इकट्ठा होता है क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था की जायगी जिससे ज्यादा पानी इकट्ठा न हो।

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसका नियन्त्रण कामा रेगुलेटर पर किया जायगा, उससे ज्यादा पानी नहीं दिया जा सकता ह।

(इस समय 3 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

एक सदस्य—

हमारी समस्या गम्भीर है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया बैठ जायं। मैं आपको अवसर दूंगा। माननीय अधिष्ठाता ने कैलाश टंडन को बुला लिया है, उनको बोलने दें

श्री कैलाश टंडन—

मान्यवर, वाराणसी के किनारे गंगा नदी बहती है पिछले सन् 1978 की बाढ़ में परकोटा उसके पीछे, ब्रह्म घाट, राम घाट है परकोटा का महल गिर जाने का मुझे डर लगता है कि अब पुनः बाढ़ आयगी तो उसमें हजारों हजारों नर-नारी जो रहते हैं उनका जन-जीवन खतरे में है। मैं, मान्यवर, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पक्के महल में रहने वालों की तो जो बूंदी परकोटा मुहल्लों की सुरक्षा के वास्ते आपके विभाग ने क्या किया है ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

माननीय सदस्य कहते हैं। गंगा के किनारे बनारस की बात माननीय सदस्य कहते हैं। गंगा के किनारे इतना सटा हुआ बसा है कि वहां पर कोई काम करना, बांध बनाना, ठोकर लगना कठिन है। क्या हो सकता है उस पर विचार किया जायगा।

श्री कैलाश टंडन—

माननीय, मन्त्री जी वहां की सुरक्षा .....

श्री अध्यक्ष—

कृपया बैठें। एक साथ सबको अवसर नहीं मिल सकता।

श्री ब्रज किशोर—

माननीय, मन्त्री जी का ध्यान देव[illegible] पडरौना की तरफ ले जाना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी ने अभी सिंचाई के [illegible] जो व्यवस्था दी जाती है उसके सम्बन्ध में मन्त्री जी से थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा कि अभी परपटाददी, कैथरिया.....

श्री अध्यक्ष—

आप स्पष्टीकरण माँगिए।

श्री ब्रज किशोर—

उसमें मेरा निवेदन हैं कि वह सन्तोषप्रद नहीं है। वहाँ हजारों लोग भूख के शिकार हो रहे हैं। वहाँ व्यवस्था की जानी है राहत कार्य किया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, जरा सुनें तो.....

श्री ब्रज किशोर—

मैं कहना चाहूंगा कि उसके बगल में एक पिपरासी.....

(व्यवधान)

पिपरा सी एक बहुत बड़ा, इम्पार्टेंट बांध है उसके किनारे.....

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप स्पष्टीकरण पूछिए। क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं?

(व्यधान)

(श्री ब्रज किशोर बैठ गये)

श्री जटा शंकर सिंह—

माननीय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या.....

(श्री मित्रसेन के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मित्रसेन जी, आप बैठ जायं।

श्री जटा शंकर सिंह—

माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि 24 जुलाई, 1979 को शारदा कालोनी नम्बर-2, नानपारा रुपई—डीहा रोड पर स्थित है। बहराइच जिले में पानी के बहाव की दिशा बदलने से नानपारा स्टेशन रोड और तहसील भवन का पूरा भाग डूब गया था। यदि ज्ञात है तो इस वर्ष उस भयानक स्थिति से उसे बचाने के लिए क्या प्रबन्ध किया जा रहा है?

श्री बीर बहादुर सिंह—

माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है उसकी जानकारी करा ली जायेगी और उस के लिए क्या बचाव कार्य हो सकते हैं, देखा जायेगा?

श्री प्रियदर्शी जेतली--

आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि फैजाबाद जनपद के अकबरपुर, जिसका एक हिस्सा अकबरपुर विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है उसमें एक बहुत बड़ी झील दरवंझी है जिसमें पानी का निकास न होने के कारण हजारों बीघा फसल डूब जाती है जिसमें निकासी की व्यवस्था होना जरूरी है। क्या उस सम्बन्ध में विभाग कार्यवाही करेगा ?

अकबरपुर विधान सभा क्षेत्र में गांव महराजगंज के पास 2 नहरें निकली हैं जिससे बीसों गांव फंस जाते हैं, फसल डूब जाती है, उस सम्बन्ध में क्या मन्त्री जी कोई व्यवस्था करेंगे ताकि आगे आने वाली आबादी और फसल बच सके ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय सदस्य ने कहा कि जो 2 नहरें हैं, उनकी वजह से वाटर लागिंग होती है यह प्रयास किया जा रहा है कि यह न हो और अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था करा दी जायेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

माननीय मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें कुछ पश्चिमी और पूरब के जिले दिए गये हैं। पर्वतीय जिलों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हाल में उत्तर काशी में भयंकर बाढ़ आई उसमें जन-धन की बहुत बड़ी हानि हुई उसका कोई जिक्र नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बताया कि उत्तरकाशी में बाढ़ आई, बाढ़ नहीं आई, उत्खनन हुआ। काफी ज्यादा वर्षा होने के कारण उत्खनन होता रहता है। यह बराबर परम्परा है। बात सही है कि उत्तरकाशी में क्षति पहुंची, यह बाढ़ के कारण नहीं हुआ।

श्री जैराज गौतम--

पहाड़ों से अरबों टन मिट्टी हर साल मैदानों में आती है. . . . .

(व्यवधान)

सूखे से भी वह लोग प्रभावित हैं और बुरी तरह से किसान परेशान है। पानी निकालने की कोई सुविधा नहीं है, बराबर शासन को लिखा जाता रहा है, इसकी व्यवस्था की जाय। तो मैं आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि क्या वहां के पानी निकालने की कोई कार्यवाही सरकार करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसकी जानकारी करा ली जायेगी कि क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, राजस्थान एवं हरियाना से मथुरा जनपद में बहुत पानी आता है। जब-जब अधिक वृष्टि होती है राजस्थान में हरियाना से पानी आता है। सरकार ने गोबर्धन ड्रेन बनवाया है उसकी सफाई अच्छी तरह से नहीं होती है। पानी पटरियों से आता है जिससे पटरियां निकल जाती हैं। छाता और मथुरा तहसील के गांव तबाह हो जाते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इसके लिए क्या कोई विशेष व्यवस्था की गयी है ? दूसरे यह कि नाले से. . . . . .

श्री अध्यक्ष--

आप जो स्पष्टीकरण मांगना चाहते हैं, वह मांगें। आप क्या स्पष्ट कराना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री सरदार सिंह--

नाला जो है उससे अच्छी तरह से पानी नहीं बह पाता। बहाव ठीक नहीं है गांव के गांव तबाह कर देता है। इसके लिए सरकार ने कोई विशेष व्यवस्था की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है। इसका उत्तर दिया जा चुका है। गोवर्धन ड्रेन की सफाई आदि की व्यवस्था पूरी तरह से करा ली गयी है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सरकार काफी सतर्क है। हरियाना और राजस्थान से जो पानी आता है कन्ट्रोल करते हैं कि पानी न आने पाए।

श्री सुरेन्द्र कपिल---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि सहारनपुर शहर के बीच में एक नाला बहता है। जिस साल सूखा पड़ता है उसके अगले साल वर्षा अधिक होती है। इस साल भी वर्षा अधिक होने की सम्भावना है। इस नाले की वजह से शहर के दोनों ओर जो बस्तियां हैं उनमें करोड़ों रुपए की क्षति होती है जिस पर पहले भी कई दफा शासन को कहा जा चुका है। क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना मन्त्री जी के पास है जिससे बाढ़ को रोका जा सके और क्या इस नाले का पानी कहीं और डालने के लिए कोई योजना बनाई गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

शहरों और कस्बों के बचाव के लिए प्रयास कर रहे हैं। सहारनपुर में जो नाले की बात है उस पर विचार किया जायेगा।

(शोर)

श्री अकबाल हुसैन---

आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि गैतही, पचपेड़वा में बहाव अधिक हो जाता है और सेलाब और रेत किसानों के खेतों में आ जाता है। उसके बचाव का कोई प्रबन्ध कर रहे हैं, इस सम्बन्ध में कोई योजना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

इसकी जानकारी करा ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष---

4 बज रहे हैं. . . . .

कई सदस्य---

अभी दो मिनट हैं।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा---

मान्यवर, आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इटावा जिले में सूखे के अतिरिक्त हर वर्ष बाढ़ आती है और बहुत से गांव तबाह हो जाते हैं। इटावा जिले की बाढ़ को रोकने के लिए कोई कारगर योजना बनाई गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

बाढ़ से हर प्रकार का बचाव किया जाता है चाहे बन्धी बनाकर या और किसी तरह से। इटावे का जो जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, उसके बारे में भी जानकारी कर ली जायगी कि वहां पर बाढ़ से बचाव के लिए क्या-क्या किया गया ?

श्री दलगंजन सिंह---

मान्यवर, वर्ष 1978 में जिला जालौन और उरई नगर भी उसमें आता है, वहां पर एक पुल बना हुआ है। लेकिन. . . . .

श्री अध्यक्ष---

अब 4 बज गया है। आप कृपया बैठें।

(व्यवधान)

[समय अपराह्न 4.10]

[समय अपराह्न 400 से]

बजट साहित्य के वितरण के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब 4 बज गये हैं, वर्ष 1980-81 का बजट प्रस्तुत होने जा रहा है। बजट का साहित्य किस प्रकार से वितरित होगा इस सम्बन्ध में निवेदन कर दूं। वित्तीय वर्ष 1980-81 का आय-व्ययक तथा वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग के लिए लेखानुदान सम्बन्धी साहित्य वितरण के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है। महिला सदस्य तथा नीचे लिखे जिलों के माननीय सदस्यगण क्रमशः "हां" तथा "नहीं" सभा कक्ष में अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें :

"हां" कक्ष में

महिला सदस्य, उत्तरकाशी, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर-खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया तथा आजमगढ़ जिले।

"नहीं" कक्ष में

बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन, मैनपुरी, एटा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून तथा श्री ए0सी0 ग्राइस।

1980-81 का आय-व्ययक

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

मान्यवर, मैं वर्ष 1980-81 का बजट प्रस्तुत करता हूं।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, पहले बजट की कापियाँ तो वितरित हो जायं।

श्री अध्यक्ष--

आप अपनी कापियाँ ले लें।

श्री रियासत हुसैन--

--बजट भाषण की कापियाँ तो हमको मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

य आपको वितरित की जा रही हैं।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, परम्परा यह रही है कि जब यह कहा जाय कि मैं बजट प्रस्तुत करता हूं तो बजट की प्रतियाँ बंटवा दें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने पहले ही कहा है कि कापियाँ बंट रही हैं। उसके बाद ही पढ़ा जायेगा।

(बजट स्पीच की प्रतियाँ बाँटी गयीं।)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर,

गत दिनांक 17 फरवरी, 1980 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने के फलस्वरूप वर्ष 1980-81 का अन्तरिम बजट संसद के समक्ष 14 मार्च, 1980 को प्रस्तुत किया गया था और उसके आधार पर प्रथम 4 माह अर्थात् अप्रैल से जुलाई, 1980 के लिए संसद ने लेखानुदान पारित किया था। इस बजट पर विचार करने व अनुदानों को

पारित करने में समय लगेगा अतः संविधान की धारा 206 के अन्तर्गत तीन माह अर्थात् अगस्त से अक्तूबर, 1980 के लिए मैं लेखानुदान के प्रस्ताव भी स्वीकृत्यार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं। वर्तमान बजट में व्यय की नई मदें तथा नई योजनाएं भी सम्मिलित ह। इसमें बजट अनुदानों को अधिकांशतः विभागवार दर्शाया गया है और बजट अनुमान एक हजार रुपए के गुणांकों में व्यक्त किए गये हैं। सुविधा की दृष्टि से 31 दिसम्बर, 1979 को प्रवृत्त व उस दिनांक तक राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विवरण-पत्र जो बजट साहित्य के खण्ड–2 में पिछले वर्ष तक सम्मिलित किया जाता था, को एक पृथक खण्ड–8 के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

हाल के लोक सभा के चुनाव में और उसके बाद विधान सभा के चुनाव में अवाम ने श्रीमती इंदिरा गाँधी और कांग्रेस (आई०) के नेतृत्व, नीतियों और कार्यक्रमों को प्रबल समर्थन प्रदान किया। जो विश्वास जनता ने व्यक्त किया है उसके लिए हम अत्यन्त आभारी और अनुगृहीत हैं और इस महत्वपूर्ण अवसर पर सरकार की ओर से मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि श्रीमती गाँधी के नतृत्व में हमारी पार्टी निरन्तर जनसेवा और लोकहित कार्य में समर्पित रहेंगी और जनता की आकाँक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुसार अपने कर्तव्य मार्ग पर दृढ़ रहेगी।

श्री राज्यपाल के 3 जुलाई, 1980 के अभिभाषण में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को स्पष्ट किया गया था। सारांश में सरकार के संकल्प के कुछ प्रमुख अंग इस प्रकार हैं: ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना, क्षेत्रीय असन्तुलन को कम करना, निर्बल वर्ग का उत्थान, अल्प संख्यकों के हितों की रक्षा, कानून और व्यवस्था की स्थापना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, स्वच्छ एवं कुशल प्रशासन, समुचित वितरण प्रणाली और प्रदेश का सम्यक् आर्थिक सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास।

प्रजातन्त्र में एक तरफ तो राजनैतिक स्तर पर जन शिक्षा और जन जागरण का कार्य चलता रहना चाहिए और दूसरी तरफ प्रशासनिक तन्त्र के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन होता रहना चाहिए। श्रीमती गाँधी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार अपने राजनैतिक उत्तरदायित्वों का पालन करती रहेगी, और प्रजातन्त्र को हर स्तर पर मजबूत करेगी। इस दिशा में पंचायतों, क्षेत्र समितियों, जिला परिषदों और नगर पालिकाओं एवं नगर महापालिकाओं इत्यादि में चुनाव कराकर उन्हें जन प्रतिनिधियों का नतृत्व उपलब्ध कराया जायेगा और साथ ही यह प्रजातांत्रिक संगठन मजबूती से जन सेवा का काम कर सके इसके लिए उन्हें सक्रिय, प्रभावशाली और साधन सम्पन्न बनाया जायेगा। सरकार ने निश्चय किया है कि मौजूदा ढांचे के अनुसार काम तो शुरू किया जाये लेकिन पंचायती राज संगठन में वाँछित सुधार लाने और उसे मजबूत करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाय जो वर्तमान स्थिति का अध्ययन कर और दूसरे प्रदेशों में किए गये प्रयोगों का लाभ उठाकर एक निर्धारित समय के अन्दर अपनी संस्तुति दे जिससे नियोजन व विकास के कार्य में जनता, जन प्रतिनिधि और जन संगठन अपनी अभिलषित भूमिका अदा कर सके।

शासन तन्त्र हर स्तर पर सहयोग, समन्वय व प्रभावी ढंग से कार्य कर सके इसके लिये सरकार उचित कदम उठाएगी। कृषि या उद्योग या कोई अन्य जन सेवा का कार्य एकाँगी प्रयास से पूरा नहीं किया जा सकता है। विभिन्न कर्मचारियों और विभागों के सम्मिलित सहयोग और प्रयास से ही अधिकतर योजनाओं और कार्यक्रमों को सम्पादित किया जा सकता है। अगर कंधे से कंधा मिलाकर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी कृतसंकल्प हों तो मौजूदा साधनों से ही बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। सरकार की दृष्टि में सभी सरकारी सेवा संवर्ग समान महत्व रखते हैं और जिन्हें जरा सा भी कर्तव्य बोध है उनके लिए तो

"सेवक हित साहब सेवकाई। करइ सकल सुख लोभ बिहाई॥"

प्रजातन्त्र में जनता में ही सार्वभौम सत्ता का निवास है और जनता जनार्दन ही हम सब का साहब है। सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि ग्राम विकास खण्ड, जिला मण्डल

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

और राज्य स्तर पर विभिन्न सरकारी कर्मचारी आपसी सहयोग, कुशलता, निष्ठा और स्वच्छता से अपने कर्तव्यों का पालन करें। सर्वांगीण ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करन के लिए जिला विकास संगठन में तालमेल को सुदृढ़ किया जायेगा। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की बात मैंने पहले कही। मण्डल स्तर पर भी क्षेत्रीय नियोजन और विकास के संगठन को मजबूत किया जायगा। मण्डलीय नियोजन समितियों को धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी ताकि क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने में उपयोगी कदम उठाए जा सक।

अनुसूचित जातियों एवं जन-जातियों के कार्यक्रमों को तत्परता, कुशलता और प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित किया जा सके इसके लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिला स्तर का संगठन सुदृढ़ किया जाय। जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के अतिरिक्त एक पूर्णकालिक अधिकारी की नियुक्ति की जायेंगी जो जिलाधिकारी की देख-रेख में जिले में अन्य सभी विभागों और संगठनों के कार्यक्रमों में हरिजन कल्याण के लिए वांछित योगदान सुनिश्चित करेगा। हरिजन वित्त एवं विकास निगम का लखनऊ से ही कार्य करना अपर्याप्त है। उपर्युक्त अधिकारी इस निगम का पदेन जिला मैनेजर भी होगा और ऋण इत्यादि की स्वीकृतियाँ जिला स्तर पर ही एक समिति द्वारा दी जा सकेंगी। जिला उद्योग केन्द्र और विकास खण्डों का भी पूरा सहयोग हरिजन विकास एवं कल्याण कार्य के लिए सुनिश्चित किया जायगा। भारत सरकार ने इस वर्ष के बजट में हरिजन कल्याण कायक्रमों के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का प्राविधान किया है। इसमें से उत्तर प्रदेश के लिए समुचित भाग प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

राज्य विद्युत् परिषद् के कार्य के बारे में समय-समय पर चिन्ता व्यक्त की गयी है। तापीय बिजली इकाइयों में बिजली का उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता से बहुत कम रहा है और साथ ही बिजली के अनधिकृत प्रयोग की भी शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। इसके कुछ कारण बाहरी हैं और कुछ आन्तरिक। राज्य विद्युत् परिषद् की कुशलता और दक्षता से कार्य कर सकने पर कृषि और उद्योग का विकास बहुत कुछ निर्भर ह। अतः यह आवश्यक है कि बाहरी कठिनाइयों को दूर करने के साथ विद्युत् उत्पादन, पारेषण व वाणिज्यक अंगों में वाँछित कुशलता शीघ्र लाई जाय। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य विद्युत् परिषद् के पुनर्गठन का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। इस पुनर्गठन में मानवीय पहलू व परिषद् के इन्जीनियरों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जायगा।

कार्यक्रमों एवं प्रायोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए एक उपयुक्त, कुशल, निष्ठावान और संवेदनशील ढांचा अत्यन्त आवश्यक है। मैंने अभी कुछ निर्णयों का जिक्र किया है जिससे प्रजातांत्रिक व्यवस्था और प्रशासनिक तन्त्र को मजबूत और कार्यशील बनाने का प्रयास किया जायेगा। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के जो भी सुझाव होंगे उनका पूरा लाभ उठाने की कोशिश हम करेंगे।

हमारी सरकार ने 9 जून, 1980 से कार्य करना प्रारम्भ किया। मौजूदा बजट अधिकांशतः चालू योजनाओं एवं पिछली प्रतिबद्धताओं के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इस वर्ष हम क्या कर पायेंगे यह इस पर भी निर्भर करता है कि हमें क्या आधार मिला? लोगों का विश्वास ह कि जनता पार्टी के आन्तरिक बिखराव, विरोध और विषमताओं के फलस्वरूप उनके प्रशासन की अवधि एक कमहीन और निरर्थक अवधि रही है। आपसी मतभेदों के कारण प्रशासन अपंगु-सा हो गया था और उसमें समन्वय की भारी कमी थी। जगह-जगह पर शिथिलता और उदासीनता आ गई थी। भारत सरकार के वित्त मन्त्री जी ने संसद में अनन्तिम बजट पेश करते हुए और उसके बाद पूरा बजट प्रस्तुत करते समय राष्ट्रीय आर्थिक ढांचे की स्थिति उसकी कमियों और असफलताओं का जिक्र किया। बढ़ती हुई कीमतों का अभिशाप हमें विरासत में मिला। देश की अर्थ-व्यवस्था में चिन्ताजनक बात यह रही कि वर्ष 1979-80 में स्थूल राष्ट्रीय उत्पाद (ग्रास नेशनल प्रोडक्ट) में तीन प्रतिशत की कमी आई।

कृषि उत्पादन में दस प्रतिशत की तथा औद्योगिक उत्पादन में एक प्रतिशत की गिरावट आयी। रेल यातायात की अपर्याप्तता एवं कोयले तथा विद्युत् के उत्पादन में भारी कमी के कारण अर्थ-व्यवस्था पर दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मुझे विश्वास है कि मौजूदा बजट पर विचार करते समय सम्मानित सदस्य इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखेंगे।

अर्थ-व्यवस्था

वर्ष 1979–80 में प्रदेश को अद्वितीय सूखे का सामना करना पड़ा। विगत कई वर्षों में प्रदेश के ऊपर इतनी भयावह प्राकृतिक आपदा कभी नहीं पड़ी। सूखे के कारण कृषि उत्पादन में तो कमी हुई ही, साथ ही विद्युत उत्पादन की कमी से औद्योगिक उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इन सबका यह परिणाम हुआ कि वर्ष 1978–79 की अपेक्षा 1979–80 में कृषि और औद्योगिक उत्पादन में लगभग 30 प्रतिशत की कमी हो गयी।

कृषि और औद्योगिक उत्पादन का योगदान प्रदेश की कुल आय में लगभग तीन चौथाई होता है तथा यह अनुमान है कि इन दोनों क्षेत्रों में उत्पादन की जो कमी हुई है उसके फल-स्वरूप 1970–71 के स्थायी भावों के आधार पर वर्ष 1978–79 में प्रदेश की 5159 करोड़ रु0 की आय 1979–80 में घटकर लगभग 4400 करोड़ रुपया ही रह जायगी। दूसरे शब्दों में 1979–80 में राज्य की कुल आय में लगभग 15 प्रतिशत से भी अधिक की कमी होने की आशंका है।

अन्ततोगत्वा, राज्य की आय प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था का प्रतिबिम्ब है और इसी आय में होने वाली वृद्धि अथवा कमी का प्रभाव प्रति व्यक्ति आय पर भी पड़ता है। 1970-71 के स्थायी भावों पर 1978–79 में प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय 509 रुपया थी वह 1979-80 में गिरकर लगभग 485 रु0 हो गयी। प्रदेश के विगत कई वर्षों के इतिहास में केवल एक वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में इतनी अधिक गिरावट कभी नहीं हुई।

यह भी उल्लेखनीय है कि सूखे के परिणाम स्वरूप जहां एक ओर उत्तर प्रदेश की आय में लगभग 15 प्रतिशत की कमी हुई है, वहां पूरे देश की आय में केवल लगभग 3 प्रतिशत की कमी होने का अनुमान किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे देश की अपेक्षा उत्तर प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था पर सूखे का प्रतिकूल प्रभाव कहीं अधिक रहा है।

भावों की प्रवृत्ति

1979–80 में सूखे के कारण उत्पादन पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा उसके अतिरिक्त प्रदेश को उसकी आवश्यकता की अपेक्षा अत्यन्त कम मात्रा में डीजल उपलब्ध हो पाया। डीजल की अनुपलब्धता के फलस्वरूप परिवहन की भी एक कठिन समस्या उत्पन्न हो गयी। इन सभी कारणों से इस वर्ष अनेक वस्तुओं के फुटकर भावों में भी वृद्धि होती गयी।

4 जून, 1980 और 4 जून, 1979 की दरों की तुलना से यह स्पष्ट है कि पिछले एक वर्ष में अरहर की दाल, उर्द की दाल और प्याज (सूखी) के भावों को छोड़कर शेष कई आवश्यक वस्तुओं के भाव बढ़े हैं। भावों की यह वृद्धि आलू में 250 प्रतिशत, गुड़ में 112 प्रतिशत और चीनी में 107 प्रतिशत से अधिक रही। जनानी धोती, नमक, मिट्टी का तेल एवं सीमेन्ट के भाव में वृद्धि की दर लगभग 10 प्रतिशत या इससे कम रही। शेष वस्तुएं, अर्थात गेहूं, चावल, सरसों का तेल, साफ्ट कोक, दियासलाई, कपड़ा धोने का साबुन और नहाने का साबुन में वृद्धि की दर लगभग 15 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक रही।

इन आवश्यक वस्तुओं के भावों की वृद्धि का यह भी परिणाम हुआ कि एक ओर तो जनसाधारण को कठिनाइयों को सामना करना पड़ा और दूसरी ओर प्रदेश के आर्थिक-विकास में व्यक्तिगत बचतों से जो अधिक पूंजी-विनियोग होता है उससे भी प्रदेश वंचित रहा। पूंजी-विनियोग के इस अभाव का प्रतिकूल प्रभाव केवल 1979–80 तक ही सीमित नहीं रहा अपितु यह प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आगामी वर्षों की अर्थ-व्यवस्था पर भी पड़ेगा।

वार्षिक योजना 1980-81

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

सूखे के इसी परिपेक्ष्य में राज्य सरकार ने 1980-81 के लिए 994 करोड़ रुपये की योजना तैयार कर योजना आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत की थी। परन्तु संसाधनों की कमी के कारण योजना आयोग ने 1980-81 के लिए केवल 850 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया। हमारी सरकार ने कार्यभार सम्भालते ही योजना आयोग से जोरदार अपील की है कि योजना के आकार को कम से कम 126 करोड़ रुपए से और बढ़ाया जाय।

यह उल्लेखनीय है कि अन्य राज्यों की तुलना में 1980-81 के लिए उत्तर प्रदेश में 96 रुपया प्रति व्यक्ति का परिव्यय, पंजाब के 298 रुपया, गुजरात के 188 रु0, महाराष्ट्र के 168 रु0, राजस्थान के 126 रु0, मध्य प्रदेश के 121 रु0 तथा आसाम के 109 रु0 के प्रति व्यक्ति परिव्यय से काफी कम है।

केवल संसाधनों की कमी के कारण 1979-80 के परिव्यय की अपेक्षा 1980-81 के परिव्यय में केवल 40 करोड़ रु0 की ही वृद्धि हो पाई है। गत वर्ष के परिव्यय की अपेक्षा 1980-81 में सिंचाई एवं विद्युत् की मद में 29.75 करोड़ रु0, कृषि एवं संवर्गीय सेवाओं की मद में 19.98 करोड़ रु0 और सामाजिक सेवाओं की मद में 7.68 करोड़ रु0 की वृद्धि की गयी है। फलस्वरूप 1979-80 में कई मदों का जो परिव्यय निर्धारित था उसकी अपेक्षा 1980-81 में इनका परिव्यय कम करना पड़ा है। तभी कुल परिव्यय में 40 करोड़ रु0 की वृद्धि का समायोजन हो पाया है।

1980-81 के 850 करोड़ रुपए के परिव्यय में पर्वतीय क्षेत्र के लिए 72 करोड़ रु0 और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए 96.55 करोड़ रु0 का परिव्यय रखा गया है। योजना के कुल परिव्यय में सिंचाई एवं विद्युत् का परिव्यय 55.6 प्रतिशत, कृषि एवं संवर्गीय कार्यक्रमों का 16.2 प्रतिशत, उद्योग का 3.9 प्रतिशत और सहकारिता का 1.1 प्रतिशत है। अगर सिंचाई व ग्रामीण विद्युतीकरण का परिव्यय कृषि एवं संवर्गीय कार्यक्रमों में जोड़ दिया जाय तो 42.5 प्रतिशत हो जाता है। ये समस्त कार्यक्रम प्रदेश के कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि से सम्बन्धित हैं तथा इनका ही परिव्यय योजना के कुल परिव्यय का 76.8 प्रतिशत है। परिव्यय के शेष भाग में सड़क एवं परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य, जल सम्पूर्ति आदि अन्य कार्यक्रमों को समायोजित करने का प्रयास किया गया है। अगर परिव्यय को बढ़ाने में सफलता मिलती है तो विद्युत्, सिंचाई, जल सम्पूर्ति सड़क एवं पुल, उद्योग, निर्बल वर्ग के कल्याणार्थ क्षेत्रीय विकास की योजनाओं तथा पर्वतीय विकास के लिए अतिरिक्त परिव्यय आवंटित किया जायगा।

इस वर्ष के कुछ प्रमुख भौतिक लक्ष्य इस प्रकार हैं :

1--खाद्यान्न उत्पादन	..	232 लाख मी0 टन
2--रसायनिक उर्वरकों का वितरण	..	13.60 लाख मी0 टन
3--उन्नतिशील बीज के अन्तर्गत खेती	..	83.65 लाख हेक्टेयर
4--अल्प सिंचाई से लाभान्वित अतिरिक्त क्षेत्र	..	8.25 लाख हेक्टेयर
5--मध्यम एवं वृहद् सिंचाई योजनाओं से लाभान्वित अतिरिक्त क्षेत्र	..	2.97 लाख हेक्टेयर
6--कृषि विपणन ..	..	13 मुख्य मण्डियों, 15 उप मण्डियों 200 ग्रामीण मण्डियों का निर्माण।
7--अतिरिक्त विद्युत क्षमता का सृजन	..	344 मेगावाट
8--गांवों का विद्युतीकरण	..	4380
9--हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	..	2735
10--निजी पम्पिंग सेट/नलकपों का ऊर्जीकरण	..	37470

11—सड़क एवं पुल :

(क) (1)	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नई सड़कों का निर्माण	.. 2650 किलोमीटर
(2)	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों का पुनर्निर्माण	.. 528 किलोमीटर
(ख)	सेतु निगम द्वारा पुलों का निर्माण	.. 36
(ग)	मण्डी समितियों द्वारा खड़ंजा लगाना	.. 295 किलोमीटर

12—नये प्राइमरी/जूनियर हाई स्कूलों का प्रारम्भ .. 270 प्राइमरी तथा 134 जूनियर हाई स्कूल ।

13—चिकित्सा सुविधा हेतु नये उप केन्द्र .. 1550

14—पीने के पानी की व्यवस्था

(1)	पाइप से	.. 20नगरों तथा 1500 गांवों में
(2)	हरिजन बस्तियों में कुओं/हैण्डपम्पों से	.. 2 करोड़ की लागत से

नई पंचवर्षीय योजना

इस बीच योजना आयोग के यह प्रादेश भी प्राप्त हो गए हैं कि 1980–85 की अवधि के लिए नई पंचवर्षीय योजना तैयार की जाय। ऐसी आशा है कि योजना आयोग की विस्तृत मार्ग निर्देशिकाएं शीघ्र प्राप्त हो जायेंगी। परन्तु आयोग से इस बीच जो सामान्य निर्देशन प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर योजना की संरचना का कार्य आरम्भ कर दिया गया है सामान्य तौर से इस योजना की संरचना करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जायगा कि प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए जो पूंजी अब तक विनियोजित हो चुकी है अथवा जो अवस्थापनाएं (इंफ्रास्ट्रक्चर्स) उपलब्ध हैं, उनसे अधिकतम आर्थिक एवं सामाजिक लाभ प्राप्त किए जायं। इसी प्रकार योजना में उन कार्यक्रमों पर भी विशेष बल दिया जायगा जो हमारे विशाल मानवीय संसाधन को प्रदेश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अपना योगदान देने के लिए सक्षम बना सकते हैं। योजना की संरचना के लिए आवश्यक कार्यकारी दलों का गठन हो चुका है और तत्सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

कानून और व्यवस्था

पिछली सरकार की निष्क्रियता, शिथिलता व आन्तरिक बिखराव के कारण कानून व व्यवस्था की स्थिति बहुत शोचनीय हो गयी थी। सर्वत्र असुरक्षा की भावना व्याप्त थी। हमारा यह संकल्प है कि प्रदेश में अमन-चैन कायम किया जाय, निर्बल वर्गों, अल्प संख्यकों व महिलाओं की विशेष तौर पर पूरी सुरक्षा हो और समाज विरोधी तत्वों को पर्याप्त न्यायिक दण्ड मिले। बावजूद इसके कि शासन की बागडोर अभी हाल ही में हमने संभाली है, इस दिशा में प्रभावशाली कदम उठाये गए हैं। इस पर विस्तार से चर्चा 'पुलिस अनुदान' के समय उपयुक्त होगी।

पुलिस की दक्षता के स्तर को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पुलिस संगठन के विभिन्न अंगों को सुदृढ़ करने का निश्चय किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस, रेलवे पुलिस, आदि के नियतन में समुचित वृद्धि चरणों में की जा रही है। 71 नये थाने तथा 17 रिपोर्टिंग चौकियां वर्ष 1980–81 में खोले जाने का प्रस्ताव है।

पुलिस दल की गतिशीलता को बढ़ाए जाने के लिए जिन वर्तमान थानों पर अभी तक जीप गाड़ियां उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आय-व्ययक वर्ष 1980–81 में गाड़ियों की व्यवस्था एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार की जा रही है। इस के अतिरिक्त नव सृजित पुलिस थानों के लिए भी गाड़ियों की व्यवस्था की गयी है।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

अपराधों के प्रभावी नियन्त्रण के लिए सूचना का शीघ्र आदान-प्रदान जरूरी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आय-व्ययक में 76 थानों, 8 कन्ट्रोल रूमों, 10 पुलिस अधिकारियों के आवासों तथा 15 पुलिस कार्यालयों पर टेलीफोन लगाने की व्यवस्था की गयी है।

पुलिस कर्मचारियों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए पुलिस लाइन आगरा, मुजफ्फरनगर, फतेहगढ़, मुरादाबाद, टेहरी गढ़वाल, बहराइच, देहरादून, शाहजहांपुर तथा दूसरी एवं ग्यारहवीं वाहिनी, पी0ए0सी0, सीतापुर में विद्युत् की और पुलिस लाइन, मथुरा, गाजीपुर, आलोन, इलाहाबाद तथा पी0ए0सी0 लाइन, मेरठ, बरेली, सीतापुर तथा मुरादाबाद में जल सम्पूर्ति इत्यादि की उचित व्यवस्था करने के लिए प्राविधान किया गया है।

पुलिस विभाग में एक पुलिस उप महानिरीक्षक के नियन्त्रण में कम्प्यूटर केन्द्र की स्थापना की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के अपराधों, अपराधियों एवं अंगुलि छाप आदि से सम्बन्धित अभिलेख उक्त केन्द्र पर संग्रहीत रूप में रखे जायेंगे जिनका उपयोग किसी भी प्रकरण से सम्बन्धित अनुसन्धान कार्य में त्वरित गति से किया जायेगा। साथ ही पुलिस कर्मचारियों/अधिकारियों से सम्बन्धित अभिलेखों को भी केन्द्र पर संग्रहीत रखा जायगा। इस प्रकार यह योजना पुलिस कर्मचारियों के अभिलेखों को सुचारु रूप से रखे जाने तथा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण रखने में बड़ी सहायक सिद्ध होगी। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सभी पुलिस थानों को वायरलेस व्यवस्था से सुसज्जित किया जा चुका है। जो 203 नये पुलिस थानेस्थापित किए जा रहे हैं, उन पर भी यह व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है।

प्रदेश के अनेक दस्यु दल, विशेषत: चम्बल घाटी के क्षेत्र के दल, स्वचालित शस्त्रों से लैस होते हैं। इन दस्यु दलों का सामना करने में पी0ए0सी0 की टुकड़ियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अत: इस स्थिति के निराकरण के लिए यह निश्चय किया गया है कि चम्बल क्षेत्र में स्थित पी0ए0सी0 की वाहिनियों में से कुछ कम्पनियों को आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित किया जाय।

पुलिस कर्मचारियों की आवासिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए पुलिस गृह निर्माण निधि से अर्जित होने वाली 1 करोड़ रु0 की ब्याज की धनराशि से पुलिस कांस्टेबिलों के 488 आवास गृहों के निर्माण की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त इमारतों के लिए आयोजनागत पक्ष में भी प्राविधान किया गया है। उत्तर प्रदेश फायर सर्विस भी पुलिस विभाग का एक अंग है। इस समय प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों तथा कतिपय अन्य प्रमुख नगरों में यह सेवा स्थापित है। मुरादाबाद जिले के सम्भल नगर में भी अब फायर सर्विस स्थापित किये जाने के लिये आय-व्ययक में व्यवस्था की गयी है।

शासन स्तर पर प्राय: विधायकों, संसद सदस्यों तथा जनता से पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। इस प्रकार के मामलों की जाँच के लिए जो सामान्य इकाइयाँ उपलब्ध हैं, उनकी जाँच आख्या प्राप्त करने में समय लग जाता है। अत: गम्भीर और महत्वपूर्ण आरोपों की तत्काल प्रारम्भिक जाँच करवाने हेतु सचिवालय स्तर पर गृह विभाग के अन्तर्गत एक विशेष पुलिस कोष्ठक स्थापित किया गया है।

पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु अपराध अनुसन्धान विभाग के अन्तर्गत एक भ्रष्टाचार निवारण संगठन भी स्थापित किया गया है, जोकि पुलिस उप महानिरीक्षक की देख-रेख में कार्य करता है। पुलिस विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त यह संगठन अन्य विभागों के कुछ श्रेणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध भी जाँच करने के लिए सक्षम है।

पुलिस दल के प्रशिक्षण की व्यवस्था में भी शासन द्वारा प्रसार और सुधार किया जा रहा है। पुलिस दल के नियतन में की गयी वृद्धि के फलस्वरूप कांस्टेबिल रंगरूटों के प्रशिक्षण हेतु 18 अतिरिक्त रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र वर्ष 1979–80 में स्वीकृत किये जा चुके हैं और

द्वितीय पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद के लिए अतिरिक्त स्टाफ एवं उपकरण प्रदान करने हेतु वर्ष 1980-81 के आय-व्ययक में व्यवस्था की गयी है ।

पुलिस संगठन के उन समस्त सदस्यों का मैं अभिवादन करता हूं जो ईमानदारी, निष्ठा व कर्मठता से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं ।

कृषि

वर्ष 1979–80 में सूखे के भयंकर प्रकोप के कारण प्रदेश की कृषि व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा जिसके कारण खरीफ उत्पादन घटकर 42.24 लाख मी0 टन हो गया तथा रबी उत्पादन 119.08 लाख मीट्रिक टन ही हो सका जबकि वर्ष 1978–79 में खरीफ उत्पादन 83.62 लाख मीट्रिक टन तथा रबी का उत्पादन 147.48 लाख मी0 टन था । सूखे के अतिरिक्त बिजली तथा डीजल की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण नलकूपों से भी पर्याप्त जल न मिल सका ।

प्रदेश के कृषकों की आर्थिक स्थिति पुनः मजबूत करने के उद्देश्य से वर्ष 1980-81 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के लिए 232 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा जा रहा है । इसके अतिरिक्त तिलहन के 23 लाख मी0टन एवं जूट की 1.10 लाख गाड़ी के उत्पादन के लक्ष्य प्रस्तावित हैं ।

कृषि उपादन के प्रस्तावित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु धान की सामुदायिक पौधशालाओं के लिए 1.30 लाख हैक्टेयर क्षेत्र तथा अधिक उपजदायी प्रजातियों के कार्यक्रम हेतु 83.65 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य है । उर्वरक विवरण का लक्ष्य 13.60 लाख मी0 टन रखा गया है । मृदा नमूनों के विश्लेषण के लिए 10.54 लाख नमूनों का तथा कृषि रक्षा कार्यक्रम के लिए 172'90 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य है । इन लक्ष्यों के कार्यान्वयन में कमजोर वर्गों की उत्पादकता बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान रहेगा ।

प्रदेश में विद्यमान कपड़ा मिलों की आवश्यकताओं के लिए वाँछित कपास का उत्पादन अपेक्षित मात्रा में नहीं हो रहा है । अतः कपास विकास की सघन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 1980-81 में 38,000 हेक्टेयर में कपास की सघन खेती की जायगी । इसके अतिरिक्त कपास के आँधारीय एवं प्रमाणित बीज उत्पादन की योजना भी कार्यान्वित की जायगी और उन्नतिशील बीज के प्रदर्शन किए जावेंगे ।

वर्ष 1980-81 से एक नई योजना कपास उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से प्रदेश के चुने हुए 6 जनपदों में प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत 5,000 हेक्टेयर में कपास की खेती पर कृषि रक्षा उपायों हेतु एक निर्धारित सीमा तक व्यय के 50 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर की दर से कृषकों को अनुदान दिया जायगा ।

दलहनी फसलों के उत्पादन पर विशेष बल दिया जायेगा, क्योंकि यह प्रोटीन का मुख्य स्रोत है तथा भूमि की उर्वरता को बनाए रखने में भी सहायक है । जायद में ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती का एक वृहद कार्यक्रम लिया गया है जिसके अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में मूंग की ग्रीष्मकालीन खेती 7.50 लाख हेक्टेयर में कराने का प्रस्ताव है ।

प्रदेश का लगभग 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र ऊसर एवं बंजर से प्रभावित है और लगभग इतना ही क्षेत्र बीहड़ है । इस 12 लाख हेक्टेयर ऊसर क्षेत्र में से कुछ क्षेत्र कृषकों का है किन्तु अधिकतर क्षेत्र गाँव समाज का है । जहाँ तक कृषकों की ऊसर भूमि को सुधारने का प्रश्न है उसके लिए केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना प्रदेश में पहले से चल रही है । किन्तु गाँव समाज की ऊसर भूमि एवं बंजर भूमि को सुधारने की कोई योजना नहीं है, जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है । अब इस भूमि के सुधार का कार्य भी योजनाबद्ध तरीके से करने का प्रस्ताव है । इस हेतु वर्ष 1980-81 में 0.55 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्रफल पर भूमि संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जायेगा ।

[विश्वनाथ प्रताप सिंह]

उर्वरकों के दामों में जो वृद्धि हुई है उससे किसानों को काफी कठिनाई हो रही है। यह सही है कि इस बढ़े हुए मूल्य का ध्यान समर्थन मूल्यों के निर्धारित करने में रखा जायेगा पर मैं केन्द्रीय सरकार से पुनः अनुरोध करूंगा कि इस वृद्धि पर फिर से विचार किया जाय।

कृषि विपणन

प्रदेश के कृषकों द्वारा उत्पादित कृषि पदार्थों की वैज्ञानिक आधार पर उचित विपणन व्यवस्था की दिशा में एवं कृषि उत्पादन की अभिवृद्धि के फलस्वरूप कृषकों को उनकी अतिरिक्त उपज के विक्रय से न केवल पारितोषिक मूल्य, बल्कि मण्डियों में उचित एवं न्यायपूर्ण व्यवहार उपलब्ध कराने के लिए प्रयास जारी है। वर्ष 1980–81 में 13 मुख्य मंडियों तथा 15 उप-मंडियों के निर्माण का लक्ष्य है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में स्थित छोटी मंडियों (हाट पैठों) में विपणन सम्बन्धी आधारभूत सुविधाएं जैसे उपज की सफाई, छनाई, विक्रय हेतु पक्का चबूतरा, पीने के पानी, उपभोक्ता केन्द्र, स्थायी भण्डारण की व्यवस्था इत्यादि के उद्देश्य से ग्रामीण मंडियों के निर्माण पर अधिक बल दिया जा रहा ह जिससे सुदूर स्थित छोटे कृषकों को अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा। वर्ष 1980–81 में ऐसी 200 ग्रामीण मंडियों के निर्माण का लक्ष्य ह।

साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विगत वर्षों में खाद्यान्न के रूप में मजदूरी देने की योजना के अन्तर्गत निर्मित 2,580 कि0मी0 सम्पर्क मार्गों को स्थायी बनाने के उद्देश्य से मण्डी समितियों द्वारा अपने धन से तथा शासकीय सहायता से उन पर पुलियों तथा खड़ंजा लगाने का कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है। वर्ष 1980–81 में 3,380 पुलियों एवं 295 कि0मी0 सम्पर्क मार्गों पर खड़ंजा लगाने एवं 7 ग्रामीण गोदामों के निर्माण जिससे 5,000 मी0 टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता सृजित होगी, का लक्ष्य प्रस्तावित ह।

औद्यानिकी

फल, शाक-भाजी तथा आलू के उत्पादन में बीज/पौध के विशेष महत्व को देखते हुए शासन ने कृषकों को समय से उत्तम जाति के पौध/बीज सुलभ कराने हेतु लगभग सभी जनपदों में औद्यानिक इकाइयाँ स्थापित की हैं। इस कार्य-क्रम का प्रदेश को प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों म विस्तार करने की योजना ह। शाक-भाजी के बीच के उपयोगीकरण (प्रोसेसिंग) हेतु इस समय केवल लखनऊ में एक इकाई कार्यरत है। इसकी उपयोगिता तथा माँग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि एक इकाई पूर्वीय क्षेत्र में जिला बस्ती में इस वर्ष स्थापित की जाय ताकि उस क्षेत्र के कृषकों को शुद्ध बीज सरलता से सुलभ हो सके।

कृषकों के उन्नत बीज तथा नवीनतम व स्थानीय आवश्यकता के अनुसार तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराकर प्रति हैक्टेयर उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रदेश में एक शाक-भाजी प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र इस वर्ष स्थापित करने का प्रस्ताव है।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति तथा जलवायु औद्यानिक फसलों की खेती के लिए अत्यन्त उपयुक्त है। इस क्षेत्र में औद्यानिक विकास कार्यक्रमों को सघन रूप से चलाया जा रहा है।

पर्वतीय क्षेत्र में आलू एवं ठंडी जलवायु में पैदा होने वाली शाक-भाजियों के बीजों के सम्वर्द्धन का एक विशेष कार्यक्रम लिया गया है जिसके अन्तर्गत प्रमाणित बीज उत्पादित करने वाले लघु/सीमान्त कृषकों को आधारीय बीज तथा रसायनिक उर्वरकों पर 50 प्रतिशत की राज्य सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त अदरक, हल्दी एवं गलैडियोलाई-फल की खेती को बढ़ावा देने के लिए इनके बीजों (कन्द) के वितरण पर भी राज्य सहायता दी जा रही है।

प्रदेश के पिछड़े हुए क्षेत्र बुन्देलखण्ड में भी इस वर्ष औद्यानिक विकास का विशेष कार्यक्रम लिया गया है। इसके अन्तर्गत नीबू, सन्तरा तथा मुसम्मी आदि फलों की खेती, जोकि इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, को विकसित किया जायगा।

सम्पूर्ण देश में आलू का उत्पादन 90 लाख मी0 टन है जिसका 50 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पैदा हो रहा है। इस वर्ष 46 लाख मी0 टन आलू पैदा करने का कार्यक्रम है। कृषकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के लिए और उपायों के साथ शीतगृह की भण्डारण क्षमता बढ़ाने के प्रयास भी किये जा रहे ह। इस समय प्रदेश में 482 शीतगृह कार्यरत हैं जिनकी भण्डारण क्षमता 11.50 लाख मी0 टन है। 200 और नये शीतगृह बनाने का कार्यक्रम है जिसके तैयार हो जाने से भण्डारण क्षमता बढ़कर लगभग 20 लाख मीट्रिक टन हो जायगी। शीतगृहों के निर्माण हेतु ऋण की सुविधा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम एवं राष्ट्रीय बैंकों द्वारा दी जानी है।

पान का महत्व देश में सर्वविदित है। अभी तक पान की खेती की पद्धति में सुधार हेतु कोई कार्य नहीं हुआ है। महोबा पान उत्पादन का पुराना क्षेत्र है। यहाँ पान की खेती पर्याप्त क्षेत्र में की जाती है, किन्तु कुछ वर्षों से कृषि क्रियाओं में उन्नति न होने तथा बीमारियों एवं कीट से पान की फसल को क्षति पहुंच रही है। अतएव इस क्षेत्र में कृषकों को पान की खेती की तकनीकी जानकारी देने तथा उनकी समस्याओं जैसे उपयुक्त भीठ की सामग्री, जातियों का चयन, खाद की आवश्यकता, रोग व कीटों के उपचार आदि के लिए संस्तुति देने हेतु एक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव ह।

क्षेत्रीय विकास

सभादेश क्षेत्र विकास परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित सिंचन क्षमता का कम से कम समय में कृषि उत्पादकता में वृद्धि लाने के उद्देश्य से वर्ष 1980–81 में शारदा सहायक, रामगंगा तथा गण्डक नहर प्रणालियों के क्षेत्र में लगभग 4.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्रक्षेत्र विकास कार्य कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे परिवारों को उत्पादन कार्यक्रमों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान कर उनकी आय तथा जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980–81 में 32 करोड़ रुपये के परिव्यय से 6 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किय जाने का लक्ष्य है।

भारत सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण युवकों की स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण योजना (ट्रेनिंग आफ रूरल यूथ फार सेल्फ इम्प्लायमेन्ट) के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में प्रत्येक विकास खण्ड में 40 युवकों को प्रशिक्षण देकर रोजगार में लगाने का लक्ष्य है।

सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में 20 हजार हेक्टेयर पर सिंचन क्षमता का सृजन किया जायगा। 25 हजार हक्टेयर पर भूमि संरक्षण का कार्य किया जायगा तथा 5 हजार हैक्टेयर भूमि पर वनीकरण कार्य सम्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम से इस वर्ष 40 हजार व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने तथा 50 हजार मानव वर्ष रोजगार का सृजन किए जाने का अनुमान है।

सहकारिता

सूखे की असाधारण स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार की प्रत्याभूति पर विभिन्न जिला सहकारी बैंकों को 56.14 करोड़ रु0 की विशेष ऋण सीमाएं स्वीकृत कीं, जिसकी सहायता से उन जिलों में जहाँ फसल को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई थी, सहकारी ऋण की खरीफ डिमाण्ड को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित किया गया। राज्य सरकार ने इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक में स्थापित कृषि ऋण सुदृढ़ीकरण निधि में 3.00 करोड़ रु0 और भारत सरकार ने 3.58 करोड़ रु0 आवंटित किया।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

सूखे से प्रभावित छोटे कृषकों का खरीफ ऋणों पर ब्याज माफ करने के लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक को 50.00 लाख रु0 का अनुदान दिया है जिसकी 50 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होगी। सहकारी संस्थाएं अपने सदस्यों की स्वयं की संस्थाएं हैं। जहाँ एक तरफ यह उचित है कि सदस्यों की कठिनाई के समय वसूली में उत्पीड़क कार्यवाही न की जाय, उसके साथ ही सदस्यों का स्वयं का हित इसमें है कि इन संस्थाओं को आर्थिक स्थिति मजबूत हो ताकि वह उनकी सहायता करने में सक्षम बनी रहें।

ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 'नेशनल ग्रिड आफ रूरल गोडाउन्स''की योजना के अन्तर्गत मार्च, 1980 में 111 गोदाम, जिनकी कुल क्षमता 37,000 मीट्रिक टन है, स्वीकृत किये हैं। कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जायगा जिसे भारत सरकार और राज्य सरकार बराबर-बराबर वहन करेंगी। शेष धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा सहकारी बैंकों से ऋण के रूप में प्राप्त होंगी।

विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम योजना के अन्तर्गत 4600 गोदामों में से मार्च, 1980 तक 2918 गोदाम स्वीकृत किये जा चुके थे जिनमें से 170 गोदामों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 786 गोदाम निर्माणाधीन हैं। इसी योजना के अन्तर्गत 450 अन्य ग्रामीण गोदामों के निर्माण का प्राविधान भी वर्ष 1980–81 के आय-व्ययक में किया गया है।

वर्ष 1979–80 के अन्त तक स्वीकृत 75 सहकारी शीतगृहों में से 44 शीतगृह निर्मित हो चुके थे। शेष 31 निर्माणाधीन हैं। वर्ष 1980–81 के आय-व्ययक में 10 बड़े शीतगृहों के निर्माण के लिए प्राविधान किया गया है। उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के बदायूं में स्थित 'वेजिटेबिल आयल यूनिट'' के विस्तार के लिए जो भी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से एक योजना स्वीकृत की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत सोयाबीन और राइस ब्रान से तेल निकालने की यूनिट स्थापित की जायगी।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहायता से 1980–83 अवधि में एक मी0टन क्षमता वाली दाल मिलें स्थापित करने की योजना बनाई गयी है। इसके अन्तर्गत वर्ष 1980–81 में एक दाल मिल की स्थापना की जानी है। इसी प्रकार इस वर्ष एक आधुनिक चावल मिल की स्थापना का भी लक्ष्य रखा गया है।

खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए राज्य सरकार सहकारी उपभोक्ता भण्डारों और सहकारी समितियों को वितरण प्रणाली में प्राथमिकता देगी। वर्ष 1980–81 में नगरीय क्षेत्रों में 70 करोड़ रु0 और ग्रामीण क्षेत्रों में 70 करोड़ रु0 के मूल्य की उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से कराने का लक्ष्य है। गेहूं के अतिरिक्त तिलहन एवं अन्य खाद्यान्नों के बफर स्टाक बनाने के लिए भी सहकारी समितियों का अधिक से अधिक उपयोग किया जायगा।

पशुपालन, दुग्धशाला विकास तथा मत्स्य पालन

कृषि के बाद पशुधन विकास ही प्रदेश के अधिकतर लोगों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत है। पशुजन्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाकर पोषक खाद्यपदार्थों की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु यह आवश्यक है कि हमारे पशु उत्तम नस्ल के हों और स्वस्थ हों। उत्तम नस्ल के लिए पर्याप्त प्रजनन सुविधाएं उपलब्ध करानी हैं। इस वर्ष 2 वीर्य संग्रह केन्द्र इटावा तथा फतेहपुर में स्थापित करके कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा का प्रसार किया जायगा। उपरोक्त के साथ-साथ प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इटावा जनपद में मदावरी भैंसों का तथा जमुनापारी बकरियों का प्रक्षेत्र स्थापित करना प्रस्तावित है। संकर प्रजनन के लिए केवल तरल वीर्य से गर्भाधान पर निर्भर न रहकर आधुनिकतम अतिहिमीकृत तकनीक द्वारा अधिक से अधिक प्रजनन सुविधा भी बढ़ायी जा रही है। इस उद्देश्य से प्रदेश में 2 अतिरिक्त कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्र चालू किये जायेंगे। पर्वतीय क्षेत्र में एक अतिरिक्त तरल नाइट्रोजन

प्लान्ट स्थापित होने से इस कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाया जा सकेगा। इस वर्ष प्रदेश के 5 जनपदों के 50 केन्द्रों में विशेष पशु विकास कार्यक्रम लिए जायेंगे।

बुन्देलखण्ड के उन क्षेत्रों में तथा पर्वतीय अंचल में जहां कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं उपलब्ध कराना कठिन है, नैसर्गिक केन्द्र की स्थापना की जायेगी। गाजियाबाद जनपद में बाबूगढ़ पशुधन प्रक्षेत्र को एक नया रूप देकर उत्तम नस्ल के संकर साड़ उत्पन्न किए जायेंगे। प्रदेश में चरागाह एवं चारे की कमी को दूर करने के उद्देश्य से इस वर्ष 4 राजकीय भेड़ प्रक्षत्रों पर चरागाह विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायगा। इसके अतिरिक्त मैदानी क्षेत्र के 22 सूखाग्रस्त जनपदों में 24 लाख चारा वृक्ष लगाए जायेंगे। इन वृक्षों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पशुधन प्रक्षेत्रों पर नर्सरी बनाई जायेगी जहां से यह चारा वृक्ष निःशुल्क कृषकों को उपलब्ध कराए जायेंगे। प्रदेश में चारा उत्पादन को बढ़ाने के लिए मंडलीय विकास निगमों के सहयोग से चारा उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

प्रदेश में अण्डे की मांग बढ़ती जा रही है। इस मांग को पूरा करने के उद्देश्य से प्रदेश में स्थापित कुछ कुक्कुट प्रक्षेत्रों को वृहद् रूप दिया जायगा और उनको क्षेत्रीय फार्म में परिवर्तित किया जायगा ताकि वहां अधिक स अधिक तकनीकी सुविधाएं, उपलब्ध कर प्रसार कार्य के लिए उत्तम मुर्गियां उपलब्ध हो सकें।

ऊन उत्पादन के क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में संकर प्रजनन द्वारा बारीक ऊन का उत्पादन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम को गति देने हेतु इस वर्ष 215 भेड़ें अमेरिका से लाई जा रही हैं। मैदानी क्षेत्रों में भी ऊन के गुणों तथा मात्रा में उन्नति की दृष्टि से वाराणसी जनपद में वृहद भेड़ प्रक्षेत्र की स्थापना की गयी है जिससे उत्तम नस्ल की भेड़ों का प्रजनन आंशिक रूप से शुरू हो गया है और इन्हें जिले के आस-पास के क्षेत्र में भेड़ विकास के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

हरित क्रान्ति के बाद श्वेत क्रान्ति ही एक ऐसा कार्य है जो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों, छोटे तथा सीमान्त कृषकों के लिए आय का अतिरिक्त स्रोत है। इस व्यवसाय की प्रगति को तीव्र गति देने हेतु सहकारी ढांचें को "आनन्द पद्धति" पर आधारित किया जा रहा है। आशा है कि इससे ग्रामीण जनता को पूर्ण अथवा सहायक रोजगार का अवसर प्राप्त होगा।

जहां एक ओर वर्तमान दुग्धशालाओं का सुदृढ़ीकरण किया जायगा वहीं दूसरी ओर अधिक क्षेत्रको दुग्ध क्षेत्र के रूप में विकसित करके दुग्ध उपार्जन के कार्य में तेजी लाई जायगी। इस प्रकार यह प्रदेश दुग्ध की "नेशनल ग्रिड" की परिधि में आ जायगा और दुग्ध उत्पादकों, जोकि अधिकतर छोटे व सीमान्त कृषक हैं, का आर्थिक उत्थान होना सम्भव होगा।

मत्स्य पालन अधिकांशतः समाज के पिछड़े हुए तथा कमजोर वर्ग के लोगों का रोजगार है। अतः इसके विकास पर भी पर्याप्त बल दिया जाना प्रस्तावित है। सघन मत्स्य पालन कार्यक्रम के अन्तर्गत बलिया, बस्ती, उन्नाव एवं सुल्तानपुर जनपदों में प्रसार कार्य सक्रिय रूप से किया जा रहा है।

इसी वित्तीय वर्ष से विश्व बैंक की सहायता से एक मत्स्य विकास परियोजना का संचालन किया जायेगा। विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत मत्स्य बीज उत्पादन हेतु आधुनिक अवस्थापना का सार्वजनिक क्षेत्र में सृजन किया जायगा और ग्रामीण स्तर पर मत्स्य प्रसार सेवा में व्यापक सुदृढ़ीकरण किया जायेगा और साथ-साथ मत्स्य पालकों को तथा मत्स्य कार्यकर्ताओं को आधुनिक वैज्ञानिक मत्स्य पालन में प्रशिक्षित किया जायेगा। इस परियोजना का संचालन प्रदेश के 17 जनपदों में किया जायेगा।

मत्स्य बीज अवस्थापना के सृजन हेतु 4 हेचरियों का निर्माण 55 हेक्टेयर जल क्षेत्र में प्रस्तावित है। निर्माणोपरान्त 570 लाख अंगुलिकाओं का उत्पादन इन हेचरियों में हो सकेगा।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

प्रसार कार्यकर्ताओं तथा मत्स्य पालकों के प्रशिक्षण को व्यापक एवं उच्चस्तरीय व्यवस्था हेतु एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जायगा।

ग्राम्य विकास

उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में 799 विकास खण्ड और पर्वतीय क्षेत्र में 86 विकास खण्ड अर्थात कुल मिलाकर 885 विकास खण्ड हैं। इन विकास खण्डों में कार्यरत प्रसार कार्यकर्ताओं के माध्यम से विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में चलाई जा रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों की हरिजन बस्तियों में पेय-जल सुविधा का अभाव रहता है। अतः समाज के निर्बल एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हरिजनों की बस्तियों में पेय-जल की आश्वस्त व्यवस्था हेतु 1980–81 में 2.00 करोड़ रुपए का आय-व्ययक में प्राविधान किया गया है।

लघु सिंचाई की कृषि विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आश्वस्त एवं भरपूर सिंचाई के आधार पर ही कृषि की सघनता और उत्पादकता में निरन्तर अभिवृद्धि की जा सकती है। वर्ष 1980–81 में 8.25 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में आश्वस्त सिंचाई सुविधा के सृजन का लक्ष्य है जिसकी पूर्ति के लिए 90,000 बोरिंग पर पम्पिग सेट, 52,700 निजी नलकूप, 10,000 भू-स्तरीय पम्पिग सेट, 8,000 सिंचाई कूप तथा 4,000 रहट लगाये जाने की योजना है।

लघु सिंचाई के कार्यक्रम पर सीमान्त कृषकों को 33.1/3 प्रतिशत, लघु कृषकों को 25 प्रतिशत तथा सूखे की विषम परिस्थिति के परिपेक्ष्य में 2 से 4 हेक्टेयर तक की जोत वाले कृषकों को 20 प्रतिशत अनुदान देकर निजी लघु सिंचाई योजना के विकास हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

इस वर्ष देश के पठारी जिलों में, जो सूखे से अधिक प्रभावित हैं, ब्लास्टिंग द्वारा कूपों के निर्माण की योजना आरम्भ की गयी है। कृषकों को इन क्षेत्रों में कूप निर्माण हेतु प्रोत्साहन स्वरूप 5,000 रुपये तक का अनुदान दिये जाने का प्राविधान किया गया है। चालू वर्ष में प्रदेश में उपलब्ध ब्लास्टिंग यूनिटों से 690 नये ब्लास्ट कूप बनाने का प्रस्ताव है।

ग्राम्य विकास की जो अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जारी रखने का प्रस्ताव है उनमें स्थानीय विकास योजना, निर्बल वर्ग आवास योजना, व्यावहारिक पुष्टाहार योजना तथा विशेष पुष्टाहार कार्यक्रम, प्रसार प्रशिक्षण एवं कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्राइसेम योजना, आदि हैं।

प्र[illegible] के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त आबाद राजस्व गांवों में से प्रत्येक गांव के 5 निर्धनतम [illegible] का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है और समाज के इन साधन-हीन, परावलम्बी, शोषित एवं उपेक्षित परिवारों को गरीबी की सीमा से ऊपर उठाते हुए स्वावलम्बी एवं अभावमुक्त जीवन यापन हेतु शासन द्वारा 5,000 रुपए तक का ऋण 4 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध किया जा रहा है जिससे चयनित परिवार अपनी इच्छानुसार उत्पादक एवं लाभप्रद योजनाएं स्थापित कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हुए प्रदेश तथा देश के उत्थान में सार्थक सहयोग दे सकें। इस कार्यक्रम को बैंक ऋण से भी पोषित किया जा रहा है।

निर्बल वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को स्वीकृत डिजाइन एवं मानकों के अनुरूप मकान बनाने पर 2,000 रु0 की सीमा तक लागत का 75 प्रतिशत तक का अनुदान सामग्री के रूप में दिया जा रहा है। पुष्टाहार कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण स्तर में सुधार तथा मुख्यतः समाज के आर्थिक दृष्टि से विपन्न 0 से 6 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को पौष्टिक आहार देने का प्रबन्ध [illegible] किया जा रहा है। प्रसार प्रशिक्षण एवं कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत

विभिन्न स्तरीय प्रसार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण तथा कृषकों एवं ग्रामीण शिल्पी परिवारों के लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत भी ग्रामीण बेरोजगारों को आत्म निर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गयी है।

इस वर्ष भीषण सूखे से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा वृद्ध, अशक्त एवं निराश्रित व्यक्तियों को कुपोषण के प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पुष्टाहार योजना आरम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 7255 सहायता केन्द्र स्थापित किये गये ह जिनके माध्यम से अब तक 12,71,726 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

वन विकास

प्रदेश की आर्थिक प्रगति एवं समृद्धि में वनों का प्रमुख योगदान है। वायु मण्डल को शुद्ध करने, पर्यावरण को बनाये रखने, बाढ़ व सूखे के प्रकोप को कम करने में भी वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चार-सूत्री कार्यक्रम का भी वृक्षारोपण एक प्रमुख अंग है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनों का क्षेत्रफल प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का [illegible] प्रतिशत होना चाहिए जबकि हमारे प्रदेश में वनों का क्षत्रफल केवल 17.4 प्रतिशत ही है। इस कमी को पूरा करने का एक मात्र उपाय यही है कि समस्त उपयुक्त भूमि जैसे नहरों, सड़कों, रेल की पटरियों के किनारे की भूमि और गाँव की सामुदायिक बेकार पड़ी भूमि तथा तालाब आदि के किनारे की भूमि में वृक्षा रोपण किया जाय। इस कार्य हेतु प्रदेश के मैदानी क्षेत्रो के 40 जिलों में जहाँ वनों की बहुत कमी है, विश्व बैंक की सहायता से एक सामाजिक वानिकी परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1980–81 में सात हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का प्रस्ताव ह। इस योजना के कार्यान्वयन से न केवल वन क्षत्र में वृद्धि होगी बल्कि ग्रामवासियों को जलौनी लकड़ी, घास, चारा, पत्ती भी सुलभ हो सकेगी।

विभिन्न उद्योगों की बढ़ती हुई कच्चे माल की माँग तथा सामान्य जनता की लकड़ी की दैनिक आवश्यकताओं की दृष्टि से भी विभिन्न वृक्षारोपण योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। वर्ष 1980–81 में 11,600 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। सड़कों को अधिक शोभनीय तथा छायादार बनाने की दृष्टि से इस वर्ष 900 पंक्ति किलो मीठर पर वृक्षारोपण कार्य प्रस्तावित है।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में भू-स्खलन तथा मैदानी क्षेत्र में बाढ़ से क्षति पर नियन्त्रण रखने की दृष्टि से विभिन्न योजनाओं पर 1980–81 में 435.00 लाख रुपए का व्यय प्रस्तावित है। पर्वतीय क्षेत्रों में वन क्षेत्रों को बढ़ाने, वनों की सुरक्षा और प्रभावी ढंग से करने, भू-स्खलन को रोकने, उद्यान कार्यक्रमों व चरागाह विकास को प्रोत्साहन देने के लिए जलागमवार समन्वित कार्यक्रम बनाने तथा इसे लागू करने का भी निर्णय लिया गया है। इस बृहद कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से सहायता की आशा है।

पर्वतीय विकास

पर्वतीय क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारत सरकार से लगातार आग्रह किया जा रहा है कि जो विशष सहायता पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा दी जा रही है उसमें पर्याप्त बढ़ोत्तरी की जाय।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के अन्दरूनी व दूरवर्ती भागों में समुचित संचार व्यवस्था करने के उद्देश्य से शासन ने प्रत्येक पहाड़ी जनपद की 8 हाई-फ्रीक्वेन्सी वायरलेस व कतिपय मैनपैक सैट वर्ष 1980–81 से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया ह। इससे इन क्षेत्रों के किसी भी कोने में होने वाली घटना की सूचना तत्परतापूर्वक जिला व प्रदेश मुख्यालय पर प्राप्त हो सकेगी और स्थिति पर नियन्त्रण रखने के लिए प्रभावी कदम भी उठाए जा सकेंगे।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

लघु जल विद्युत विकास हेतु शासन ने यह निर्णय लिया है कि इन योजनाओं के लिए गुणावगुण के आधार पर हर योजनावार पूंजीगत लागत पर समुचित अनुदान स्वीकृत किया जाय। इस निर्णय के फलस्वरूप पिथौरागढ़ जिले के सुरीनगाढ़ तथा चमोली जिले की तपोवन जल विद्युत् योजनाओं को उनकी पूंजीगत लागत पर क्रमशः 55 व 60 प्रतिशत अनुदान देने का निश्चय किया गया है।

पर्वतीय क्षेत्र में नए कनेक्शनों हेतु विद्युत् दरों में पहले पांच वर्षों के लिए समान वर्गों की तुलना में रियायत अनुमन्य थी। यह रियायत 1 जून, 1979 से समाप्त कर दी गई थी। अब यह रियायत 1 जून, 1980 से अनुमन्य कर दी गयी है।

कुछ बड़े विकास खण्डों को छोटा करने के ध्येय से नैनीताल जिले में तीन, पिथौरागढ़ में एक, चमोली में दो, पौड़ी में एक तथा उत्तरकाशी में दो नए विकास खण्डों का सृजन किया गया है।

पर्वतीय क्षेत्र में मशरूम की खेती तथा पर्यटन के विकास हेतु बहुत सम्भावनाएं हैं। इसके विकास में गति लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि दोनों कार्यक्रमों हेतु वे सुविधाएं दी जायं जो लघु उद्योग की स्थापना के लिए अनुमन्य हैं।

जल निगम व जल संस्थान के दो अलग-अलग संगठन के रूप में कार्य करने के कारण पेय-जल की व्यवस्था में काफी कठिनाई पर्वतीय क्षेत्र की जनता द्वारा अनुभव की जा रही है। इस कठिनाई को दूर करने के ध्येय से यह निर्णय लिया गया ह कि इन दोनों संगठनों को मिलाकर गढ़वाल व कुमायूं मण्डल के लिए भण्डलवार जल निगम की स्वायत्त इकाइयां स्थापित की जायं। यह इकाइयाँ निर्माण तथा रख-रखाव दोनों का ही कार्य करेंगी।

पर्वतीय क्षेत्र इकोलाजी व पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत संवेदनशील और नाजुक क्षेत्र है। पर्यावरण व इकोलाजी की स्थिति में सुधार लाने के ध्येय से कैचमेन्ट के आधार पर समेकित व समन्वित ढंग से अन्तर्विभागीय योजनाओं के माध्यम से कार्य शुरू करन का प्रस्ताव है। इस हेतु आरम्भ में हर जिले के लिए एक परियोजना बनाई जा रही है। पर्यावरण और इकोलाजी के हित में नन्दादेवी नेशनल पार्क की स्थापना और उसके समुचित प्रबन्ध की व्यवस्था भी इस वर्ष के बजट में प्रस्तावित है। कस्तूरी मृग के संरक्षण के ध्यय से एक कस्तूरी मृग प्रजनन केन्द्र की स्थापना भी चमोली जिले में की जा रही है।

पर्वतीय क्षेत्र के विकास में गति लाने तथा उसे नई दिशा देने के ध्येय से पुनरीक्षित रणनीति निर्धारित करने हेतु पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग से एक नियोजन अन्वेषण तथा मूल्यांकन संस्थान की स्थापना प्रस्तावित है। एक पूरी तौर से सशक्त उच्च स्तरीय प्रायोजना विकास प्राधिकरण के गठन तथा राज्य योजना आयोग के अधीन पर्वतीय क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए विशेषज्ञों के एक उपदल की स्थापना का भी प्रस्ताव है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बन्ध में पर्वतीय क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट स्तर तक अलग उप संवर्ग बनाए जाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका ह। अब इस सिद्धान्त को कृषि, पशुपालन, सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई तथा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवाओं हेतु भी लागू करने का प्रस्ताव है। फलस्वरूप जो कठिनाई पर्वतीय क्षेत्र के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अनुभव की जा रही है, उनका समाधान हो सकेगा। कुछ विभागों के लिए पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग से अतिरिक्त/संयुक्त विभागाध्यक्ष विद्यमान हैं। पशुपालन, भू-संरक्षण (कृषि), सिंचाई, लघु सिंचाई, हथकरघा एवं ग्रामीण उद्योग विभागों के लिए भी एक-एक अतिरिक्त विभागाध्यक्ष पर्वतीय क्षेत्र के कार्य को देखने हेतु नियुक्त करना प्रस्तावित है। इनका मुख्यालय पर्वतीय क्षेत्र में ही होगा। उद्यान विकास के हित में यह निर्णय लिया गया है कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग से सर्वांगपूर्ण उद्यान निदेशालय की स्थापना की जाय।

पर्वतीय क्षेत्र में ऊर्जा की समस्या को हल करने तथा वृक्षों के कटान को कम करने के ध्येय से सापट कोक के परिवहन पर अनुदान देकर कोयले की खपत को प्रोत्साहित करने हेतु एक पाइलेट प्रोजेक्ट शुरू किए जाने का प्रस्ताव है ।

पर्वतीय क्षेत्र में चालू वर्ष में 750 नये गाँवों को पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इस क्षेत्र में अतिरिक्त यातायात साधन सुलभ कराने हेतु लगभग 650 कि0मी0 नई सड़कें तथा पुलों के निर्माण का लक्ष्य है। सिंचाई के क्षेत्र में 17,000 हेक्टेयर नई सिंचन क्षमता सृजित करने का प्रस्ताव है। चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हेतु 1980-81 में 57 एलोपैथिक तथा 5 होम्योपैथिक चिकित्सालय, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 172 उप केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य है। इस वर्ष 2 प्लास्टिक एवं बर्न यूनिट की भी स्थापना प्रस्तावित है ।

निर्बल वर्गों के बच्चों को पोशाक की व्यवस्था करने का निर्णय किया गया है। इस वर्ष लगभग 20,000 बच्चों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित करने का लक्ष्य है। पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ कम से कम 10 किलोमीटर की परिधि में उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन असंचित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु छात्रवृत्ति की सुविधा दिए जाने का प्रस्ताव है। शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से समुचित संख्या में प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल, आदर्श विद्यालय, राजकीय हाई स्कूल तथा इन्टर कालेज खोलना भी प्रस्तावित है।

पर्वतीय क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन को दृष्टि में रखते हुए उस क्षेत्र के भूमिहीन श्रमिकों तथा निर्बल वर्ग के उन परिवारों के लिए, जिनके पास भूमि उपलब्ध है, सस्ते कच्चे पक्के मकान बनाने के लिए आवश्यक सामग्री के रूप में 3,000 रुपए की सीमा तक सहायता देने का निर्णय लिया गया है।

सिंचाई

प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु यह नितान्त आवश्यक है कि सिंचाई साधनों में वृद्धि कर कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाय। वर्ष 1975 में प्रधान मन्त्री द्वारा 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की गयी जिसके अन्तर्गत 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था और भूमिगत जल के अधिकाधिक उपयोग करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में भी पाँचवी योजना में 13.68 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित की गयी। अतः यह प्रयास है कि 1980-85 अवधि में लगभग 16 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता केवल वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सृजित की जाये। वर्ष 1980-81 के लिए इन परियोजाओं से 2.97 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

वर्ष 1979 तथा पिछले कुछ महीनों में प्रदेश को शताब्दी के अभूतपूर्व सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ा। किन्तु कृषकों को राहत पहुंचाने हेतु शासन हर स्तर पर सतत् प्रयत्नशील रहा है। सूखे के परिपेक्ष्य में विशेष कर छोटे कृषकों को अधिक से अधिक पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध कराने तथा पानी के सदुपयोग हेतु राजकीय व्यय पर नहर व नलकूपों की गूलों पर क्रासिंग का निर्माण कराने की एक योजना प्रारम्भ की गयी है। चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्यक्रम पर 4.5 करोड़ रुपया व्यय करने का प्रस्ताव है। यह भी प्रयास किया जा रहा है कि नहरों के पानी ले जाने की क्षमता, जिसे पिछले सूखे में नहरों के अत्यधिक उपयोग के कारण क्षति पहुंची है, को सुदृढ़ बनाया जाय जिससे कि नहर के अन्तिम छोर तक कृषकों को पानी उपलब्ध हो सके। इस पर 4 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है।

शासन का प्रयास है कि राजकीय साधनों से उपलब्ध सिंचाई सुविधा में जो क्षेत्रीय असन्तुलन है उसे शीघ्र से शीघ्र दूर किया जाये। प्रदेश के बुन्देलखण्ड तथा बघेलखण्ड क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सर्वदा कम रही है। इन क्षेत्रों से सम्बन्धित नयी सिंचाई योजनाओं जैसे

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

सपरार बाँध, अर्जुन सहायक, डोगरी बाँध, मैजा बाँध की क्षमता में वृद्धि, सोन पम्प नहर, कनहर सिंचाई परियोजना, मोदहा बाँध, सजनम बाँध, उर्मिल बाँध तथा लहचूरा हेड वर्क्स के आधुनिकीकरण की परियोजनाओं में वर्ष 1980–81 में तीव्रगति से कार्य किया जायेगा जिससे इन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता बढ़ाई जा सके।

प्रदेश के पूर्वी जिलों को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बाईं तटीय घाघरा नहर प्रारम्भ की गयी है। इस वर्ष इस परियोजना पर भी तीव्र गति से कार्य होगा।

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत घोषित 50 लाख हैक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से शारदा सहायक परियोजना को अतिशीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। पोषक नहर की अवशेष लाइनिंग का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया ह तथा वितरण प्रणाली का कार्य अग्रसर हो रहा है। जून, 1980 तक इस योजना द्वारा लगभग 10.69 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित की जा चुकी है और वर्ष 1980–81 के लिए 2.04 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है। दोहरीघाट सहायक योजना से सिंचाई आरम्भ हो गई है। टिहरी बाँध, लखवाड़ ब्यासी, जमरानी बाँध, ओखला बाँध, पूर्वी बैगुल बाँध, समानान्तर निचली गंगा नहर, मध्य गंगा नहर, सुहेली, चित्तौड़गढ़, अलीगंज, नरायनपुर पम्प नहर एवं सरज पम्प नहर पर कार्य तीव्र गति से चलाना प्रस्तावित है। पूर्वी यमुना नहर, ऊपरी गंगा नहर, फर्रुखाबाद शाखा, अनूपशहर शाखा, शारदा नहर, भोगनीपुर तथा आगरा नहर के आधुनिकीकरण की परियोजनाओं पर भी कार्य तीव्र गति से चलाया जायेगा जिससे निकट भविष्य में ही कृषकों को लाभ मिलने लगेगा।

ऐसे क्षेत्रों में जहाँ केवल नलकूपों की सुविधा थी और नलकूपों के बाहुल्य के कारण जहाँ भूमिगत जल स्तर नीचा हो रहा था वहाँ सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने और भूमिगत जल स्तर को ऊंचा करने की दृष्टि से सतही तथा भूगर्भीय जल के और सन्तुलित उपयोग के लिए नयी परियोजनाएं ली गई हैं। गण्डक के कमाण्ड क्षेत्र में 250 ईम्वर्धन नलकूप लगाने की परियोजना स्वीकार की गई है।

छोटे कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजकीय नलकूपों का विशेष महत्व है। भूमिगत जल का अधिकाधिक उपयोग करने के उद्देश्य से विश्व बैंक की सहायता से इस वर्ष प्रदेश के 12 जनपदों में 500 नलकूप लगाने की एक विशेष योजना 'पायलेट प्रोजेक्ट" के रूप में चलाई जायेगी। वर्ष 1980-81 में 250 नलकूप पूरे किए जायेंगे। इस योजना के अन्तर्गत भूमिगत पाइप लाइन द्वारा बिना जल हानि के जल वितरण का प्राविधान किया गया है तथा कुछ नये तकनीकी उपाय जैसे एलीवेटेड टैंक, मोटरों को जलने से बचाने के लिए "कैपेसिटर' और राजस्व हानि को रोकने के लिए "आवरमीटर" का प्रयोग प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत 62,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। परियोजना में निर्मित नलकूपों के कमाण्ड में आने वाले सभी कृषकों को उनके खेत के निकट पानी देने की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस उद्देश्य से कि निर्बल वर्ग के कृषकों को समय पर पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके, राजकीय नलकूपों का कमाण्ड क्षेत्र 300 एकड़ से घटाकर 240 एकड़ कर दिया गया है।

सिंचन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के साथ-साथ बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के सम्पादन को भी शासन प्राथमिकता दे रहा है। वित्तीय वर्ष 1980–81 के निमित्त बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के लिए कुल 22.50 करोड़ रु0 का प्राविधान है।]

विद्युत्

वर्ष 1979-80 सूखे के कारण एक असाधारण वर्ष था। तापीय विद्युत् उत्पादन में कमी हुई जिसका कारण समय से कोयले का न मिलना-एवं उसके घटिया किस्म का होना,

मशीनों की खराबी, बनाने वालों द्वारा कल-पुर्जों का समय से न दिया जाना, फनेंसे आयल की कमी, इत्यादि रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी तापीय बिजली उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता का लगभग 45 प्रतिशत रहा है। इन कमियों को दूर करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड, रेलवे व भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स का सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। विद्युत् परिषद् की स्वयं की कार्य-क्षमता में सुधार करने की ओर सरकार सजग है और इसके पुनर्गठन किए जाने का उल्लेख मैंने प्रारम्भ में ही किया है।

वर्ष 1979-80 में 50,000 निजी नलकूपों तथा पम्प सेटों, 4,900 गाँवों तथा 4,440 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था जिसके समक्ष 36,145 निजी नलकूप तथा पम्प सेटों, 2,279 गाँवों एवं 1,561 हरिजन बस्तियों का ही विद्युतीकरण सम्भव हो सका। अगस्त, 1979 में बड़े व भारी उद्योगों को बिजली की उपलब्धि पर 50 प्रतिशत कटौती की गयी जिसे सितम्बर, 1979 में बढ़ाकर 66 2/3 प्रतिशत किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में भी विद्युत् आपूर्ति में कटौती की जाती रही है। इस समय प्रदेश के शीतगृह व आवश्यक एवं महत्वपूर्ण उद्योगों की बिजली आपूर्ति के प्रतिबन्ध में ढील दी गयी है और उन्हें 16 से 18 घंटे प्रतिदिन बिजली दी जा रही है। सीमेन्ट एवं उर्वरक उद्योगों को उनकी मांग की 75 से 50 प्रतिशत बिजली दी जा रही है और रेलवे यातायात पर कोई कटौती लागू नहीं है। लगभग 21 मिलियन यूनिट की शुद्धि प्रतिदिन की उपलब्धि में से 10 मिलियन यूनिट कृषि व अन्य ग्रामीण वर्गों, 7.5 मिलियन यूनिट औद्योगिक उपभोक्तओं तथा 3.5 मिलियन यूनिट शहरों तथा अन्य उपभोक्ताओं को वितरित की जा रही है।

वर्ष 1979-80 में विद्युत् की अधिष्ठापित क्षमता में 236 मेगावाट की वृद्धि करने का लक्ष्य था। इसके समक्ष कुल 200 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता सम्भव हो सकी। प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था में विद्युत् की प्रमुख भूमिका को ध्यान में रखते हुए विद्युत् मद के लिए वर्ष 1980-81 में 290 करोड़ रु0 का परिव्यय निश्चित किया गया है और 344 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन क्षमता को सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार से इस मद के लिए अतिरिक्त परिव्यय की मांग की गई है जिसका उल्लेख मैं प्रारम्भ में भी कर चुका हूं। जहां तक भौतिक लक्ष्यों का प्रश्न है, 37,470 निजी नलकूपों एवं पम्प सेटों, 4,380 गाँवों एवं 2,735 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है।

तापीय विद्युत् की अधिष्ठापति क्षमता के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि, प्रति यूनि की लागत में कमी, साज-सज्जा का समुचित रख-रखाव, इन्वेन्ट्री में प्रयुक्त धनराशि में कमी इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिनका हल सभी सम्बधित पक्षों के सहयोग से अविलम्ब निकालना है। मुझे विश्वास है कि इन प्रश्नों पर सम्मानित सदस्यगण अपने विचारों और सुझावों से सरकार को लाभान्वित करेंगे।

उद्योग

प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण एवं लघु उद्योग हथ करघा एवं हस्तशिल्प उद्योग तथा भारी एवं मध्यम उद्योग के समन्वित विकास पर बल दिया जा रहा है। उद्यमियों को जिला स्तर पर एक ही स्थान पर विभिन्न अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गयी है, जिनके माध्यम से उन्हें जिला स्तर पर ही मार्जिन-मनी ऋण, आधा एकड़ तक भूमि, 25 हार्स पावर तक विद्युत् की स्वीकृति, तकनीकी तथा विपणन सहायता तथा छोटे ऋण आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त अब तक स्थापित 132 विकास केन्द्रों में कम ब्याज पर मार्जिन-मनी-ऋण बिजली की दरों में छूट, इत्यादि सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं। इस प्रकार एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में 100 परिवारों का चयन करके उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

वर्ष 1980–81 में लगभग 50,000 व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार के अतिरिक्त साधन प्रदान करने का लक्ष्य है।

लघु उद्योगों के विकास के लिए अवस्थापना से सम्बन्धित सुविधाओं का प्रसार किया जा रहा है। वर्ष 1980–81 में 15 नये औद्योगिक आस्थान लगाए जा रहे हैं, जिनमें वर्ष के अन्त तक 150 शेड और 836 प्लाट तैयार करना तथा 7 अन्य स्थानों पर भूमि अध्याप्ति एवं विकास सम्बन्धी कार्य पूरा करना प्रस्तावित है। लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों तथा हस्तशिल्प के क्षेत्र में गुणात्मक तथा तकनीकी विकास हेतु उद्यमकर्ता विकास योजना, शोध कार्य एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सामान्य सुविधा केन्द्र तथा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वित्त निगम तथा बकों के माध्यम से नई कम्पोजिट ऋण योजना कार्यान्वित की गयी है, जिसके अन्तर्गत छोटे उद्यमियों तथा कारीगरों को 25,000 रु0 तक के ऋण सरलता सेप्राप्त हो सकें। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा छोटे उद्यमियों की सुविधाएं अब 5 लाख रु0 तक के ऋण की स्वीकृति एवं बितरण का कार्य क्षेत्रीय स्तर पर ही किया जायगा।

हस्तशिल्प क्षेत्र में कालीन, चिकन, धातु की कलात्मक वस्तुएं, लकड़ी पर नक्काशी आदि उद्योगों के विकास के लिए व्यापक शिक्षण कार्यक्रम चलाए गये हैं। इस समय 183 प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से शिल्पियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कालीन उद्योग के महत्व को देखते हुए एकीकृत ग्राम्य विकास के अन्तर्गत 300 नए कालीन बुनाई केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। इन सब वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने की बहुत सम्भावनाएं हो। यह प्रयास रहेगा कि कुल राष्ट्रीय निर्यात में उत्तर प्रदेश का समुचित योगदान हो। लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों को प्रदेश में ही विभिन्न प्रकार के टूल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक टूल रूम संस्थान लखनऊ में स्थापित किया गया है।

समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को जीविका का प्रमुख साधन होने के कारण प्रदेश में हथकरघा उद्योग का विशेष महत्व है। यूनिसेफ के सहयोग से एक विशेष पुनर्वास कार्यक्रम 111.34 लाख रु0 की लागत से आरम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत 5,000 बुनकरों को लेकर 14 बुनकर केन्द्र खोले गए हैं जिनमें बुनकरों को पूर्णकालिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। पूर्वी क्षेत्र के बुनकरों को व्यापारिक स्तर पर अपना स्वयं का कार्य प्रारम्भ करने के उद्देश्य से एक प्रिन्टिंग-कम-ट्रेनिंग-प्रोडक्शन केन्द्र मऊ मेंस्थापित किया गया है। वर्ष 1980–81 में हथकरघा क्षेत्र की सभी योजनाओं में और अधिक गति लाई जायेगी। इस वर्ष अलीगढ़–एटा तथा सीतापुर–हरदोई में 2 नई हथकरघा सघन विकास परियोजनाय प्रारम्भ किए जाने का प्रस्ताव है। ग्रामीण अंचलों में कार्यरत बुनकरों को स्थानीय रूप से की गई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 100 से 150 करघों को लेकर 20 कुटीर रंगाई घरों की स्थापना का प्रस्ताव है। रेशम-योजना के अन्तर्गत मिर्जापुर के जनजाति क्षेत्रों के लिए एक ट्रापिकल टसर डेवलपमेन्ट योजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है,जिससे 2,500 जनजाति परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

राज्य सरकार द्वारा वृहद एवं मध्यम उद्योग के विकास के लिए भी समुचित प्रयास किया जा रहा है। डाला एवं चुनार (मिर्जापुर) में 15.80 लाख टन उत्पादन क्षमता की सीमेन्ट फैक्ट्री की स्थापना का कार्य प्रगति पर है और यह आशा की जाती है कि इसी वर्ष प्रारम्भिक उत्पादन होने लगेगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश में दो बड़े तथा दो छोटे सीमेन्ट कारखाने स्थापित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। हथकरघा क्षेत्र में बुनकरों को पर्याप्त सूत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र की 8 कताई मिलों की क्षमता 2 लाख स्पिंडलों से बढ़ाकर 3 लाख तक किए जाने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त नगीना तथा मजदूर में सहकारिता क्षेत्र में स्थापित दो कताई मिलों में भी उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। सहकारिता क्षेत्र में दो अतिरिक्त कताई मिलों की स्थापना का प्रस्ताव है। प्रतापगढ़ में पेपर फैक्ट्री की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में इलेक्ट्रानिक उद्योग के विकास

के लिए इलेक्ट्रानिक निगम प्रयत्नशील है तथा इस निगम द्वारा सार्वजनिक एवं संयुक्त क्षेत्र में कई परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा संयुक्त क्षेत्र में स्थापित 5 परियोजनाओं ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है और वर्ष 1980-81 के अन्त तक 5 और परियोजनाओं में उत्पादन कार्य प्रारम्भ किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रदेश की खनिज सम्पदा के समुचित उपयोग के लिए शासन तथा राज्य खनिज विकास निगम द्वारा लम्बीधार जिला देहरादून में उच्च श्रेणी चूना पत्थर के उत्खनन की परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार निगम की एक अन्य महत्वपूर्ण योजना-कैल्शियम कार्बाइड परियोजना-कार्यान्वयन में भी पर्याप्त प्रगति हुई है।

प्रदेश के वित्तीय संसाधन सीमित हैं और औद्योगीकरण के विस्तार में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। पंचम पंचवर्षीय योजना तक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 12,000 करोड़ रु0 के औद्योगिक विनियोजन में से उत्तर प्रदेश के लिए केवल 500 करोड़ रु0 का विनियोजन हुआ, जो प्रदेश के आकार एवं आवश्यकताओं को देखते हुए तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। प्राकृतिक गैस पर आधारित 6 उर्वरक कारखानों की स्थापना मथुरा रिफाइनरी से उपलब्ध होने वाले नेप्था पर आधारित एक एरोमेटिक्स काम्पलेक्स की स्थापना, पर्वतीय क्षेत्र में हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि0 द्वारा एवियानिक्स कारखाने की स्थापना आदि का समुचित औचित्य है, किन्तु अब तक केन्द्र सरकार का निर्णय अन्तिम नहीं हो सका है। उत्तर प्रदेश में इन उद्योगों की स्थापना हेतु प्रदेश सरकार द्वारा सबल प्रयास किया जायगा।

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास की प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था में भूमिका सर्वविदित है। वर्ष 1979-80 में गन्ना उत्पादन में अत्यधिक कमी हुई, जिसका प्रतिकूल प्रभाव सामान्यतः सभी प्रकार की चीनी के उत्पादन पर पड़ा, जिनमें चीनी मिलों द्वारा निर्मित चीनी का उत्पादन मुख्य रूप से प्रभावित हुआ। आगामी सीजन में चीनी मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ने की आपूर्ति करवाने का प्रयास होगा।

वर्तमान समय में प्रदेश में कुल 80 चीनी मिलें कार्यरत हैं। सहकारी क्षेत्र की 2 चीनी मिलों (तिलहर, जिला शाहजहांपुर एवं बिलरायां, जिला खीरी) का निर्माण कार्य प्रगति पर है और यह आशा की जाती है कि ये चीनी मिलें वर्ष 1980 से पेराई का कार्य प्रारम्भ कर देंगी। बाजपुर (नैनीताल) एवं सरसावां (सहारनपुर) की सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों के आधुनिकीकरण एवं विस्तार का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिससे कि ये मिलें आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद सिद्ध हों। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभी हाल में उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 को वैध घोषित करने के परिणामस्वरूप रुग्ण चीनी मिलों के पुनस्थापित, आधुनिकीकरण तथा विस्तार कराए जाने में अब कोई वैधानिक कठिनाई नहीं रही। इस वृहद क्रम-बद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत पिपराइच, खड्डा, सखौती-टांडा को प्रथम चरण में लिए जाने का प्रस्ताव है, जोकि प्रस्तावित कार्यक्रम का एक अंश मात्र है। इस प्रकार भविष्य में सम्पूर्ण अधिग्रहीत रुग्ण चीनी मिलों के पुनर्स्थापन आधुनिकीकरण एवं विस्तार के उपरान्त इस उद्योग पर आधारित गन्ना कृषक एवं श्रमिकों का हितवर्धन सम्भव हो सकेगा।

श्रम

शासन औद्योगिक श्रमिकों तथा खेतिहर मजदूरों की आर्थिक एवं सामाजिक दशाओं को सुधारने की ओर विशेष रूप से जागरूक है जिसके फलस्वरूप औद्योगिक सम्बन्धों एवं श्रम स्थिति में सुधार हुआ है। श्रम कल्याण के ऊपर समुचित ध्यान दिया जायेगा।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

प्रदेश में वृद्ध एवं निराश्रित व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु देश में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना वर्ष 1957 में आरम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तगत पेंशन पाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या दिनांक 31 मार्च, 1980 को 30,246 थी। बढ़ी हुई मंहगाई के परिपेक्ष्य में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि 40 रु0 से बढ़ाकर 50 रु0 प्रतिमास करने का प्रस्ताव है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों की नियोजकता बढ़ाने के लिए प्रदेश में देहरादून, आगरा तथा वाराणसी में एक-एक अध्यापन एवं मार्गदर्शन केन्द्र पहले से ही चल रहे हैं। चालू वर्ष में ऐसे दो और केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

शिक्षा

निरक्षता का उन्मूलन एवं प्रारम्भिक शिक्षा का व्यापक विस्तार हमारी योजना के प्रमुख लक्ष्य है। इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बच्चों के आवास से 1.5 कि0मी0 के ही भीतर प्रारम्भिक विद्यालय तथा 3 कि0मी0 की दूरी में जूनियर हाई स्कूल खोलने की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

शासन के प्रयत्न के बावजूद 6–14 वय वर्ग के ऐसे बालक एवं बालिकाएं भी हैं जो आर्थिक एवं समाजिक कठिनाइयों के कारण या तो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते या बीच में ही पढ़ना छोड़ देते हैं और निरक्षरता के शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में 100 केन्द्र कक्षा 1 से 5 तक और 16 जिलों में 100 केन्द्र कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा के लिए खोलने का प्रस्ताव है।

प्रारम्भिक शिक्षा के अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी मात्रात्मक एवं गुणात्मक सुधार के लिए प्रयास जारी है। प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहन देने हेतु छठी पंचवर्षीय योजनाकाल में छात्रवृत्ति की वर्तमान दरों में बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव है।

प्रदेश के छात्र एवं छात्राओं [illegible] रक व्यायाम तथा मनोरंजन उपलब्ध कराने और उनको कुशल नागरिक बनाने के [illegible] नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षण देने एवं अभ्यास कराने के उद्देश्य से एक राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान की स्थापना करने का भी निर्णय लिया गया है।

शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए प्रारम्भिक स्तर के कार्यरत अध्यापकों के लिए एक पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की योजना बनाई गयी है जिसे 1980–81 में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की सहायता से अध्यापकों को गुणात्मक सुधार की दृष्टि से "कंटीन्यूइंग एजूकेशन" की एक परियोजना पर विचार किया जा रहा है।

शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों को खेल कूद में प्रशिक्षण दिलाने हेतु 1979–80 में एक अल्पकालीन क्रीड़ा प्रशिक्षण योजना लागू की गयी थी जिसके अन्तर्गत 150 अध्यापक नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्पोर्ट्स, पटियाला के प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किए गये। वर्ष 1980–81 में इन प्रशिक्षणार्थियों की संख्या में दूनी वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षणेत्तर कर्मचारी, जो नगरपालिका टाउन, एरिया कमेटी अथवा नोटीफाइड एरिया कमेटी से स्थानान्तरित होकर आये हैं अथवा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो जिला परिषद् से आए थे या परिषद् के गठन के बाद जिनकी नियुक्तियां हुई हैं, उनको पेंशन की सुविधा अभी तक अनुमन्य नहीं थी। अतः बेसिक शिक्षा परिषद् में कार्य करने वाले विभिन्न कर्मचारियों को पेंशन सम्बन्धी सेवा शर्तों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से शासन ने उनके अधीन कार्यरत सभी शिक्षणेतर कर्मचारियों को इस वर्ष से राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य पेंशन की दर से कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ यही

पेंशन स्वीकार करने का निर्णय लिया है, जो अध्यापकों के सम्बन्ध में प्रचलित है। आय-व्ययक वर्ष से बेसिक शिक्षा परिषद् तथा सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भांति सहायता प्राप्त अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी मकान किराया भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के पर्वतीय एवं सीमान्त क्षेत्रों में स्थित संस्कृत पाठशालाओं के नियमित एवं पूर्णकालिक शैक्षणिक कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों की भांति पर्वतीय विकास भत्ता एवं सीमान्त विशेष वेतन देने का भी निर्णय लिया है।

इसके अतिरिक्त संस्कृत पाठशालाओं एवं महाविद्यालयों के अध्यापकों के लिए त्रासमयी योजना लागू की जा रही है जिसके अन्तर्गत इनको पेंशन, अनिवार्य बीमा एवं अंशदायी भविष्य निर्वाह निधि की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

प्रदेश की शिक्षा पद्धति को आधुनिक स्तर पर लाने और शिक्षा क्षेत्र में शोध कार्य करने की दिशा में इस समय जो मनोविज्ञानशाला, राज्य शिक्षा संस्थान आदि जैसी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, उनके लिए कार्य को और सुदृढ़ व समन्वित करने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है। शिक्षा विभाग की जो परियोजनाएं चल रही हैं उनके अनुश्रवण मूल्यांकन के लिए भी समुचित संगठन बनाने पर सक्रिय विचार हो रहा है।

साथ ही उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यवसायीकरण हेतु सर्वेक्षण की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु रूढ़िगत पथ से हटकर प्रायोगिक आधार पर एक विशिष्ट आवासीय विद्यालय की स्थापना का भी प्रस्ताव है।

भारत सरकार की नीति के अनुसार प्रदेश में 15–35 वर्ष वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के सदस्यों एवं समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को साक्षर बनाने, उनकी व्यवहारिक कुशलता का स्तर उच्च करने तथा उनमें चेतना जागृत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का प्रारम्भ पिछले वर्ष किया। इस वर्ष भी इसे चालू रखा जायेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं, नेहरू युवक केन्द्रों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया जाना वांछित है।

प्राविधिक शिक्षा

वर्ष 1980–81 में पहले से प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा के चल रहे कार्यक्रमों के सुधार एवं सुदृढ़ीकरण पर बल दिया जायेगा। विद्यार्थियों को स्वतः रोजगार की ओर आकर्षित करने के कार्यक्रमों को वर्ष 1980–81 में सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। दस संस्थाओं में प्रशिक्षणयुक्त उत्पादन केन्द्र योजना के विस्तार का भी प्रस्ताव है। राजकीय पालीटेकनिक, गोंडा एवं कानपुर तथा हीवेट पालीटेकनिक, लखनऊ में आटोमोबाइल इन्जीनियरिंग, राजकीय पालीटेकनिक, श्रीनगर (गढ़वाल) में फार्मेसी तथा टाउन पालीटेकनिक, बलिया में स्टेनोग्राफी एवं सेक्रेटेरियट प्रैक्टिस के नए पाठ्यक्रम भी वर्ष 1980–81 में चलाए जाने का प्रस्ताव है। एटा में एक राजकीय पालीटेकनिक खोलने का भी प्रस्ताव है।

विज्ञान एवं पर्यावरण

उत्तर प्रदेश राजकीय वेधशाला, नैनीताल शासन का एक शोध संस्थान है जिसका मुख्य ध्येय तारकी एवं सौर भौतिकी के क्षेत्र में शोध कार्य करना है। वर्तमान में वेधशाला में 4 तारकीय दूरबीनें एवं एक और दूरबीन अपने स्पेक्ट्रोग्राफ सहित शोध में कार्य है। वेधशाला में मीटर व्यास की एक और दूरबीन स्थापित किए जाने हेतु शासन द्वारा निर्णय लिया गया है।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

शहरों के समीपस्थ विभिन्न उद्योगों की स्थापना और अनियंत्रित भवनों के निर्माण से तथा प्रदेश के नए विकास कार्यों से जो पर्यावरण एवं परिस्थिति से सम्बन्धित समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं उनके गहन अध्ययन तथा निवारण हेतु एवं मनुष्य के स्वास्थ्य एवं जीवन सुरक्षा के लिए भी शासन प्रयत्नशील है ।

प्रदेश में विज्ञान एवं प्रोद्योग परिषद् शोध के कार्य-कलाप में समन्वय स्थापित कर गतिशीलता सुनिश्चित करने हेतु प्रयत्नशील है । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली के सहयोग से एक बहु-औद्योगिक हस्तान्तरण केन्द्र (पाली टेक्नालोजी ट्रान्सफर सेंटर) का प्रारम्भ पिछले वर्ष हो चुका है । प्रदेश के वर्तमान संसाधनों की सूक्ष्म प्रौद्योगिकी के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने हेतु रिमोट सेंसिग तथा फोटो इन्टरप्रिटेशन केन्द्र की स्थापना के लिए निर्णय लिया जा चुका है । इससे बुन्देलखण्ड क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जा रहा है । इसका कृषि क्षेत्र में उपयोग करने पर सक्रिय रूप से विचार किया जायेगा ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी सेवाओं के अभाव को दूर करने तथा निकटतम स्थानों पर उक्त सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रयोग के तौर पर कुछ क्षेत्रों में वर्तमान 10,000 की जनसंख्या के बजाय 5,000 पर एक उपकेन्द्र उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

वर्ष 1980–81 में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1550 नये उपकेन्द्रों की स्थापना एवं 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 30 शैय्यायुक्त अस्पतालों में कार्यशील करने का लक्ष्य है । इसके अतिरिक्त 125 उपकेन्द्रों, 48 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 36 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उच्चीकरण हेतु भवन निर्माण के कार्य को प्रारम्भ किए जाने की योजना है ।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार वर्ष 1983 के अन्त तक वर्तमान 41.8 प्रति हजार जन्म दर को 30 प्रति हजार तक लाना है । जन्म दर में प्रभावी कमी लाने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम को सघन रूप से शिक्षा प्रसार, प्रशिक्षण और प्रेरणा के माध्यम जनता में कार्यक्रम के प्रति जागृति पैदा करने और उसमें आस्था बनाने हेतु सभी वर्गों का योगदान अपेक्षित है । इसके लिए सक्रिय प्रयास किया जायगा ।

चिकित्सा सुविधाओं के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रदेश के अस्पतालों और चिकित्सालयों को वर्तमान स्तर के ऊपर वर्ष 1980–81 में 3.83 करोड़ रु० औषधियों एवं आहार के लिए उपलब्ध कराया जायेगा ।

जिला स्तर पर भी अधिकाधिक विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 14 अस्पतालों में नाक एवं कान चिकित्सा अनुभाग, 11 में दन्त रुजालय, 4 में पैथोलोजी अनुभाग एवं 5 अस्पतालों में पूर्ण उपचारिका सेवा स्थापित करने का प्रस्ताव है । राजकीय औषधालयों में 200 रोगी शय्याओं की वृद्धि भी प्रस्तावित है ।

चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता अधिक सहज बनाने के लिए 67 एलोपैथिक, 59 आयुर्वेदिक तथा 35 होम्योपैथिक औषधालयों को स्थापित करने का लक्ष्य है । 13 अराजकीय औषधालयों का प्रान्तीयकरण भी किया जायेगा ।

नेत्र चिकित्सा के विशेष महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 190 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 6 जिला चिकित्सालयों तथा एक मेडिकल कालेज में नेत्र चिकित्सा सुविधाएं दी जायेंगी एवं 3 चलते-फिरते नेत्र चिकित्सालयों की स्थापना भी की जायेगी ।

विशिष्ट रोगों के लिए विशेष जाँच एवं इलाज की सुविधा दिए जाने के लिए मेडिकल कालेज, लखनऊ के कार्य चिकित्सा विभाग में अन्तःस्रावी विज्ञान (इण्डोक्राइनोलोजी) इकाई, शल्य चिकित्सा विभाग में जेनेटो यूरीनरी सर्जरी एवं यूरोलोजी इकाई तथा पैथोलोजी और

बैक्टीरियौलोजी विभाग में कैंसर रोग की जाँच हेतु केन्द्र की स्थापना किए जाने का भी प्रस्ताव है। जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर में डायलेसिस सेन्टर भी स्थापित किया जाएगा।

शहरी क्षेत्रों में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम स्थानीय निकायों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार की सहायता से राज्य सरकार द्वारा भी चलाया जा रहा है। इस वर्ष 5 शहरों में शहरी मलेरिया इकाइयाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार की सहायता से राष्ट्रीय फाइलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत पाँच फाइलेरिया क्लीनिक्स खोले जाने का निर्णय भी लिया गया है।

सड़क तथा पुल

वर्ष 1980–81 में वार्षिक योजना के अन्तर्गत सड़कों तथा पुलों के लिए 59 करोड़ रु0 का परिव्यय आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त सूखा सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण हेतु 6.50 करोड़ रु0 की अग्रिम प्लान सहायता भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी है। इस वर्ष वार्षिक योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा कुल 2650 कि0मी0 नयी पक्की सड़कों का निर्माण, 528 कि0मी0 वर्तमान सड़कों का पुनर्निर्माण व सुधार तथा 36 नये पुलों का निर्माण पूरा किया जाना प्रस्तावित है। इस वर्ष जिन महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण पूरा होने की आशा ह उनमें जिला बाँदा में झाँसी–इलाहाबाद मार्ग पर केन नदी पर पुल, जिला बलिया में रसड़ा–कासिमाबाद मार्ग पर टौंस नदी पर पुल, जिला बाँदा में फतेहपुर–बाँदा मार्ग पर यमुना नदी पर पुल एवं जिला आजमगढ़ में जियनपुर–मुबारकपुर मार्ग पर टोंस नदी पर पुल प्रमुख हैं।

हरिजन एवं समाज कल्याण

प्रदेश में निवास करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा विमुक्त जाति के लोगों को समुचित शैक्षिक, आर्थिक एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना भी शासन अपना पुनीत कर्तव्य समझता है। शासन न इन जातियों के छात्रों को प्राइमरी स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक शिक्षा सुविधा देने का प्राविधान किया है। यह सुविधा छात्रवृत्ति, छात्रावास, पुस्तकीय सहायता, बुक बैंक आदि के रूप में दी जा रही है।

चिकित्सा, इंजीनियरिंग तथा प्राविधिक विषयों में अध्ययन करने वाले इन जातियों के छात्रों को राज्य सरकार द्वारा पुस्तकें एवं उपकरण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सी0पी0एम0टी0 (पूर्व डाक्टरी परीक्षा) में अपनी निर्धनता के कारण इन जातियों के छात्र उत्तीर्ण नहीं हो पाते। इस उद्देश्य से इण्टर साइन्स में उत्तीर्ण छात्रों को 2 माह का प्रशिक्षण देकर सी0पी0एम0टी0 के लिए तैयार किया जा रहा ह।

इस दृष्टिकोण से कि इन जातियों के सभी छात्रों को शिक्षा सत्र प्रारम्भ होते ही छात्रवृत्ति का धन मिल जाय, प्रत्येक विद्यालय को छात्रवृत्ति की 3 माह की अग्रिम धन-राशि उपलब्ध करा दी जायेगी।

इन जातियों के आर्थिक उत्थान के दृष्टिकोण से कुटीर उद्योग तथा कृषि उत्थान और पुनर्वासन की योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना करके वे स्वावलम्बी बन सकें। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा तराई अनुसूचित जन-जाति विकास निगम भी इन कार्यों में स्थानीय बैंकों के सहयोग से ब्याज की आसान दर पर ऋण की व्यवस्था करते हैं।

इन जातियों के उन कृषकों को जिनके पास खेती योग्य भूमि तो है, किन्तु जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण अपने बैल आदि क्रय नहीं कर सकते हैं, उन्हें कृषि एवं बागबानी उद्यान हेतु अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

डाक्टरों, इंजीनियरों तथा वकीलों को निजी व्यवसाय चलाने हेतु सहायता के रूप में 2,000 रु0 का अनुदान दिए जाने का प्राविधान किया गया ह। यह योजना भी उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही है।

पुनर्वासन योजना के अन्तर्गत ऐसी जातियों के उन परिवारों के व्यक्तियों को, जो अलग-अलग बसे हैं, 10 से 20 परिवार के रूप में एक स्थान पर बसाने के दृष्टिकोण से गृह, उद्योग तथा पानी जैसी सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है।

इन जातियों में आत्म विश्वास तथा स्वावलम्बन की भावना जागृत करने के उद्देश्य से प्रथम चरण में मलिहाबाद विकास खण्ड, लखनऊ में एक विशेष परियोजना का शुभारम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों के सहयोगों से इन जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाओं का संचालन किया जायेगा।

भारत सरकार की नीति के अनुसार जनजातियों के उत्थान हेतु प्रदेश के विकास सम्बन्धी विभागों के माध्यम से गोंडा जनपद के थारुओं के विकास के लिए कृषि, लघु सिंचाई, पशुपालन एवं शिक्षा पर विशेष बल दिए जाने की योजना को इस वर्ष से कार्यान्वित करने का भी प्रस्ताव है।

खाद्य तथा रसद

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है। इस स्थिति का सामना करने के लिए शासन द्वारा कई ठोस कदम उठाए जा रहें हैं। गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेलों इत्यादि के वितरण के लिए और दूकानें खोली जायेंगी और इन दूकानों को आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा नय गोदाम भी खोले जायेंगे।

वर्षा न होने के कारण और बिजली के उत्पादन में कमी हो जाने के कारण पूर्व वर्षों की तुलना में इस वर्ष डीजल की आवश्यकता बहुत ज्यादा बढ़ गयी। इधर असम के कच्चे तेल पर निर्भर रहने वाले तेल के कारखानों में कार्य बन्द हो जाने के कारण प्रदेश में डीजल की उपलब्धि भी कम हो गयी है। अब स्थिति में सुधार हुआ है। आशा है कि आगे वाले महीनों में स्थिति सामान्य हो जायेगी।

बिजली की कमी के कारण सीमेन्ट उत्पादन काफी कम हो गया है, इस कारण इसकी उपलब्धि में काफी कठिनाई है। बिजली की स्थिति ठीक होने तक सीमेन्ट की उपलब्धि में सुधार होना कठिन लगता है, परन्तु प्रयास इस दिशा में निरन्तर जारी है।

राष्ट्रीय एकीकरण

"नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955" के उपबन्धों के व्यापक प्रचार तथा उनका कड़ाई से अनुपालन कराने के प्रयत्न जारी हैं। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत समस्त अभियोगों को विशेष रिपोर्ट की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया है ताकि जांच आदि की ओर विशेष ध्यान दिया जा सके। उक्त अधिनियम के अधीन मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए शासन के अनुरोध पर उच्च न्यायालय के द्वारा प्रत्येक जिले में एक मैजिस्ट्रेट नामित कर दिया गया है।

अल्प संख्यकों की समस्याओं पर विचार करने व सुझाव देने के लिए 1974 में गठित अल्प संख्यक आयोग को अब पुनर्गठित कर दिया गया है और इसका कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है।

उर्दू भाषा के विकास के लिए हम कृत संकल्प हैं। शिक्षा संस्थाओं में निर्धारित सुविधायें उपलब्ध रहेंगी। पिछली कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना

की और इसे हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया। यह संस्था प्रशंसनीय कार्य कर रही है। हाल में इसका पुनर्गठन भी किया गया है ताकि उर्दू का प्रसार-प्रचार में और गति लाई जा सके।

शासकीय कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को उर्दू भाका का ज्ञान यथा-सम्भव कराने के उद्देश्य से अभी तक उर्दू में दक्षता पाने के लिए हाई स्कूल स्तर के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रति वर्ष उर्दू की वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा आयोजित की जाती थी और उस परीक्षा को पास करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र दिया जाता था। आय-व्ययक से उक्त परीक्षा के अनुरूप ही जूनियर हाई स्कूल परीक्षा को संचालित करने का भी निर्णय लिया गया है।

स्थानीय निकाय एवं जल सम्पूर्ति

इस समय राज्य में कुल 644 नगर इकाइयां हैं। किसी भी अन्य राज्य की तुलना में यह संख्या सबसे अधिक है।

प्रदेश की पंच महानगरियों एवं बुन्देलखण्ड, कुमाऊं तथा गढ़वाल मण्डलों में पेयजल एवं जलोत्सारण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक, जीवन बीमा निगम तथा राज्य सरकार की सहायता से 60 करोड़ रु0 के मूल्य की जिस विशेष परियोजना का अनुबन्ध वर्ष 1975–76 में विश्व बैंक के साथ निष्पादित किया गया था, उसका आकार 84 करोड़ रु0 किए जाने हेतु विश्व बैंक तथा भारत सरकार से विचार-विमर्श किया गया है। इस परि-योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है तथा आशा की जाती है कि इन कार्यों के पूर्ण हो जाने के बाद अभावग्रस्त ग्रामों तथा नगरीय क्षेत्रों में पेय जल सुविधाओं का काफी विस्तार हो जायेगा।

वर्ष 1980–81 में 20 नये नगरों में पेय जल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। नयी योजनाओं के निर्माण के अतिरिक्त यह भी प्रयास किया जा रहा है कि जहां पेय जल की व्यवस्था चालू है, वहां वर्तमान व्यवस्था का पुनर्गठन तथा विस्तार किया जाय ताकि वह बढ़ी हुई जनसंख्या तथा क्षेत्रीय विस्तार के कारण बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो सके।

वर्ष 1980–81 में 3 नये नगरों में सीवर व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त पंच महानगरियों में विश्व बैंक कार्यक्रम के अन्तर्गत एवं अन्य 3 नगरों में सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जलोत्सारण व्यवस्था के पुनर्गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

भूमिगत सीवर व्यवस्था की योजनाएं असाधारण रूप से महंगी होती हैं। अतः सीव-रेज व्यवस्था के बिना भी नगरों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए एवं सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तन के कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। मार्च, 1979 तक लगभग 38800 शुष्क शौचालयों का परिवर्तन किया जा चुका है। वर्ष 1980–81 म इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 9,000 शौचालयों का परिवर्तन किया जायगा।

नगरों के गन्दे पानी का कृषि कार्यों में उपयोग करने के उद्देश्य से मलोपयोगी योजनाओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। मार्च, 1980 तक 66 मलोपयोगी योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। वर्ष 1980–81 में 4 नयी योजनाएं पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रदेश की पांचों महानगरियों में सफाई व्यवस्था में सुधार करने व कूड़े करकट से खाद बनाए जाने के उद्देश्य से वर्ष 1980–81 में आगरा व लखनऊ में कम्पोस्ट प्लान्ट की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।

[विश्वनाथ प्रताप सिंह]

प्रदेश में 1971 की जनगणना के अनुसार 1,12,561 राजस्व ग्राम हैं। कुछ वर्षों पूर्व कराए गये एक सर्वेक्षण के अनुसार 35,506 ग्राम पेयजल की दृष्टि से अभावग्रस्त हैं। पिछली समस्त पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के कार्यान्वयन के फलस्वरूप मार्च, 1980 तक 10,056 ग्रामों में शुद्ध पाइप पेय जल की व्यवस्था की गई है। इन 10,056 ग्रामों में अभावग्रस्त श्रेणी के 6752 ग्राम सम्मिलित हैं, और शेष ऐसे गाँव हैं जो अभावग्रस्त गाँवों की जल आपूर्ति करने के कारण बीच में आ जाते हैं और उन्हें भी जल आपूर्ति का लाभ मिल गया है। शासन की नीति के अनुसार अन्ततोगत्वा समस्त अभावग्रस्त ग्रामों में प्राथमिकता के आधार पर पेय-जल उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। वर्ष 1980–81 में कुल मिलाकर 1,500 ग्रामों में शुद्ध पेयजल सुविधा प्रदान करने का कार्यक्रम है।

प्रदेश के आयोजनागत परिव्यय तथा संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अतिरिक्त केन्द्रीय शासन द्वारा पुर्ननिधानित त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत भी ग्रामीण पेयजल योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। प्रदेश के 12 जनपदों की कुल 198 ग्रामीण पेयजल योजनाएं इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं जिससे 2,600 गाँवों को पेयजल सुविधा का लाभ मिलेगा। मार्च, 1980 के अन्त तक लगभग 750 ग्रामों को इस कार्यक्रमानुसार पेय-जल सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। वर्ष 1980–81 में 300 ग्रामों सें पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

उक्त योजनाओं के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में वर्ष 1980–81 में 750 नये गाँवों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

विश्व बैंक के अतिरिक्त अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों से भी पेयजल एवं जलोत्सारण कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। प्रदेश के इलाहाबाद, रायबरेली तथा वाराणसी जनपद की ग्रामीण पेय-जल योजनाओं के लिए डच शासन से 11.91 करोड़ रु0 की वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु स्वीकृति भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त हो चुकी है। इसे कार्यक्रम के अन्तर्गत ली जाने वाली योजनाओं हेतु आवश्यक प्राक्कलन तैयार कराया जा रहा है तथा शीघ्र ही इन योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारम्भ कर दिया जायगा। उपरोक्त 3 जनपदों के अतिरिक्त मथुरा, आगरा तथा इटावा की ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए 7.7 करोड़ रु0 की वित्तीय सहायता उच्च शासन से प्राप्त करने हेतु भी काफी अग्रिम स्तर तक कार्यवाही की जा चुकी है।

ग्राम्य विकास योजना के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों की हरिजन बस्तियों में पेयजल की आश्वस्त व्यवस्था कराने का प्राविधान किया गया है। इसके अन्तर्गत मैदानी क्षेत्रों में पेय जल कूपों तथा हैन्ड पम्पों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में डिग्गियों आदि का निर्माण कराया जायगा।

आवास एवं नगर विकास

प्रदेश में आवास की कमी प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित शहरी आवास एवं नगर विकास कार्यकारी दल न शहरी क्षेत्रों में वर्ष 1978 में 8.77 लाख आवासीय इकाइयों की कमी आँकी थी। यह कमी 1985 के अन्त तक बढ़कर 14.80 लाख तक हो जाने का अनुमान है। यदि न्यूनतम स्तर की आवास इकाइयाँ उपलब्ध कराई जायें तो भी उपरोक्त आवासीय इकाइयों की कमी दूर करने हेतु 2500 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। स्पष्ट है कि इतनी बड़ी धनराशि की समस्त सम्भव स्रोतों से निकट भविष्य में व्यवस्था करना सम्भव नहीं है। फिलहाल राज्य सरकर द्वारा 1980–85 में लगभग 3.25 लाख आवासीय इकाइयों की उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें से लगभग 75 प्रतिशत आवासीय इकाइयाँ आर्थिक दृष्टि के कमजोर वर्ग के समुदाय के लिए होंगी।

भारत सरकार की छोटे तथा मध्यम नगरों की एक एकीकृत नगर विकास योजना के अन्तर्गत एक लाख से कम आबादी वाले नगरों के विकास हेतु भारत सरकार से लगभग 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता ऋण के रूप मेंप्राप्त हो सकेगी। इस सम्बन्ध मेंप्रथम चरण में सात नगरों का चुनाव करके इनसे सम्बन्धित छः नगरों की योजनाएं भारत सरकार को भेजी जा चुकी हैं और अन्य योजनाएं बनाई जा रही हैं।

प्रदेश में शहरी आवासीय योजनाएं, आवास एवं विकास परिषद्, विकास प्राधिकरणों तथा स्थानीय निकायों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् ने अपने क्रिया-कलापों का विस्तार करके अपने कार्य क्षेत्र में 100 नगरों को सम्मिलित किया है।

मलिन क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार योजना पुनरीक्षित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है। योजना के अन्तर्गत 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की मलिन बस्तियों में गलियों में खड़ंजा, नाली, पानी तथा सीवर की लाइन, बिजली के खम्भ पानी के नल, सार्वजनिक शौचालय तथा स्नानघर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है या इस योजना के कार्यान्वयन से वर्ष 1980–81 में लगभग 1.35 लाख व्यक्तियों के लाभान्वित होने की आशा है।

वर्ष 1979–80 के अन्त में विशेष प्रयास करने के फलस्वरूप जीवन बीमा निगम से 745 लाख रु0 का ऋण तथा जनरल इश्योरेंस कारपोरेशन से 331 लाख रु0 का ऋण निर्माण एवं आवास मन्त्रालय, भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त किया गया है। वर्ष 1980–81 में आवास एवं नगर विकास हेतु कुल 674 लाख रु0 का परिव्यय प्रस्तावित है। राज्य योजना में प्रस्तावित परिव्यय के अतिरिक्त विकास प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा हुडको (हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट कारपोरेशन) की मदद से आवास योजनायें कार्यान्वित की जा रही है।

क्रीड़ा

यह प्रसन्नता की बात है कि बड़ी संख्या में प्रदेश के खिलाड़ी विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेकर सफलतायें प्राप्त कर रहे हैं। अधिकांश खिलाड़ी हमारे क्रीड़ा छात्रावासों से अन्तर्वासी हैं। इसके साथ ही हमारी महिला/बालिका खिलाड़ियों ने भी महिला हाकी, क्रिकेट, बैडमिन्टन, वालीबाल एथलेटिक्स में राष्ट्रीय चैम्पियन होकर यह सिद्ध कर दिया कि वे भी किसी से पीछे नहीं हैं।

विभिन्न खेलों की तकनीकी/वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने तथा प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करने हेतु प्रशिक्षण शिविरों तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करके वर्ष 1980-81 में लगभग एक लाख बच्चों को लाभान्वित करने का विचार है।

पर्यटन

भारतीय संस्कृति का प्रमुख केन्द्र होने के कारण उत्तर प्रदेश का पर्यटन विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यटन विभाग विभिन्न धार्मिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक सौन्दर्य के स्थलों पर उपलब्ध की गयी पर्यटक आवासीय इकाइयों में 2,351 शैय्याओं की व्यवस्था कर चुका है तथा निर्माणाधीन इकाइयों में निर्माण कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में सम्पन्न हो जाने की सम्भावना है। उनमें मैदानी क्षेत्रों में 240 शैय्यायें तथा पर्वतीय क्षेत्र में 412 शैय्याएं और उपलब्ध हो जायेंगी।

एक ही भवन में पर्यटकों के लिए पर्यटक सम्बन्धी आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग ने एक आधुनिक पर्यटक स्वागत केन्द्र का निर्माण नैनीताल में किया है। इस प्रकार के केन्द्रों का निर्माण आगरा, लखनऊ, गोरखपुर तथा सुनौली आदि स्थानों में भी प्रस्तावित है।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

हाल ही में हरिद्वार और गोरखपुर रेलवे स्टेशनों पर पर्यटन विभाग द्वारा नये पर्यटक सूचना केन्द्रों की स्थापना भी की गयी है ।

संस्थागत वित्त

विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय संस्थाओं से अतिरिक्त संसाधन जुटाने का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है । कमजोर वर्ग के व्यक्तियों और प्राथमिकता क्षेत्रों में अधिक से अधिक ऋण वितरण किए जाने तथा सुदूर ग्रामीण अंचलों में बैंकों की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधिकाधिक शाखाएं खोले जाने पर जोर दिया जायगा । इस बैंक शाखा के विस्तार के फलस्वरूप आशा है कि दिसम्बर, 1981 के अन्त तक प्रति बैंक शाखा जनसंख्या का औसत 20,000 पर आ जायेगा । सभी 'लीड' बैंकों द्वारा अपने-अपने जनपद के लिए वर्ष 1980 से 1982 तक की अवधि की तीन वर्षीय ऋण योजनायें बनाई गई हैं । यह योजनाएं पंचवर्षीय योजना में इंगित उद्देश्यों तथा मान्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार से बनाई गयी हैं कि जनपदीय ऋण योजनाएं व जनपदीय विकास योजनाएं एक दूसरे से सुसम्बद्ध हों । इन योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 1200 करोड़ रु0 की ऋण धनराशि वितरित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है । जैसाकि सरकार की नीति है, ग्राम्य विकास को महत्व देते हुए इन योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय लक्ष्य का लगभग 80 प्रतिशत अंश कृषि एवं ग्राम्य उद्योग सम्बन्धी कार्यक्रमों में ही विनियोजित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

लघु एवं सीमान्त कृषकों एवं ग्रामीण हस्त शिल्पियों एवं कारीगरों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं । चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 10 नये ग्रामीण बैंक और स्थापित किए जाने का कार्यक्रम है ।

कृषि पुनर्वित एवं विकास निगम द्वारा कृषि की दीर्घकालीन ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस प्रदेश के लिए बड़े पैमाने पर ऋण वितरण का कार्यक्रम बनाया गया है । छठी पंचवर्षीय योजना काल में बैंकों द्वारा कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 458 करोड़ रु0 की ऋण धनराशि वितरित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें 370 करोड़ रु0 कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम से पुनर्वित्त सहायता मिलेगी ।

वित्तीय संस्थाओं तथा विकास विभागों में निचले स्तरों पर भी समुचित समन्वय तथा सहयोग के उद्देश्य से विकास खण्ड स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है । आशा है कि इस प्रयास के फलस्वरूप बैंक प्रदेश की विकास योजनाओं में अधिकाधिक विनियोजन हेतु प्रोत्साहित होंगे ।

राष्ट्रीय बचत

राष्ट्रीय बचत योजना एक जनोपयोगी कार्यक्रम है, जिसके द्वारा एक ओर तो जनता में मितव्ययता करने और स्वेच्छापूर्वक बचत करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है और दूसरी ओर प्रदेश के विकास कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध होते हैं ।जो भी धनराशि बचत योजना के माध्यम से जमा होती है, उसका 2/3 भाग राज्य सरकार को ऋण के रूप में मिलता है, जिसका उपयोग विकास कार्यों के लिए किया जाता है । वर्ष 1980–81 के लिए 109 करोड़ रुपए जमा करने का लक्ष्य रखा गया है । राष्ट्रीय बचत की सम्भावनाओं का और अधिक लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय बचत संगठन को 45 जिलों में सुदृढ़ व प्रभावी बनाने का प्रस्ताव है ।

न्याय प्रशासन

जन संख्या में वृद्धि, नगरीकरण तथा अन्य कारणों से गत कुछ वर्षों में मुकदमों, विशेषकर फौजदारी मुकदमों के दायरे में तेजी से वृद्धि हो रही है। मुकदमों के शीघ्र निपटारा करने और लम्बित वादों की संख्या में कमी लाने के लिए शासन/उच्च न्यायालय द्वारा भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लम्बित वादों की संख्या 31 दिसम्बर, 1979 को 1,03,338 थी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 56 से बढ़ा कर 60 कर दी गयी है।

अधीनस्थ न्यायालयों में दीवानी तथा फौजदारी के लम्बित वादों की संख्या 31 दिसम्बर, 1979 को 9,62,760 थी। फ़रवरी–मार्च, 1980 में 24 अतिरिक्त सेशन न्यायालय तथा 84 मजिस्टीरियल न्यायालय शासन द्वारा सृजित किए गये हैं। इस वर्ष 24 और अतिरिक्त सत्र न्यायालय सृजित किए जायेंगे। इन 132 न्यायालयों के कार्य करने के फलस्वरूप लम्बित वादों के निस्तारण में अधिक गति आयेगी।

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन एवं विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत लगभग 20,000 छोटे फौजदारी मुकदमें उपशमित हो गये हैं। इस अधिनियम में कुछ प्रकार के छोटे मुकदमों के कम्पाउन्ड किए जाने का भी प्राविधान है जिसके सम्बन्ध में समुचित आदेश नियत अधिकारियों को जारी किए जा रहे हैं।

राज्य के बड़े नगरों में मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा 130 के अन्तर्गत मुकदमों का, अपराधी के न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए बिना, प्रस्तावित जुर्माने की धनराशि जमा कराकर, सरकारी तौर पर शीघ्र निस्तारण किए जाने की व्यवस्था की गयी है।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन हरिजनों इत्यादि से सम्बन्धित मुकदमों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण हेतु उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक जिले में एक मजिस्ट्रेट को नामित किया जा चुका है। इसी प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा श्रम कानूनों के अन्तर्गत दायर वादों के प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किए जाने हेतु निर्देश दिए गये हैं।

आर्थिक अपराधों के विचारण के लिए कानपुर में एक विशेष न्यायालय की स्थापना प्रस्तावित है। तीन वर्ष से अधिक सेवा वाले सभी मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों को आशुलिपिक उपलब्ध कराए गये हैं और इन अधिकारियों द्वारा वादों के निस्तारण का कोटा 20 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है।

उपर्युक्त सभी निर्णयों से उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित वादों की संख्या में काफी हद तक शीघ्र कमी आने की आशा है जिससे वादकारी जनता को भी राहत पहुंचेगी।

अब तक 38 तहसील मुख्यालयों पर न्यायालय स्थापित किए जा चुके हैं और शेष 15 तहसील मुख्यालयों पर जहां न्यायालय कक्ष एवं न्यायिक अधिकारियों के आवासिक भवनों का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है, भवन तैयार होने पर, न्यायालय स्थापित किए जायेंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी कुछ अन्य तहसील मुख्यालयों पर न्यायालय स्थापित किए जायेंगे। इससे देहाती क्षेत्रों की वादकारी जनता को उनके निवास के निकट कम खर्च में न्याय प्राप्त करने में सुविधा होगी।

महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की एक कमेटी बनाई गयी है, जो दीवानी प्रक्रिया संहिता के सरलीकरण हेतु संशोधन के सुझाव एवं वादकारियों के सहायतार्थ उपयुक्त कदम उठाने के लिए संस्तुतियां देगी। इस कमेटी से अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

न्यायालय भवनों एवं आवासिक भवनों के निर्माण कार्य हेतु 1980-81 में 225 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गयी है। यह आशा की जाती है कि आगामी कुछ वर्षों में न्यायालय भवनों एवं आवासों की कमी पूरी हो जायेगी।

कारागार

शासन में कारागारों की वर्तमान स्थिति तथा बन्दियों को उपलब्ध सुविधाओं में सुधार करने के उद्देश्य से कई निर्णय लिए हैं। इनके अन्तर्गत इस वर्ष 8 कारागारों में पेयजल व स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था की जायेगी और 13 कारागारों में विद्युतीकरण किया जायेगा।

बन्दियों की भोजन व्यवस्था में सुधार, चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ोत्तरी, कारागार उद्योगों में कार्यरत बन्दियों के प्रोत्साहन हेतु मजदूरी की दरों में वृद्धि, आटा चक्कियों और कम्बलों की व्यवस्था, नाइयों एवं स्वच्छकारों की व्यवस्था, विद्युतकार और औद्योगिक प्रशिक्षकों की तैनाती इत्यादि के लिए भी बजट में प्राविधान किया गया है। लिपिकों व सुरक्षा स्टाफ की संख्या में यथोचित वृद्धि की जायेगी और जेल के छोटे-मोटे कार्यों की देख-रेख के लिए एक अभियन्त्रण सेल स्थापित किया जायेगा। कारागार विभाग के आवासीय भवनों के विशेष अनुरक्षण के लिए भी व्यवस्था की गई है।

नागरिक सुरक्षा

होमगार्ड संगठन ने राज्य में शान्ति व्यवस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ड्यूटी पर लगाए गये होमगार्डों को अभी तक 6 रुपए प्रतिदिन पारिश्रमिक दिया जाता था जिसको इनकी सेवाओं तथा मूल्यवृद्धि को देखते हुए 8 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। होमगार्डों को उचित प्रशिक्षण तथा वर्दी का प्रबन्ध भी किया जायगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर अच्छे प्रशिक्षित होमगार्ड उचित वर्दी में उपलब्ध हो सकें। होमगार्डों को आवश्यकता के समय शीघ्रता से उपलब्ध कराने हेतु टेलीफोन और यातायात की भी उचित व्यवस्था की जा रही है।

राजस्व

प्रदेश के भूमिहीन अनसूचितजाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य कृषक श्रमिकों तथा ग्रामीण शिल्पकारों को कृषि भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गाँव सभाओं के पास आवंटन योग्य उपलब्ध कृषि भूमि में से 17,52,957 व्यक्तियों को 6,09,498 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी थी। उपरोक्त में से लगभग 1,30,250 आवंटियों को आवंटित भूमि से वाह्य हस्तक्षेप द्वारा बेदखल कर दिया गया था। इनमें से 1,20,623 आवंटियों को पुनः कब्जा दिला दिया गया है। शेष व्यक्तियों को कब्जा दिलाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों, ग्रामीण शिल्पकारों और अन्य भूमिहीन मजदूरों को निःशुल्क आवास स्थल आवंटित करनें के कार्यक्रम को छठी योजना काल (1980–85) में भी प्राथमिकता दी गयी है और यह लक्ष्य रखा गया है कि योजनाकाल में उपर्युक्त वर्ग के सभी पात्र व्यक्तियों को, जिनके पास अपना निजी मकान नहीं है अथवा वर्तमान आवास भवन अपर्याप्त है, आवास स्थल आवंटित कर दिए जायं। उपर्युक्त वर्ग के पात्र व्यक्तियों की सूची बनानें के लिए पूरे प्रदेश का पुनः सर्वेक्षण कराया जा रहा है और उन्हें आवास स्थल आवंटित करने हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम भी निर्धारित कर दिया गया है।

जिला एवं राजस्व प्रशासन के विकेन्द्रीकरण की योजना के अन्तर्गत अब तक जिला मुख्यालय पर तैनात परगनाधिकारियों को तहसील मुख्यालयों पर स्थानान्तरित कर दिया गया है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए इन अधिकारियों तथा उनसे सम्बद्ध

कर्मचारियों के लिए सहसीलों पर कार्यालय/न्यायालय तथा अवासीय भवनों के निर्माण का कार्यक्रम बना लिया गया है तथा तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश को 1979–80 में पहले बाढ़ तथा बाद में अभूतपूर्व सूखे का सामना करना पड़ा। गत वर्ष जुलाई माह में प्रदेश के 16 जनपद बाढ़ तथा अतिवृष्टि से प्रभावित हुए। बाद में वर्षा न होने के कारण सूखे की स्थिति भी उत्पन्न हुई जो अनावृष्टि की स्थिति में उत्तरोत्तर बढ़ती गयी और प्रदेश को शताब्दी के सबसे बड़े सूखे का सामना करना पड़ा है। सूखे से खरीफ फसल का लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्र प्रभावित रहा तथा शेष 10 प्रतिशत क्षेत्र में खरीफ की फसल बोई ही नहीं जा सकी।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में दैवी आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में तत्कालिक राहत पहुंचाने के लिए विभिन्न सहायता कार्य हेतु आवश्यक धनराशि का आवंटन जिलाधिकारियों एवं विभिन्न विभागों को आवश्यकतानुसार किया गया है। इन सहायता कार्यों में निःशुल्क सहायता जैसे–भोजन तथा वस्त्र, वेतन, गृह निर्माण आदि सम्मिलित है।

सूखाग्रस्त क्षत्रों में पेयजल संकट को दूर करने हेतु प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में 35 रिग मशीनों का प्रबन्ध किया गया जिनसे इस जून के मध्य तक 587 बोरिंग किए गये और 467 हैण्डपम्प लगाए गये। ब्लास्टिंग यूनिट द्वारा 660 कुओं को गहरा किया गया तथा 1,317 गाँवों में नए पाइप डालकर पेय-जल का प्रबन्ध किया गया। 55,370 कुओं की इस अवधि में सफाई की गयी और उन्हें गहरा किया गया। पशुओं के लिए पीने के पानी हेतु पर्याप्त व्यवस्था की गयी। जिन 167 गाँवों में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ टैंकरों तथा ड्रमों द्वारा पेयजल की व्यवस्था कराई गई। रेलवे द्वारा भी मिर्जापुर तथा बाँदा जिलों में पानी की उपलब्धता बढ़ाई गयी।

आपदा तकावी वितरण हेतु वर्ष 1980–81 में 5.35 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया। यह भी आदेश दिए गये हैं कि सूखे की स्थिति के परिपेक्ष्य में तकावी ऋण में बकायादारों को नई आपदा तकावी ऋण दिए जायं। इनके अतिरिक्त सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृषकों को कृषि निवेशों के रूप में तकावी उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है। सूखे से प्रभावित जिलों में जहाँ कृषकों के जोतों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है, कृषि देयों की वसूली भी रोक दी गयी है। उनके आश्रित छात्रों की फीस माफी हेतु एवं सूखा प्रभावित क्षेत्रों में यथा आवश्यकता चारा भूसा की व्यवस्था कराने के लिए भी प्रयत्न किया गया है। लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्रम के बदले अनाज योजना के तहत अधिक से अधिक रोजगार की व्यवस्था की गयी और इससे लगभग 8.14 लाख व्यक्तियों को औसतन प्रतिदिन रोजगार दिया जा रहा है। वर्ष 1980–81 में भारत सरकार ने 340 मीट्रिक टन दुग्ध चूर्ण तथा 175 मीट्रिक टन खाद्य तेल का अतरिक्त आवंटन भी प्राप्त हुआ है।

कर्मचारी कल्याणकारी कार्यक्रम

राज्याधीन सेवाओं में तैनात अधिकारियों/कर्मचारिवों के स्थायीकरण से सेवा सुरक्षा विषयक कार्यवाही को पूरा करने हेतु एक व्यापक अभियान जारी ह। अस्थायी कर्मचारियों को यथा सम्भव स्थायी करने के बावजूद भी विभिन्न विभागों में अस्थायी कर्मचारी हैं। इस वर्ग के कर्मचारियों को राहत देने की दृष्टि से शासन ने कुछ शर्तों के साथ सभी अर्ह अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान ग्रेच्युटी, गृह निर्माण अग्रिम, वाहन क्रय अग्रिम, चिकित्सा अवकाश की सुविधाएं तथा प्रतिनियुक्ति एवं स्थानान्तरण पर भेजे जाने की अवस्था में तीन वर्ष तक पैतृक विभाग में वापसी की सुविधा प्रदान करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

वेतन एवं सम्बद्ध प्रश्नों पर दो वेतन आयोग विचार कर रहे हैं। जैसे ही उनके प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं सरकार उन पर विचार कर शीघ्र निर्णय लेगी।

राज्य के संसाधनों की स्थिति असन्तोषजनक होते हुए भी सरकार ने यह निश्चय किया है कि निर्धारित शर्तों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों तथा स्थानीय निकायों एवं सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के कर्मचारियों को 1 फरवरी, 1980 से मंहगाई भत्ते की एक और किश्त दी जाय। इस सम्बन्ध में अलग से आदेश जारी किए जा रहे हैं।

पेंशनरों को 1 अप्रैल, 1980 से 5 रु0 से लेकर 25 रु0 तक की अतिरिक्त मासिक राहत देने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल, 1975 से पहले सेवा निवृत्त होने वाले पेंशनरों को 5 रु0 प्रति माह की दर से अतिरिक्त राहत दी जायेगी।

मितव्ययता

राज्य की विषम वित्तीय स्थिति को देखते हुए और विकास कार्यों के लिए अधिकाधिक धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के प्रशासनिक व्यय में हर सम्भव मितव्ययता करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से चालू वर्ष में भी पदों के सृजन, नये भवनों के निर्माण, भवनों की मरम्मत, यात्रा, मानदेय, कांफ्रेन्स, सेमिनार, मीटिंग, पेट्रोल तथा राजकीय गाड़ियों, लेखन-सामग्री, बिजली, राजकीय मनोरंजन तथा सत्कार, डाक आदि व्यय की मदों में यथा सम्भव मितव्ययता करने के आदेश जारी किए गये हैं। इसके अतिरिक्त "जीरो बजटिंग" के सिद्धान्त पर विभिन्न विभागों की चालू योजनाओं का मूल्यांकन वित्त विभाग और नियोजन विभाग के अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जा रहा है।

आय-व्ययक अनुमान 1980–81

अब मैं आपका ध्यान वर्ष 1980-81 के आय-व्ययक अनुमानों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यह अनुमान लगाया गया है कि राज्य की संचित निधि में वर्ष की कुल प्राप्तियाँ 2102.37 करोड़ रुपये की होंगी जिनमें से 1622.34 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्तियों के रूप में, 421.48 करोड़ रुपये लोक ऋण के रूप में तथा 58.55 करोड़ रुपये ऋणों और अग्रिमों की वसूली के रूप में अनुमानित हैं। राजस्व प्राप्तियों की उपरोक्त राशि में राज्य सरकार के कर राजस्व से 504.99 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय करों में राज्य के अंश के रूप में 597.04 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

व्यय पक्ष के सम्बन्ध में अनुमान है कि वर्ष का कुल राजस्व व्यय 1556.92 करोड़ रुपये का होगा जिसमें से 266.06 करोड़ रुपये आयोजनागत पक्ष में तथा 1290.86 करोड़ रुपये आयोजनेतर पक्ष में व्यय किया जायगा। वर्ष का पूंजीगत व्यय कुल 354.08 करोड़ रुपये का अनुमानित है जिसमें 349.97 करोड़ रुपये का आयोजनागत व्यय तथा 4.11 करोड़ रुपये का आयोजनेतर व्यय सम्मिलित है। ऋणों और अग्रिमों के रूप में वर्ष के दौरान कुल 236.20 करोड़ रुपये वितरित करने का अनुमान है जिसमें से 210.68 करोड़ रुपये का वितरण आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत तथा 25.52 करोड़ रुपये का वितरण आयोजनेतर मदों पर अनुमानित है। ऋणों के प्रतिदान के रूप में वर्ष का सम्भावित व्यय 168.15 करोड़ रुपये अनुमानित है। इस प्रकार संचित निधि से इस वर्ष कुल 2315.35 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है जो संचित निधि की कुल अनुमानित प्राप्तियों से 212.98 करोड़ रुपया अधिक है।

संचित निधि की वर्ष की कुल 212.98 करोड़ रुपये की कमी के समक्ष अनुमान है कि लोक लेखे के अन्तर्गत वर्ष के अन्त तक लगभग 94.99 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्ति होगी इस प्राप्ति को हिसाब में लेकर वर्ष के समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम (–) 117.99 करोड़ रुपये होने का अनमान है।

उपरोक्त विवरण के अनुसार वर्ष का कुल आयोजनागत व्यय 826.71 करोड़ रुपया अनुमानित है। इसमें केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं पर होने वाला अनुमानित व्यय सम्मिलित है। राज्य आयोजना पर व्यय का वह भाग जो राज्य की अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा वहन किया जाता है, राज्य बजट में सम्मिलित नहीं किया जाता।

वर्ष 1979–80 के पुनरीक्षित अनुमानों के अन्तर्गत यह अनुमान लगाया गया था कि गत वर्ष लगभग 110.70 करोड़ रुपये का अन्तिम शेष होगा। किन्तु उक्त वर्ष के अनन्तिम वास्तविक आँकड़ों के आधार पर अनुमानित है कि उक्त अन्तिम शेष वास्तव में 131.15 करोड़ रुपये होगा। इसे इस वर्ष का प्रारम्भिक शेष मानते हुए यह सम्भावना है कि वर्ष के समस्त लेन-देनों के फलस्वरूप अनुमानित 117.99 करोड़ रुपये की कमी के कारण इस वर्ष का अन्तिम शेष केवल 13.16 करोड़ रुपया रह जायगा।

वर्ष के संसाधनों में जो 117.99 करोड़ रुपये की अनुमानित कमी है उसे राजकीय ऋणों की वसूली में और गतिशीलता लाकर, आयोजनेतर व्यय में मितव्ययता करके तथा भारत सरकार से अतिरिक्त सहायता प्राप्त करके पूरा किया जाना प्रस्तावित है। इसके उपरान्त भी यदि कुछ कमी रह जाने की सम्भावना हुई तो सरकार यथासमय उपचारात्मक कार्यवाही करेगी।

मन्त्रि परिषद् के समस्त सदस्यों का मैं बहुत अनुग्रहीत हूं जिनके सहयोग और परामर्श से तथा उनके विभागों की सहायता से इतनी अल्प अवधि में बजट प्रस्तुत करना सम्भव हो सका। वित्त विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जो सहायता मुझे बजट बनाने के काम में दी है उसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिनके परिश्रम और सहयोग से बजट साहित्य का मुद्रण तत्परता मे किया जा सका।

मुझे विश्वास है कि सम्मानित सदन का मार्गदर्शन सरकार को सदैव मिलता रहेगा और हमारा यह पहला बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास की आधार शिला का काम करेगा।

वित्तीय वर्ष 1980–81 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्ताव

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)---

माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 1980–81 के एक भाग के लिए लेखानुदान को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष---

अब इस प्रस्ताव की प्रतियाँ वितरित की जायेंगी।

(प्रतियाँ वितरित की गयीं।)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के माह अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर 1980–81 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान के विवरण, जो 16 जुलाई, 1980 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1–6 में दिये

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–]
हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 6,41,23,54,000 रुपए से अधिक न हो ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में माह अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर में 1980–81 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान के विवरण, जो 16 जुलाई, 1980 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1 से 6 में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 6,41,23,54,000 रुपए से अधिक न हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

[समय अपराह्न 6.38 से]

उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1980

[मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक
उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1980

1 अप्रैल, 1980 ई० को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिए राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणतन्त्र के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त शीर्षनाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) अधिनियम, 1980 कहलायेगा ।

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 1 अप्रैल, 1980 ई० को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सिलसिले में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से उतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल योग 7,36,17,41,000 रुपए (रुपए सात अरब, छत्तीस करोड़, सत्रह लाख इक्तालिस हजार) केवल होता है, अधिक न हो। उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष 1980-81 के लिए 7,36,17,41,000 रु० का दिया जाना

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिए गये हैं। विनियोग

अनुसूची

[धाराएं 2 व 3 देखें]

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	राज्य विधान मण्डल ..	51,49	94	52,43
*2	राज्यपाल तथा उनका सचिवालय ..	..	3,82	3,82
3	मन्त्रि परिषद् ..	17,15	..	17,15
4	न्याय विभाग ..	2,58,79	47,49	3,06,28
5	निर्वाचन विभाग ..	41,20	..	41,20
6	संस्थागत वित्त विभाग (वृत्ति-कर एवं बिक्री-कर)	2,22,24	10	2,22,34
7	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	11,56,26	9	11,56,35
8	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	49,18	1	49,19
9	स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग	19,66,09	3	19,66,12
10	आबकारी विभाग	45,42	2	45,44
11	परिवहन विभाग ..	4,37,29	23	4,37,52
12	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी-कर)	9,43	..	9,43
13	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय)	4,91,31	1	4,91,32
*14	ऋण कम करना अथवा उसका परिहार	..	8,94,58	8,94,58
*15	ब्याज का भुगतान	..	40,71,37	40,71,37

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

अनुसूची—(क्रमशः)

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
*16	लोक सेवा आयोग	..	14,61	14,61
17	सचिवालय ..	1,85,22	1	1,85,23
18	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	18,79	..	18,79
19	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	81,02	..	81,02
20	सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग ..	22,45	1	22,46
21	संस्थागत वित्त विभाग ..	2,98	1	2,99
22	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग ..	4,85	..	4,85
23	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) ..	3,24,10	4	3,24,14
24	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	74,00	1	74,01
25	गृह विभाग (पुलिस) ..	27,23,69	4	27,23,73
26	गृह विभाग (कारागार) ..	2,19,67	1	2,19,68
27	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) ..	1,95,21	..	1,95,21
28	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	29,66	4	29,70
29	सतर्कता विभाग ..	26,29	1	26,30
30	नागरिक सुरक्षा विभाग ..	1,89,63	1	1,89,64
31	वित्त विभाग (अधिवर्ष, भत्ते और पेंशनें)	7,31,46	9,39	7,40,85
32	वित्त विभाग (राज्य लाटरी) ..	2,10,09	..	2,10,09
33	शिक्षा विभाग ..	83,94,11	2	83,94,13
34	प्राविधिक शिक्षा विभाग ..	2,31,69	1	2,31,70
35	स्पोर्ट्स विभाग ..	26,14	..	26,14
36	सांस्कृतिक कार्य विभाग ..	16,71	1	16,72
37	विज्ञान और प्रोद्योग विभाग ..	16,18	..	16,18
38	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) ..	18,90,02	3	18,90,05
39	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	5,36,47	1	5,36,48
40	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	6,57,00	1	6,57,01
41	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	29,44	1,62	31,06
42	आवास एवं नगर भूमि विकास ..	88,33	..	88,33
43	सूचना विभाग ..	52,98	1	52,99
44	श्रम विभाग (श्रम कल्याण) ..	1,28,96	1	1,28,97
45	श्रम विभाग (सेवायोजन) ..	1,56,10	5	1,56,15

*भारित विनियोग से संबंधित क्रम संख्या ।

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम- संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
46	हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग	9,40,81	1	9,40,82
47	सहायता और पुनर्वासन विभाग . .	8,46	1	8,47
48	राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता)	17,23,85	2,70,00	19,93,85
49	सहकारिता विभाग . .	1,11,87	1	1,11,88
50	पर्वतीय विकास विभाग . .	10,55,22	5	10,55,27
51	नियोजन विभाग . .	92,08	. .	92,08
52	कृषि विभाग (कृषि) . .	17,35,24	11	17,35,35
53	कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) . .	1,32,91	66	1,33,57
54	गन्ना विकास विभाग . .	1,36,99	1	1,37,00
55	ग्राम्य विकास विभाग . .	11,54,92	2	11,54,94
56	पंचायती राज विभाग . .	2,15,11	5	2,15,16
57	क्षेत्रीय विकास विभाग . .	6,84,64	. .	6,84,64
58	खाद्य तथा रसद विभाग . .	1,76,74	23	1,76,97
59	पशुधन विभाग . .	3,19,63	1	3,19,64
60	पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)	26,84	1	26,85
61	मत्स्य विभाग . .	25,38	1	25,39
62	वन विभाग . .	6,96,26	4	6,96,30
63	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	77,89	7	77,96
64	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)	1,59,08	1,21,25	2,80,33
65	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	4,79,70	. .	4,79,70
66	उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) . .	18,91	1	18,92
67	विद्युत् विभाग . .	6,68	1	6,69
68	सिंचाई विभाग (निर्माण-कार्य राजस्व लेखा)	29,63,65	1	29,63,66
69	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) . .	12,81,25	3	12,81,28
70	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) . .	9,92,88	3	9,92,91
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	11,53	5	11,58
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	6,64,48	1	6,64,49
74	पर्यटन विभाग . .	11,31	. .	11,31

अनुसूची –(क्रमश:)

1	2			
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	4,36,05	25	4,36,30
76	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	1,92,58	81	1,93,39
77	चिकित्सा विभाग–पूंजीगत परिव्यय ..	12,53	..	12,53
78	स्वायत्त शासन विभाग–पूंजीगत परिव्यय	1	..	1
80	गृह (पुलिस) विभाग–पूंजीगत परिव्यय	2,21	..	2,21
81	गृह (कारागार) विभाग–पूंजीगत परिव्यय	11,37	..	11,37
82	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	3,09,55	13	3,09,68
83	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग–पूंजीगत परिव्यय	3,35	13	3,48
84	हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग–पूंजीगत परिव्यय	15,00	..	15,00
85	सहकारिता विभाग–पूंजीगत परिव्यय	1,45,69	..	1,45,69
86	पर्यटन विकास विभाग–पूंजीगत परिव्यय	10,83,68	..	10,83,68
87	उद्योग विभाग–पूंजीगत परिव्यय ..	3,17,73	1,25	3,18,98
88	सूचना विभाग–पूंजीगत परिव्यय ..	12,50	..	12,50
89	पंचायती राज विभाग–पूंजीगत परिव्यय	13	..	13
90	संसदीय मिल विभाग–पूंजीगत परिव्यय	4,69	..	4,69
91	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)–पूंजीगत परिव्यय	50,00	..	50,00
92	राजस्व विभाग (जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर)	3,41	..	3,41
3	कृषि विभाग–पूंजीगत परिव्यय ..	9,10,82	13	9,10,95
94	खाद्य विकास विभाग–पूंजीगत परिव्यय	18,81	..	18,81
95	श्रम एवं नियोजन विभाग–पूंजीगत परिव्यय	12,25	..	12,25
6	सिंचाई विभाग–पूंजीगत परिव्यय ..	25	..	25
97	[illegible] विभाग–पूंजीगत परिव्यय	43,17,25	..	43,17,25
98	पशुधन विभाग–पूंजीगत परिव्यय ..	6,36	..	6,36
99	पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)–पूंजीगत परिव्यय	1,00	..	1,00

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
100	मत्स्य विभाग–पूंजीगत परिव्यय . .	2,59	. .	2,59
101	वन विभाग–पूंजीगत परिव्यय . .	3,07	1	3,08
102	सिंचाई विभाग–निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	67,31,58	1	67,31,59
103	सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)	9,39,92		9,39,92
104	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय)	16,32,87	13	16,33,00
105	परिवहन विभाग–पूंजीगत परिव्यय . .	1	. .	1
*107	राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋण . .	. .	40,53,66	40,53,66
108	शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम . .	21,50	. .	21,50
109	प्राविधिक शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम	1,25	. .	1,25
110	स्वायत्त शासन विभाग–ऋण और अग्रिम	2,31,17	. .	2,31,17
111	आवास विभाग–ऋण और अग्रिम . .	71,06	. .	71,06
112	राजस्व विभाग–ऋण और अग्रिम . .	4,85,66	. .	4,85,66
113	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग–ऋण और अग्रिम	6,13	. .	6,13
114	उद्योग विभाग–ऋण और अग्रिम . .	1,84,40	. .	1,84,40
115	पर्वतीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम	99,18	. .	99,18
116	वन विभाग–ऋण और अग्रिम . .	15	. .	15
117	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग–ऋण और अग्रिम	38	. .	38
118	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)–ऋण और अग्रिम	2,66,00	. .	2,66,00
119	सहकारिता विभाग–ऋण और अग्रिम	9,12,21	. .	9,12,21
120	कृषि विभाग–ऋण और अग्रिम . .	2,65,00	. .	2,65,00
121	क्षेत्रीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम	4,18,75	. .	4,18,75
122	पशुधन विभाग–ऋण और अग्रिम	3	. .	3

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या ।

अनुसूची—(समाप्त)

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक — (हजार रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि भारित	योग
123	विद्युत् विभाग—ऋण और अग्रिम ..	60,00,00	..	60,00,00
125	वित्त विभाग—ऋण और अग्रिम ..	70,00	..	70,00
126	पर्यटन विभाग—ऋण और अग्रिम ..	1	..	1
	कुल योग ..	6,41,23,54	94,93,87	7,36,17,41

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1980 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1980 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, 4 तारीख को 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 40 मिनट पर सोमवार, 4 अगस्त, 1980 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
16 जुलाई, 1980।

पी0एस0यू0पी0—एल0 155 वि0सभा (278)—1981—813।